इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की
तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 34 अंक : 128 मार्च 2021

हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, मुख्य भवन, केंद्रीय कार्यालय में हमारे संस्थापक के फोटो को श्रद्धांजलि देते हुए ।

स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी, श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता संस्थापक के परिवार के सदस्यों के साथ संस्थापक को श्रद्धांजलि देते हुए । साथ में हैं कार्यपालक निदेशक महोदय श्री अजय कुमार श्रीवास्तव और मुख्य सतर्कता अधिकारी श्री ए बी विजय कुमार ।

इस अंक में

वाणी

वर्ष : 34 अंक 128 : मार्च 2021

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक की तिमाही गृह पत्रिका

संदेश

प्रबन्ध निदेशक महोदय का संदेश 3
कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश 4
कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश 5
सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय महोदय का संदेश 7
महा प्रबन्धक महोदय का संदेश 8

संपादकीय

नीड़ की ओर 9

विशेष आलेख

12 प्र से किया जा सकता है
राजभाषा हिन्दी का समुचित विकास 10
बैंक के वार्षिक निष्पादन के मुख्य बिन्दु 14
महामारी-दर- महामारी : एक विश्लेषण 44

बैंकिंग व अन्य लेख

भारतीय बैंकिंग और राजभाषा हिन्दी 17
बैंकिंग लोकपाल योजना – ग्राहकों का अधिकार 32
बैंकों में एनपीए – कमी लाने के नवीनतम उपाय 49

कविता

हम आँखें मूंद लेते हैं 19

साहित्य का सफ़रनामा

"हिन्दी कविता के एंग्री यंग मैन" – धूमिल 20

प्रदक्षिणा

सोलह शताब्दियों की गाथा – हागिया सोफ़िया 26

फ़ोटो फ़ीचर

क्षेत्रीय कार्यालयों में मातृभाषा दिवस 30

तारीख -ए- बयाँ और

नींव परमाणु हथियारों की 55

नज़र कानूनी

एमएसएमई के लिए प्री पैकेज्ड समाधान 36

ख़तों के रास्ते इतिहास

अलविदा मेरे भाई 39

स्वास्थ्य संपदा

कोरोना मेंटल हेल्थ पर डालता है बुरा असर 53

विविधा

प्रेरक प्रसंग 24
ज्ञान के मोती 38
शब्द – शब्दांतर 43
हँसी की फुलझड़ियाँ 52
प्रतिस्पंदन 60

'वाणी' पत्रिका बैंक के ऑनलाइन यानि इंट्रानेट पर भी उपलब्ध है

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
की तिमाही गृह पत्रिका

वाणी

वर्ष : 34 अंक 128 मार्च 2021

तुम वहन कर सको जन–मन में मेरे विचार !
वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार ?

मुख्य संरक्षक
पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता
प्रबंध निदेशक एवं
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संरक्षक
अजय कुमार श्रीवास्तव
कार्यपालक निदेशक

संरक्षक
एस श्रीमती
कार्यपालक निदेशक

परामर्शदाता
भुवन चन्द्र शर्मा
महा प्रबंधक

संपादक
सुरेश कुलकर्णी
उप महा प्रबंधक

संपादन सहयोग
नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
नगेंद्र कुमार सिंह
प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

संपादन सहयोग
शुभम दीक्षित
सहायक प्रबंधक
केंद्रीय कार्यालय

मुद्रक
कृष्णराज प्रिंटर्स
36 देवराजन स्ट्रीट, रॉयपेट्टा
चेन्नै 600 014, तमिलनाडु
दूरभाष : 044-28481125

वाणी में प्रकाशित रचनाओं में व्यक्त विचार लेखकों के अपने निजी हैं । बैंक का इससे सहमत होना ज़रूरी नहीं है ।

पत्र व्यवहार का पता
इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय,
763 अण्णा सालै, चेन्नै 600 002
दूरभाष : 044-28519572
फैक्स : 044-28551618
ई-मेल : *official@iobnet.co.in*

केवल आंतरिक परिचालन हेतु

प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का संदेश

प्यारे साथियो,

नए वित्त वर्ष में हमारी गृह पत्रिका वाणी के नवीन अंक के साथ आपसे रूबरू हूँ, पुराना वित्त वर्ष पार कर हम नए वित्त वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं । ऐसे में मन में प्रश्नोदय होता है कि इस नूतन वर्ष में ऐसा नया क्या हैं ? विशेष क्या है ? तो मैं कहना चाहूँगा कि किसी भी घटना के प्रारंभ और अंत परस्पर इतने गूँथे हुए हैं कि वे ऊपरी तौर पर एक दूसरे के पूरक लगते हैं । नवता या नूतनता के अभाव में ये संसार ठोस बना रहेगा यानि जैसा है वैसा ही रह जाएगा, या उससे भी बदतर । इसलिए नवता प्राप्ति एक तरह का संघर्ष है, एक पथ है, उस नए पथ का अनुसंधान है, एक नई शुरुआत के लिए मील के पत्थर की तरह है जिसे पावर शिफ्ट की तरह देखा जाना चाहिए, जहाँ नए संकल्पों और विकल्पों के लिए स्थान हो, जहाँ पुरानी गलतियों से ली गई सीख हो, कुछ नया करने का उल्लास हो और श्रेष्ठतम देने की लालसा हो । हम एक ही लीक को पकड़ कर बहुत लंबा सफर तय नहीं कर सकते, अगर हम नए परिणामों की आकांक्षा रखते हैं तो हमें नए पथ का अनुसंधान करना होगा, अतीत की भूलों से सीखते हुए नई योजनाएँ बनानी होंगी, नए विन्यास गढ़ने होंगे ताकि सफलता के नूतन शिखरों को विजित किया जा सके ।

हमारे पिछली तीन तिमाही के आंकड़े काफी उत्साह जनक रहे जिसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं किन्तु मैं यहाँ पर विशेष रूप से अंतिम तिमाही में हमारे स्टाफ सदस्यों के द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना करना चाहूँगा जिसके चलते हम सम्मानजनक तीन अंकीय आंकड़ा छू सके । हमें पिछली तिमाही से सीख लेनी चाहिए कि किस तरह एक पुराने एनपीए, जिसमें 100% प्रावधान किया जा चुका था, की वसूली ने बैंक के पूरे तुलन पत्र का आकार-प्रकार ही बदल दिया । हमें हर उस एनपीए खाते में युद्ध स्तर पर काम करना है जिसकी वसूली अभी तक मुश्किल समझी जा रही थी । इस तरह के खातों में दर्ज़ की गई छोटी से छोटी वसूली भले ही सागर में बूँद की तरह प्रतीत हो रही हैं पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि बूंद-बूंद से सागर भरता है ।

जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि देश कोरोना महामारी की दूसरी लहर में जकड़ता चला जा रहा है, हर दिन संक्रमित होने वाले लोगों का आँकड़ा नित नए शीर्ष पर पहुँच रहा है, जो अवश्य ही चिंता का विषय है । भले ही हमारी भूमिका व प्रयासों को नेपथ्य में जगह मिली हो मगर इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में हमारे भी कुछ साथियों ने अपने प्राण न्योछावर किए हैं । हमें इन विषम परिस्थितियों में एक परिवार की तरह साथ रहना है, एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर तथा एक दूसरे की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध । अगर विभिन्न एजेंसियों की रिपोर्ट्स को देखा जाए तो यही निष्कर्ष निकलता है कि देश की अर्थव्यवस्थ्या कठिन समय से गुज़र रही हैं । हमें ये ध्यान रखना है कि हम ही इस अर्थव्यवस्था के अंतिम ध्वजवाहक हैं, ऐसे में हमारे कंधों पर दायित्वों का भार और अधिक बढ़ जाता है । हमें इस दायित्व का निर्वहन बचाव के सभी उपायों को अपनाते हुए तथा अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए करना होगा । ऐसे में माननीय प्रधानमंत्री जी के ध्येय वाक्य के साथ अपनी बात समाप्त करूंगा :

"जान भी और जहान भी"

शुभकामनाओं सहित

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

कार्यपालक निदेशक महोदय का संदेश

अपनी बात की शुरुआत इन्टेल कॉर्पोरेशन के एंड्रयू ग्रोव के प्रसिद्ध कथन : "सिर्फ जीवट वाले लोग ही बचे रह पाते हैं" से करना चाहूँगा । उनका मानना था कि एक व्यावसायिक संगठन को सदैव संभावनाओं व जोखिमों पर नज़र रखनी चाहिए । हम इसमें "सिर्फ नवोन्मेषी विकास" को जोड़ सकते हैं । इसीलिए हममे से प्रत्येक को कारोबार की संभावनाओं का फायदा उठाना चाहिए और अपनी भूमिका को पूरी रचनात्मकता से निभाना चाहिए ताकि हम बैंक के व्यापारांश में कुछ वृद्धि कर सकें जो कि अंत में लाभर्जन के रूप में फलीभूत होगी ।

साथियों हम एक बाज़ार केंद्रित तथा उपभोक्ता केंद्रित संगठन है, जिसका अंतिम उद्देश्य ग्राहक सेवा के साथ-साथ लाभर्जन करना भी है । यद्यपि बेहतरी की गुंजाइश हर जगह बनी रहती है किन्तु हमारे पिछले प्रदर्शनों तथा हमारे वित्तीय परिणामों के आकलन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि हम ग्राहक सेवा में निष्णातता के करीब हैं । बैंक की सफलता केवल विद्यमान ग्राहकों को बनाए रखने में ही नहीं बल्कि नए ग्राहकों को जोड़ते रहने में भी है, जिसमें विपणन एक अचूक मंत्र साबित हो सकता है । विपणन के दो प्रमुख घटक हैं- नए ग्राहकों को शामिल करना (अधिग्रहण) तथा मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखते हुए उनके साथ संबंधों का विस्तार करना (आधार प्रबंधन) । एक बार जब हम आने वाले ग्राहक (वॉकइन कस्टमर) को अपना ग्राहक बना लेते हैं तत्पश्चात आधार प्रबंधन शुरू हो जाता है । आधार प्रबंधन के तहत आरम्भ होने वाली प्रक्रिया में हमें अपने ग्राहक के साथ रिश्ते विकसित करने होंगे, संबंधों को पोषण देना होगा, दिए जा रहे फायदों में ईज़ाफा करना होगा और अपने उत्पाद/सेवाओं को निरंतर बेहतर बनाते रहना होगा ताकि ग्राहक के साथ हमारा संबंध अन्य प्रतिस्पर्धियों से सुरक्षित रहे । उदाहरण के तौर पर लॉकर यूनिट का प्रभारी अधिकारी लॉकर परिचालनों के लिए आए ग्राहकों को पूरे उत्साह व गर्मजोशी से सेवाएँ प्रदान कर सकता है । लॉकर के काम से आए ग्राहकों को शाखा की सेवाओं से पूरी तरह संतुष्ट होना चाहिए ताकि वह हमारे साथ जुड़कर हमारे व्यापार को और बढ़ाए या इसी प्रकार शाखा में पहली बार आए ग्राहक का मुस्कान के साथ स्वागत करना तथा औपचारिक शिष्टाचार के साथ उनकी समस्या को जानना व उसका समाधान करना उन पर लंबे समय तक एक छाप बनाए रख सकता है ।

जिस तरह बूंद-बूंद से घड़ा भरता है उसी तरह आइओबी परिवार के प्रत्येक सदस्य के द्वारा किए गए छोटे-छोटे प्रयास ही संयुक्त रूप से एक बेहतर भविष्य की बुनियाद रख पाएंगे ।

शुभकामनाओं सहित

अजय कुमार श्रीवास्तव

कार्यपालक निदेशक

कार्यपालक निदेशक महोदया का संदेश

प्रिय सहकर्मियो,

बैंक की पत्रिका वाणी के माध्यम से आप सभी से पहली बार संवाद करते हुए असीम हर्षानुभूति हो रही है । मैं हमेशा से यही मानती आई हूँ कि राजभाषा कार्यान्वयन का मंतव्य सिर्फ दस्तावेज़ों का द्विभाषीकरण नहीं है अपितु यह काफी व्यापक क्षेत्र है, जिसके कई पहलू होते हैं । ऐसा ही एक पहलू है राजभाषा में पुस्तकों व पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं हमारे बैंक पत्रिका 'वाणी' उन्हीं पहलुओं का एक अंग है । शृंखलाबद्ध रूप से प्रकाशित होते हुए यह पत्रिका 128 वें पड़ाव तक आ पहुंची है तथा हमारे बैंक की इस पत्रिका का हिस्सा होना एक अलग किस्म की सुखदानुभूति है ।

साथियों अगर संयुक्त रूप से सही दिशा में प्रयास किए जाएँ तो कोई भी ऐसा लक्ष्य नहीं है जिसे भेदा न जा सकता। अकेले हम बेहद कम कर सकते हैं, और साथ मिलकर बहुत कुछ । टीम आइओबी उभरने की अपनी समुत्थान शक्ति के लिए जानी जाती है । प्रतिबद्धता अपने भरोसे के समान ही मजबूत होती है। प्रयास कभी व्यर्थ नहीं जाएँगे । हमें एक ऐसी टीम की तरह काम करना होगा जिसका हर सदस्य अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार हो। इस संदर्भ में मैं बचपन में सुनी 2 कहानियाँ दोहराना चाहती हूँ, जो कि आज के परिदृश्य में भी उतनी ही प्रासंगिक है ।

पहली कहानी है कि एक बार एक गाँव के बीच में एक बड़ा सा पात्र रखा गया और राजा ने सभी को इसमें एक-एक प्याला दूध डालने के लिए कहा। हुआ यह कि सभी ने सोचा कि क्या फर्क पड़ेगा अगर मैं इतने बड़े दूध से भरे पात्र में दूध के स्थान पर एक प्याला पानी डाल दूँ । परिणामस्वरूप पात्र केवल पानी से ही भरा हुआ था।

दूसरी कहानी गिलहरी की है जो पौराणिक कथा के अनुसार भगवान राम द्वारा श्रीलंका तक सेतु निर्माण में सहयोग करना चाहती थी । वह मिट्टी में सनकर सेतु पर जाकर मिट्टी झाड़ रही थी ताकि उस मिट्टी का निर्माण कार्य में प्रयोग किया जा सके । उसने इस प्रक्रिया को बार-बार किया । कहा जाता है कि भगवान राम ने उसके सहयोग की सराहना करते हुए उसकी पीठ पर हाथ फेरा, जिसके कारण आज भी गिलहरी की पीठ पर तीन पट्टियाँ हैं ।

वर्तमान परिस्थितियों में मुझे इन दोनों कहानियों की सीख को विस्तार से बताने की जरूरत नहीं है । हमें यह सोचकर बैठे नहीं रहना चाहिए कि हमारा असहयोग दूध के प्याले की तरह पहचान में नहीं आएगा । सम्मानजनक चार अंकीय लाभर्जन के उस जादुई आंकड़े तक पहुँचने के लिए सभी के निष्ठापूर्ण सहयोग की आवश्यकता है । जागिए और जो करने की आवश्यकता है उसे करिए, चाहे वह सहयोग, महत्वहीन (गिलहरी की रेत के समान) ही क्यों न प्रतीत होता हो । जब हम पूरी निष्ठा और उद्देश्य से अपनी भूमिका अदा करेंगे, किसे पता कि हमारी पीठ पर भी तीन पट्टियों के रूप में हमारे प्रयासों को पहचान मिल जाए ।

शुभकामनाओं सहित

श्रीमती

एस श्रीमती

कार्यपालक निदेशक

डॉ सुमीत जैरथ, आई.ए.एस.
सचिव
Dr. SUMEET JERATH, I.A.S.
Secretary

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
राजभाषा विभाग
गृह मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

पत्र सं0- 11014/17/2020-21-रा.भा.(पत्रिका) दिनांक : 13 जुलाई, 2021

संदेश

अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक, चेन्नै राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से अपनी हिंदी पत्रिका **'वाणी'** का नवीनतम अंक शीघ्र ही प्रकाशित करने जा रहा है|

2 स्वतंत्रता के बाद, 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था| संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है| संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का यह कर्तव्य है कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे जिससे वह भारत की सामासिक संस्कृति के सभी

तृतीय तल, एन.डी.सी.सी.-II भवन, जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001
फोन : (91) (11) 23438266, फैक्स : (91) (11) 23438267, ई-मेल : secy-ol@nic.in

3 राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिन्दु बनवाएं और उपाय करें| **राजभाषा नीति प्रेरणा, प्रोत्साहन और सद्भावना पर आधारित होने के कारण**

आपसे यह अनुरोध है कि एक उत्साहवर्धक वातावरण सृजित कर सभी अधीनस्थ अधिकारियों को मूल कार्य हिंदी में करने के लिए प्रेरित करें|

5 **राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था- " राष्ट्रीय व्यवहार में हिंदी को काम में लाना देश की एकता और उन्नति के लिए आवश्यक है| "** यह सर्वविदित है कि राष्ट्र निर्माण में हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है| आज हिंदी का महत्व जनभाषा, संपर्क भाषा, राजभाषा और वैश्विक भाषा के रूप में बढ़ रहा है|

6 हिंदी एक वैज्ञानिक, व्यापक, समृद्ध, सशक्त और जीवंत भाषा है| राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय राजभाषा हिंदी के सरलीकरण और लोकप्रियता बढ़ाने की दिशा में दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है| **अत: मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि अपने प्रेरणादायक नेतृत्व और कुशल मार्गदर्शन में आप सरकारी काम-काज में राजभाषा हिंदी का अधिकतम प्रयोग करते हुए अपने संवैधानिक और सांविधिक उत्तरदायित्वों का पूर्णत: निर्वाह करें|**

जय राज भाषा ! जय हिंद !

सुमीत जैरथ

(डॉ. सुमीत जैरथ)

महा प्रबंधक महोदय का संदेश

प्यारे आइओबियन्स,

वाणी के माध्यम से पुनः आप सभी से संवाद करते हुए असीम हर्षानुभूति हो रही है । हम सभी जानते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र सेवा क्षेत्र है, जो अपने स्वरूप में बहुआयामी है तथा हर क्षण नए अद्यतनों का साक्षी रहा है ऐसे में बैंक को समझने के लिए उसके उन विभिन्न आयामों को भी समझना ज़रूरी है जिसमें हमारी पत्रिका "वाणी" अहम भूमिका का निर्वाहन करती है । हमारे कुशल स्टाफ सदस्यों द्वारा बैंकिंग के भिन्न भिन्न पहलुओं पर लिखे गए लेखों की शैली तथा विषय का छिद्रान्वेषण करते हुए प्रस्तुत की गई सारगर्भित विवेचना दर्शाती है कि बैंक का भविष्य सुरक्षित हाथों में है।

मैं अपनी बात की शुरुआत सुप्रसिद्ध पुस्तक 'बैंक 3.0' के लेखक ब्रेट्ट किंग के इस उद्धरण से प्रारंभ करना चाहूंगा: "ग्राहक चैनल/उत्पादों का एक-दूसरे से अलग-थलग प्रयोग नहीं करते। प्रतिदिन ग्राहक विभिन्न माध्यमों द्वारा बैंक से संपर्क करते हैं । वे नकद आहरण हेतु एटीएम जा सकते हैं, वेतन जमा होने की जांच ऑन-लाइन कर सकते हैं, उपभोक्ता बिलों का भुगतान कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर सकते हैं, व्यक्तिगत ऋण आवेदन पत्र ऑन-लाइन भर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड की शेष राशि जानने अथवा गुम कार्ड की रिपोर्ट के लिए कॉल-सेंटर से संपर्क कर सकते हैं । यदि वे अधिक सुविज्ञ हैं तो शेयरों बाजार में निवेश-विनिवेश भी कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में एकमुश्त रकम जमा कर सकते हैं अथवा आवास बीमा पॉलिसी के लिए ऑन-लाइन आवेदन कर सकते हैं ।" ऐसे में भले ही आज ग्राहक सेवा के प्रति हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा हो किन्तु एक बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि आने वाला समय निश्चय ही और अधिक प्रतिस्पर्धात्मक तथा चुनौतीपूर्ण होने वाला है । हमें इस उभरते हुए नए परिदृश्य में ग्राहकों के ऐसे वर्ग को संतुष्ट करना होगा जो शिक्षित, सुविज्ञ तथा तकनीकी से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं । ऐसी स्थिति में जैसे-जैसे ग्राहकों द्वारा मांगे गए उत्पादों/ सेवाओं की जटिलता बढ़ेगी, वैसे–वैसे हमें न केवल अपनी कार्य-कुशलता बढ़ाने पर ध्यान देना होगा बल्कि ग्राहकों को अपने साथ बनाए रखने के लिए प्रयास भी करने होंगे ।

आने वाला दौर प्रतिस्पर्धा तथा समेकन का दौर है । बैंकों को कभी न कभी इसका सामना करना होगा । दिन-प्रति-दिन बढ़ती जा रही लघु बैंकों तथा निजी बैंकों की संख्या के चलते निसंदेह बाज़ार में ग्राहकों के पास पर्याप्त विकल्प मौजूद हैं । आज हम भले ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हों किन्तु हमें बेहतरीन के लिए प्रयासरत रहना होगा, क्योंकि हमने देखा है कि प्रतिस्पर्धा में एकाधिकार रखने वाले को कड़ी चुनौती मिलती है । ऐसा विमानन एवं दूरसंचार क्षेत्र में घटित हो चुका है और बैंकिंग क्षेत्र में ऐसा नहीं होने का कोई कारण नहीं है । मेरा विश्वास करें हमारे लिए नई प्रतिस्पर्धाओं का कोई अंत नहीं है...

शुभकामनाओं सहित

भुवन चन्द्र शर्मा

महा प्रबन्धक

नीड़ की ओर

प्रिय सुधिजनों,

हमारे प्रयास सदैव इसी दिशा में रहते हैं कि किस प्रकार हमारे बैंक की स्वनामसिद्ध पत्रिका “वाणी” अपने मूल उद्देश्यों की पूर्ति करते हुए बैंक की गतिविधियों के समांतर पत्रिका की सृजनात्मक अपेक्षाओं को भी पूरा करे । इसी क्रम में हम वाणी के नवीन अंक के साथ पुनः आप सभी के सम्मुख है । हमें आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास हैं कि आपको ये अंक पसंद आएगा ।

भाषा केवल सम्प्रेषण का माध्यम भर ही नहीं होती बल्कि संवाद के दौरान अगर जन के मन से जुड़ना हो तो उनकी मातृभाषा से बेहतर और कोई विकल्प हो ही नहीं सकता है । अगर भाषाविदों की माने तो व्यक्ति चाहें कितनी ही भाषाओं में विशारद क्यों न हो जाए किन्तु उसकी मातृभाषा के प्रति उसकी सहजता तथा अनुराग में कभी कमी नहीं आती । इसी दिशा में हमारे बैंक के द्वारा किए गए एक छोटे से प्रयास का ज़िक्र करना समीचीन होगा । फरवरी माह में बैंक के स्टाफ सदस्यों के बीच स्थानीय भाषाओं को सीखने की भावना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से सभी कार्यालयों में 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न प्रतियोगिताओं तथा कार्यक्रमों का आयोजन किया गया । इन कार्यक्रमों का उद्देश्य न केवल हिन्दी के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देना बल्कि हमारे स्टाफ सदस्यों को इनके माध्यम से स्थानीय संस्कृति से जुड़ाव महसूसने का अवसर प्रदान करवाना तथा उसके प्रति गौरवानुभूति के भाव जाग्रत करना था। इसके साथ ही 10 जनवरी के दिन विश्व हिन्दी दिवस के अवसर पर बैंक के सभी कार्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यशालाओं तथा प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया । अगर विश्व हिन्दी दिवस की पृष्ठ भूमि की बात की जाए तो इसकी नीव 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिन्दी सम्मेलन के दौरन पड़ी तथा इस सम्मेलन के संकल्पनाओं को मूर्त रूप देते हुए सन् 2006 के दौरान एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए तात्कालिक सरकार ने प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिन्दी दिवस के रूप मनाए जाने की आधिकारिक रूप से घोषणा की, तभी से भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, उपक्रमों, निगमों तथा विदेशों में स्थित दूतावासों में इस दिन को सरकारी तौर विश्व हिन्दी दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

किसी भी पत्रिका के प्रकाशन का सफ़र महज़ रूटीन प्रकाशन का कार्य नहीं है बल्कि ये एक क्रमिक विकास यात्रा है जिसमें वाणी ने न केवल कई मील के पत्थर स्थापित किए हैं बल्कि अन्य पत्रिकाओं के लिए नए मानक भी स्थापित किए हैं । वाणी के इस अंक के माध्यम से बेहद संतप्त हृदय के साथ आप सभी को सूचित करना पड़ रहा है कि विगत दो दशकों से वाणी की भाषा एवं इसके कलेवर को एक कुशल शिल्पी की भांति साधने व तराशने वाले, हमारी पत्रिका के अंक संपादक व प्रकाशक श्री अलीम खान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते 24 मार्च की शाम को इस नश्वर संसार को छोड़ पंचतत्व में विलीन हो गए । हम वाणी के संपादक मण्डल तथा विभाग की ओर से दिवंगत को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं ।

सुरेश कुलकर्णी

उप महा प्रबन्धक एवं संपादक

12 'प्र' से किया जा सकता है राजभाषा हिंदी का समुचित विकास

--डॉ. सुमीत जैरथ - सचिव राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय

राजभाषा अर्थात राज-काज की भाषा, अर्थात सरकार द्वारा आम-जन के लिए किए जाने वाले कार्यों की भाषा। राजभाषा के प्रति लगाव और अनुराग राष्ट्र प्रेम का ही एक रूप है। संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया था। वर्ष 1975 में राजभाषा विभाग की स्थापना की गई और यह दायित्व सौंपा गया कि सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/बैंकों आदि में अधिक से अधिक कार्य हिंदी में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। तब से लेकर आज तक देश भर में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों एवं विभागों आदि में सरकार की राजभाषा नीति का अनुपालन तथा सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने में राजभाषा विभाग की अहम् भूमिका रही है। राजभाषा विभाग अपने क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों और नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के माध्यम से सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।

हम सभी जानते हैं कि जब हमारे संविधान निर्माता संविधान को अंतिम स्वरूप दे रहे थे, इसका आकार बना रहे थे, उस वक्त कई सारी ऐसी चीजें थी जिसमें मत-मतांतर थे। देश की राजभाषा क्या हो?, इसके विषय में इतिहास गवाह है कि तीन दिन तक इस संदर्भ में बहस चलती रही और देश के कोने-कोने का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा में जब संविधान निर्माताओं ने समग्र स्थिति का आकलन किया, दूरदर्शिता के साथ अवलोकन, चिंतन कर एक निर्णय पर पहुंचे तो पूरी संविधान सभा ने सर्वानुमत से 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करने का निर्णय लिया। 26 जनवरी 1950 को लागू भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा 'हिंदी' व लिपि 'देवनागरी' होगी।

अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए और जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द-भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से, और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है।

महान लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी की पंक्तियां 'आप जिस प्रकार बोलते हैं, बातचीत करते हैं, उसी तरह लिखा भी कीजिए। भाषा बनावटी नहीं होनी चाहिए|' को ध्यान में रखते हुए राजभाषा – हिंदी को और सरल, सहज और स्वाभाविक बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प है। केंद्र सरकार के कार्यालयों/मंत्रालयों/उपक्रमों/ बैंकों आदि में राजभाषा हिंदी में काम करने को दिन-प्रति-दिन सुगम और सुबोध बनाने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री जी के "आत्मनिर्भर भारत- स्थानीय के लिए मुखर हों" (Self Reliant India- Be vocal for local) के अभियान को आगे बढ़ाते हुए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत में सी-डेक, पुणे के सौजन्य से निर्मित स्मृति आधारित अनुवाद टूल "कंठस्थ" का विस्तार कर रहा है जिससे अनुवाद के क्षेत्र में समय की बचत करने के साथ-साथ एकरूपता और उत्कृष्टता भी सुनिश्चित हो ।

राजकीय प्रयोजनों में राजभाषा हिंदी के प्रचार-प्रसार बढ़ाने तथा विकास की गति को तीव्र करने संबंधी संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करने के संबंध में हमारी प्रभावी रणनीति किस प्रकार की होनी चाहिए, इसका मूल सूत्र क्या होना चाहिए?, इस पर विचार करने के दौरान मुझे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दिए जाने वाले 'स्मृति-विज्ञान' (Mnemonics) की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी नजर आती है। विदेश से भारत में निवेश बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के छह डी-

Democracy (लोकतंत्र)

Demand (मांग)

Demographic Dividend (जनसांख्यिकीय विभाजन)

Deregulation (अविनियमन)

Descent (उत्पत्ति)

Diversity (विविधता)

से प्रेरणा लेते हुए राजभाषा के सफल कार्यान्वयन के लिए राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने "12 प्र की रणनीति-रूपरेखा (Frame work) की संरचना की है, जो निम्न प्रकार से है :

1 प्रेरणा (Inspiration and Motivation)

प्रेरणा (Inspiration) का सीधा तात्पर्य पेट की अग्नि (Fire in the belly) को प्रज्ज्वलित करने जैसा होता है। हम सभी यह जानते हैं कि प्रेरणा में बड़ी शक्ति होती है और यह प्रेरणा सबसे पहले किसी भी चुनौती को खुद पर लागू कर दी जा सकती है। प्रेरणा कहीं से भी प्राप्त हो सकती है लेकिन यदि संस्थान का शीर्ष अधिकारी किसी कार्य को करता है तो निश्चित रूप से अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी उससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं ।

2 प्रोत्साहन (Encouragement)

मानव स्वभाव की यह विशेषता है कि उसे समय-समय पर प्रोत्साहन की आवश्यकता पड़ती है। राजभाषा हिंदी के क्षेत्र में यह प्रोत्साहन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को समय-समय पर प्रोत्साहित करते रहने से उनका मनोबल ऊंचा होता है और उनके काम करने की शक्ति में बढ़ोतरी होती है।

3 प्रेम (Love and Affection)

वैसे तो प्रेम जीवन का मूल आधार है किंतु कार्य क्षेत्र में अपने शीर्ष अधिकारियों द्वारा प्रेम प्राप्त करना कार्य क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करता है। राजभाषा नीति सदा से ही प्रेम की रही है यही कारण है कि आज पूरा विश्व हिंदी के प्रति प्रेम की भावना रखते हुए आगे बढ़ रहा है।

4 प्राइज अर्थात पुरस्कार (Rewards)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्येक वर्ष राजभाषा कीर्ति पुरस्कार और राजभाषा गौरव पुरस्कार दिए जाते हैं। राजभाषा कीर्ति पुरस्कार केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/बैंकों उपक्रमों आदि को राजभाषा के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए दिए जाते हैं और राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/उपक्रमों बैंकों आदि के सेवारत तथा सेवानिवृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी में लेखन कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार 14 सितंबर, हिंदी दिवस के दिन माननीय राष्ट्रपति महोदय द्वारा प्रदान किए जाते हैं। पुरस्कारों का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि देश के कोने-कोने से इन पुरस्कारों के लिए प्रविष्टि आती है। जब मैंने राजभाषा विभाग का कार्यभार संभाला उस समय स्मृति आधारित अनुवाद टूल 'कंठस्थ' के अंदर डेटाबेस को मजबूत करने के लिए स्वस्थ प्रतियोगिता एवं सचिव(रा.भा.) की ओर से प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय किया। इस कदम का यह परिणाम हुआ कि लगभग छह महीने के अंदर ही कंठस्थ का डाटा 20 गुना से ज्यादा बढ़ गया। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा एवं प्राइज यानि पुरस्कार का महती योगदान होता है।

5 प्रशिक्षण (Training)

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो के माध्यम से प्रशिक्षण का कार्य करता है। पूरे वर्ष अलग-अलग आयोजनों में सैकड़ों की संख्या में प्रशिक्षणार्थी इन संस्थानों के माध्यम से प्रशिक्षण पाते हैं। कहते हैं – "आवश्यकता, आविष्कार और नवीकरण की जननी है।" कोरोना महामारी ने हम सभी के सामने अप्रत्याशित संकट और चुनौती खड़ी कर दी। समय-समय पर प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधित कर हम सभी को इस महामारी से लड़ने के लिए संबल प्रदान किया। इससे प्रेरित होकर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय ने आपदा को अवसर में परिवर्तित कर दिया। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का आश्रय लेते हुए – ई-प्रशिक्षण और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के माध्यम से हमारे दो प्रशिक्षण संस्थान - केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान तथा केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो ने पहली बार ऑनलाइन माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया। माननीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत-स्थानीय के लिए मुखर हों (Be Local for Vocal) अभियान के अंतर्गत राजभाषा विभाग द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम को स्वदेशी NIC-Video Desk Top पर माइग्रेट किया जा रहा है।

6 प्रयोग (Usage)

'यदि आप प्रयोग नहीं करते हैं तो आप उसे भूल जाते हैं (If you do not use it, you lose it) हम जानते हैं कि यदि किसी भाषा का प्रयोग कम किया जाए या न के बराबर किया जाए तो वह धीरे-धीरे मन मस्तिष्क के पटल से लुप्त होने लगती है इसलिए यह आवश्यक होता है की भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग समय-समय पर करते रहना चाहिए। हिंदी का प्रयोग अपने अधिक से अधिक काम में मूल रूप से करें ताकि अनुवाद की बैसाखी से बचा जा सके और हिंदी के शब्द भी प्रचलन में रहें।

7 प्रचार (Advocacy)

संविधान ने हमें राजभाषा के प्रचार का एक महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है जिसके अंतर्गत हमें हिंदी में कार्य करके उसका अधिक से अधिक प्रचार सुनिश्चित करना है। हिंदी के प्रचार में हमारे शीर्ष नेतृत्व – माननीय प्रधानमंत्री जी तथा माननीय गृह मंत्री जी राजभाषा हिंदी के मेसकोट- ब्रैंड राजदूत **(Brand Ambassadors)** के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देश-विदेश के मंचों पर हिंदी के प्रयोग से राजभाषा हिंदी के प्रति लोगों का उत्साह बढ़ा है। हम जानते हैं कि स्वतंत्रता के संघर्ष के दौरान राजनीतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में एक संपर्क भाषा की आवश्यकता महसूस की गई। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का पक्ष इसलिए प्रबल था क्योंकि इसका अंतरप्रांतीय प्रचार शताब्दियों पहले ही हो गया था। उसके इस प्रचार में किसी राजनीतिक आंदोलन से ज्यादा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित तीर्थ स्थानों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का योगदान था। उनके द्वारा भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के साथ संपर्क करने का एक प्रमुख माध्यम भाषा हिंदी थी जिससे स्वत: ही हिंदी का प्रचार होता था। आधुनिक युग में प्रचार का तरीका भी बदला है। तकनीक के इस युग में संचार माध्यमों को बड़ा योगदान है इसलिए राजभाषा हिंदी के प्रचार में भी इन माध्यमों का अधिकतम उपयोग समय की मांग है।

8 प्रसार (Transmission)

राजभाषा हिंदी के काम का प्रसार करना सभी केंद्र सरकार के कार्यालयों/बैंकों/उपक्रमों आदि की प्राथमिक जिम्मेदारी में है और यह संस्था प्रमुख का दायित्व है कि वह संविधान के द्वारा दिए गए दायित्वों जिसमें कि प्रचार-प्रसार भी शामिल है, का अधिक से अधिक निर्वहन करे। राजभाषा हिंदी का प्रयोग बढ़ाने और कार्यालय स्तर पर हिंदी में लेखन को प्रोत्साहित एवं प्रेरित करने में हिंदी गृह-पत्रिकाओं का विशेष महत्व है, इसलिए राजभाषा विभाग द्वारा विभिन्न केंद्रीय संस्थानों द्वारा प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ पत्रिकाओं को राजभाषा कीर्ति पुरस्कार दिया जाता है। राजभाषा विभाग द्वारा अपनी वेबसाइट rajbhasha.gov.in पर बनाए गए ई-पत्रिका पुस्तकालय के माध्यम से हिंदी के पाठक विभिन्न सरकारी संस्थानों द्वारा प्रकाशित होने वाली ई-पत्रिकाओं से लाभान्वित हो सकेंगे। राजभाषा हिंदी के प्रसार में दूरदर्शन, आकाशवाणी की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके साथ-साथ बालीवुड ने हिंदी के प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया है।

9 प्रबंधन (Administration and Management)

यह सर्वविदित है कि किसी भी संस्थान को उसका कुशल प्रबंधन नई ऊँचाइयों तक ले जा सकता है इसे ध्यान में रखते हुए संस्था प्रमुखों को राजभाषा के क्रियान्वयन संबंधी प्रबंधन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अनुसार केन्द्रीय सरकार के प्रत्येक कार्यालय के प्रशासनिक प्रधान का यह उत्तरदायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम 1963, नियमों तथा समय-समय पर राजभाषा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का समुचित रूप से अनुपालन सुनिश्चित कराएं, इन प्रयोजनों के लिए उपयुक्त और प्रभावकारी जांच-बिंदु बनवाएं और उपाय करें।

10 प्रमोशन (पदोन्नति) (Promotion)

राजभाषा हिंदी में तभी अधिक ऊर्जा का संचार होगा, जब राजभाषा कार्यान्वयन के लिए नियुक्त अधिकारी एवं कर्मचारी; केंद्रीय सचिवालय राजभाषा सेवा संवर्ग के सदस्यगण, सभी उत्साहवर्धक और ऊर्जावान हों और अपना कर्तव्य पूरी निष्ठा और समर्पण से निभाएं ।समय-समय पर प्रमोशन (पदोन्नति) मिलने पर निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ेगा और इच्छाशक्ति सुदृढ़ होगी ।

11 प्रतिबद्धता (Commitment)

राजभाषा हिंदी को और बल देने के लिए मंत्रालय/विभाग/सरकारी उपक्रम/राष्ट्रीयकृत बैंक के शीर्ष नेतृत्व (माननीय मंत्री महोदय, सचिव, संयुक्त सचिव (राजभाषा), अध्यक्ष और महाप्रबंधक) की प्रतिबद्धता परम आवश्यक है। माननीय संसदीय राजभाषा समिति के सुझाव अनुसार और राजभाषा विभाग के अनुभव से यह पाया गया है कि जब शीर्ष नेतृत्व हिंदी के प्रगामी/उत्तरोत्तर ही नहीं, अपितु अधिकतम प्रयोग के लिए स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हैं तब उनके उदाहरणमय नेतृत्व (Exemplery Leadership) से पूरे मंत्रालय/विभाग/उपक्रम/बैंक को प्रेरणा और प्रोत्साहन मिलता है । जब वे हिंदी के लिए एक अनुकूल और उत्साहवर्धक वातावरण बनाते हैं और बीच- बीच में हिंदी के कार्यान्वयन की निगरानी (Monitoring) करते हैं तब हिंदी की विकास यात्रा और तीव्र होती है जैसे कि गृह मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय में देखा गया है । अभी हाल में ही राजभाषा विभाग ने सबको पत्र लिखकर आग्रह किया है :

(क) हर माह में एक बार सचिव/अध्यक्ष अपनी अध्यक्षता में जब वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक करते हैं तब इसमें हिंदी में काम-

काज की प्रगति और राजभाषा नियमों के कार्यान्वयन का मद भी अवश्य रखें और चर्चा करें ।

(ख) अपने मंत्रालय/विभाग/संस्थान में अपने संयुक्त सचिव (प्रशासन)/प्रशासनिक प्रमुख को ही हिंदी कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व दें और हर तिमाही में उनकी अध्यक्षता में विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति (OLIC) की बैठक करें।

12 प्रयास (Efforts)

राजभाषा कार्यान्वयन को प्रभावी रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में यह अंतिम 'प्र' सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार हमें लगातार यह प्रयास करते रहना है कि राजभाषा हिंदी का संवर्धन कैसे किया जाए। यहां कवि सोहन लाल द्विवेदी जी की पंक्तियां एकदम सटीक बैठती हैं कि

लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
नन्हीं चींटी जब दाना लेकर चलती है
चढ़ती दीवारों पर, सौ बार फिसलती है
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है
चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना न अखरता है
आख़िर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है
जा जाकर खाली हाथ लौटकर आता है
मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में
बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में
मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो
क्या कमी रह गई, देखो और सुधार करो
जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम
संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम
कुछ किये बिना ही जय जयकार नहीं होती
कोशिश करने वालों की हार नहीं होती

संवैधानिक दायित्वों को पूर्ण करते हुए राजभाषा हिंदी को और अधिक सरल बनाने के लिए राजभाषा विभाग दृढ़ संकल्प और निरंतर प्रयासरत है। विभाग सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (Information and Communication Technology) का भी आश्रय ले रहा है । विभाग का मानना है कि राजकीय प्रयोजनों में हिंदी की गति को तीव्र करने के लिए ये दोनों आवश्यक परिस्थितियां (Necessary Conditions) हैं । इस दिशा में और गति देने के लिए शीर्ष नेतृत्व की प्रतिबद्धता और प्रयास पर्याप्त परिस्थितियां (Sufficient Conditions) हैं ।

संघ की राजभाषा नीति के अनुसार हमारा संवैधानिक दायित्व है कि हम राजभाषा संबंधित अनुदेशों का अनुपालन तत्परता और पूरी निष्ठा के साथ करें। हम स्वयं मूल कार्य हिंदी में करते हुए अन्य अधिकारियों / कर्मचारियों से भी राजभाषा अधिनियमों का अनुपालन सुनिश्चित कराएं ताकि प्रशासन में पारदर्शिता आए और आमजन सभी सरकारी योजनाओं व कार्यक्रमों का लाभ निर्बाध रूप से उठा सके। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इन बारह 'प्र' को ध्यान में रखकर राजभाषा हिंदी का प्रभावी कार्यान्वयन करने की दिशा में सफलता प्राप्त होगी और हम सब मिलकर माननीय प्रधानमंत्री जी के 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत ; 'सुदृढ़ आत्मनिर्भर भारत' के सपने को साकार करने में सफल होंगे।

बैंक के वार्षिक निष्पादन के मुख्य बिन्दु

भुवन चन्द्र शर्मा - महा प्रबंधक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी, केंद्रीय कार्यालय

वित्त वर्ष 2020 - 2021 के परिणामों का सिंहावलोकन करते हेतु मस्तक गर्व से ऊंचा हो जाता है। देश में प्रतिकूल अर्थव्यवस्थात्मक परिस्थितियों तथा नाना प्रकार की चुनौतियों का समाना करते हुए भी हमारा बैंक सतत रूप से चारों तिमाहियों में लाभर्जन दर्ज़ करता चला आया है । ये टीम आइओबी के अथक प्रयासों का ही परिणाम है कि 6 वर्षों के लंबे समय के बाद बैंक ने 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए रू. 831 करोड़ का वार्षिक निवल लाभ अर्जित किया। यह हमारे सभी स्टाफ सदस्यों के अथक परिश्रम तथा प्रयास एवं हमारे प्रबंध निदेशक व कार्यपालक निदेशक महोदय के सक्षम दिशानिर्देशन के साथ-साथ प्रगतिशील नेतृत्व के परिणाम स्वरूप संपन्न हो पाया है । जिसके लिए बैंक के सभी स्टाफ सदस्य बधाई तथा प्रशंसा के पात्र हैं । निश्चित रूप से यह क्षण गौरवान्वित होने का क्षण है। स्वाभिमानित होने का क्षण है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने प्रयासों में किसी तरह की कोई शिथिलता आने दें और लक्ष्य प्राप्ति के पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने कदमों की रफ्तार को मद्धम पड़ने दें । हमें याद रखना होगा कि निरंतर चलने के कारण ही सूर्य वंदनीय है; जिस प्रकार ज्योति की लौ सदैव शीर्षोन्मुखी होती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी सदैव शीर्ष की ओर उन्नमुख रहना चाहिए । हमें भी प्रगति के पथ उसी प्रकार गतिमान रहना है तथा आने वाले वर्ष में और अधिक प्रगति सुनिश्चित करनी है । इसी के साथ हम हमारे बैंक के वित्तीय प्रदर्शन के प्रमुख अंश प्रस्तुत कर रहे हैं ।

31 मार्च 2021 को समाप्त वित्तवर्ष हेतु मुख्य प्रदर्शन

1. बैंक का कासा 31 मार्च 2020 की तुलना में 40.26% (घरेलू 40.67%) से बढ़ कर 31 मार्च 2021 को 42.52% (घरेलू 42.70%) हो गया । बैंक का कुल कासा 31.03.2020 को रू. 89.751 बढ़ कर 31 मार्च 2021 को रू. 102165 हो गया और 31 मार्च 2020 की तुलना में 31 मार्च 2020 को 13.83% की वृद्धि दर्ज की ।
2. 31 मार्च 2020 के 357723 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को बैंक का व्यापार रू. 379885 करोड़ है (6.20% की वृद्धि)
3. 31 मार्च 2020 की कुल जमा रू. 222952 करोड़ से बढ़ कर 31 मार्च 2021 को रू. 240288 करोड़ हो गई । बैंक ने थोक जमाओं तथा उच्च लागत जमाओं की प्रतिशतता को कम किया है एवं स्थायी तथा दीर्घ कालिक जमाओं की मात्रा के लिए खुदरा सावधि जमाओं को बढ़ाया है तथा निधियों की लागत को कम किया है ।
4. 31.03.2020 के रू. 134771 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 का सकल अग्रिम रू. 139597 करोड़ रहा । बैंक ने तनाव ग्रस्त क्षेत्रों, बाधित रूप में चिन्हित किए गए मानकों से निम्न स्तर के खातों तथा बीबी से नीचे चिन्हित किए गए खातों में नए विस्तार को न बढ़ाने की नीति विकसित की है । सुविधानुसार बैंक ने तनावग्रस्त क्षेत्र के खातों से भी खुद को बहार किया है ।
5. 31.03.2020 के रू. 3534 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 को बैंक का परिचालनगत लाभ रू. 5896 करोड़ रहा । जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 67% की वृद्धि दर्ज़ की गई ।
6. पिछले वर्ष (2019-20) की कुल आय रू. 20766 करोड़ की तुलना में बैंक की 31.03.2021 तक की कुल आय रू. 22525 करोड़ है ।
7. 31.03.2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए ब्याज उपचारित आय रू. 16966 करोड़ है ।
8. 31.03.2021 समाप्त वर्ष हेतु अन्य आय रू. 5559 करोड़ रहा ।
9. 31 मार्च 2020 के कुल व्यय रू. 17232 करोड़ की तुलना में में 31 मार्च 2021 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए कुल व्यय रू. 16629 करोड़ है ।

मार्च 20 की तुलना में मार्च 21 की आय की लागत में 59.21% से कम हो कर 48.54% रही ।

10. 31.03.2021 को एनपीए खातों में वसूली रू. 6831 करोड़ रही ।
    - मार्च 20 के जीएनपीए में 14.78 की तुलना में मार्च 21 के जीएनपीए में 11.69% की गिरावट आई है ।
    - मार्च 20 के एनएनपीए में 5.44% की तुलना में मार्च 21 के एनएनपीए में 3.58% की गिरावट आई है ।
    - मार्च 20 के 86.94% प्रावधान कवरेज अनुपात में सुधार के साथ मार्च 21 का प्रावधान कवरेज अनुपात 90.34% है ।

तिमाही दर तिमाही (उत्तरवर्ती) यानि 31 दिसंबर 2020 के आधार पर 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही हेतु मुख्य प्रदर्शन

1. 31 दिसंबर 2020 के रू. 371585 करोड़ के कुल व्यापार की तुलना में 31 मार्च 2021 का कुल व्यापार रू. 379885 करोड़ रहा ।
2. 31 दिसंबर 2020 के रू. 234116 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को कुल जमाएँ रू. 240288 करोड़ रहीं ।
3. 31 दिसंबर 2020 के कासा 40.93% की तुलना में 31 मार्च 2021 का कासा 42.52% है ।
4. 31 दिसंबर 2020 के रू. 137469 करोड़ की तुलना में 31.03.2021 का सकल अग्रिम रू. 139597 करोड़ रहा । बैंक ने पूंजी के प्रभावी उपयोग हेतु अपना ध्यान ऋण बही को पुनः संरेखांकित करने की ओर केन्द्रित किया है ।
5. 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही के परिचालनगत लाभ रू. 1731 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 का परिचालनगत लाभ रू. 1724 करोड़ रहा ।
6. 31 दिसंबर 2020 के रू. 213 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में 31.03.2021 का निवल लाभ रू. 350 करोड़ रहा ।
7. 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही की कुल आय रू. 5787 करोड़ की तुलना में बैंक की 31.03.2021 तक की कुल आय रू. 6074 करोड़ है ।
8. 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही की ब्याज उपचारित आय रू. 4244 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही की ब्याज उपचारित आय रू. 4057 करोड़ है ।
9. 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही हेतु रु. 1543 करोड़ की अन्य आय की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अन्य आय रु. 2016 रही ।
10. 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही हेतु रु. 4055 करोड़ के कुल व्यय की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कुल व्यय रु. 4349 रहा ।
11. एनपीए प्रबंधन : 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही हेतु रु. 16753 करोड़ के सकल एनपीए की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए सकल एनपीए रु. 16323 करोड़ रहा ।
12. 31 दिसंबर 2020 को समाप्त तिमाही हेतु रु. 1625 करोड़ की वसूली की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वसूली रु. 3934 करोड़ रही ।
13. निवल एनपीए जो कि 31 दिसम्बर 20 को समाप्त तिमाही में 3.13% के अनुपात में रु. 3905 करोड़ था, 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही हेतु 3.58% के अनुपात में रु. 4578 करोड़ रहा ।
14. प्रावधान कवरेज़ अनुपात जो कि 31 दिसंबर 2020 को 91.91% था उसकी तुलना में 31 मार्च 2021 को प्रावधान कवरेज़ अनुपात में 90.34% की कमी दर्ज़ की गई ।

31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही हेतु मुख्य प्रदर्शन – मार्च 20 की चौथी तिमाही की तुलना में मार्च 21 की चौथी तिमाही

1. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 222952 करोड़ के जमा की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए जमा रु. 240288 करोड़ रहा ।
2. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 134771 करोड़ के सकल अग्रिम की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए सकल अग्रिम रु. 139597 करोड़ रहा ।
3. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 357723 करोड़ के कुल व्यापार की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कुल व्यापार रु. 379885 करोड़ रहा ।
4. 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए परिचालनात्मक लाभ में 44% की वृद्धि दर्ज़ की गई है और यह 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही हेतु रु. 1197 करोड़ की तुलना में रु. 1724 करोड़ रही ।
5. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 144 करोड़ के निवल लाभ की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए निवल

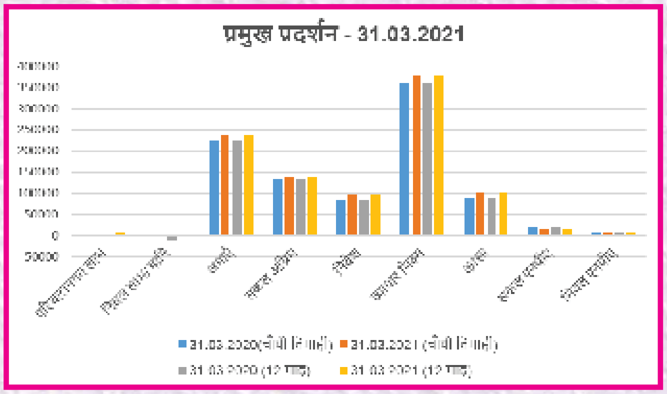

लाभ रु. 350 करोड़ रहा ।

6. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 5537 करोड़ की कुल आय की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कुल आय रु. 6074 करोड़ रही ।
7. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 4442 करोड़ की ब्याज से हुई आय की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए ब्याज से हुई आय रु. 4057 करोड़ रही ।
8. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 1095 करोड़ की अन्य आय की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए अन्य आय रु. 2016 करोड़ रही ।
9. 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए कुल व्यय रु. 4350 करोड़ रहा । 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 1430 करोड़ के परिचालनात्मक व्यय की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए परिचालनात्मक व्यय रु. 1695 करोड़ रहा ।
10. एनपीए प्रबंधन : सकल एनपीए जो कि 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 14.78% के अनुपात में रु. 19913 करोड़ था, 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही हेतु 11.69% के अनुपात में रु. 16323 करोड़ रहा ।
11. 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही के लिए रु. 2377 करोड़ की वसूली की तुलना में 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही के लिए वसूली रु. 3934 करोड़ रही ।
12. निवल एनपीए जो कि 31 मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में 5.44% के अनुपात में रु. 6603 करोड़ था, 31 मार्च 2021 को समाप्त तिमाही हेतु 3.58% के अनुपात में रु. 4578 करोड़ रहा ।
13. प्रावधान कवरेज़ अनुपात जो कि 31 मार्च 2020 को 86.94% थी उसकी तुलना में 31 मार्च 2021 को प्रावधान कवरेज़ अनुपात में 90.34 % की वृद्धि दर्ज़ की गई ।

पूँजी पर्याप्तता अनुपात (सीआरएआर):

विवरण	31.03.2021 को	बेसल III विनियामक आवश्यकताएँ
सीईटी 1	12.91%	5.50%
टियर I	12.91%	7.00%
टियर II	2.41%	2.00%
कुल सीआरएआर	15.32%	9.00%*

*सीसीबी के अलावा

कुल पूँजी में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त रु. 4100 करोड़ शामिल हैं ।

मुख्य वित्तीय अनुपात :

- 31.03.2020 को 60.45% की तुलना में 31.03.2021 को ऋण जमा अनुपात 58.10% रही ।
- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु 5.33% की तुलना में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु औसत जमा लागत 4.70% रही ।
- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु 7.01% की तुलना में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु अग्रिमों पर औसत प्रतिफल 8.00% रहा ।
- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु 59.21% की तुलना में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु आय पर लागत अनुपात 48.54% रही ।
- 31.03.2020 को समाप्त वर्ष हेतु 2.03% की तुलना में 31.03.2021 को समाप्त वर्ष हेतु निवल ब्याज मार्जिन 2.39% रहा ।

भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश

31.03.2021 को बैंक को भारत सरकार द्वारा पूंजी निवेश के रूप में 4100 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं, जिसके लिए बैंक 10/- रुपये के 2465423932 इक्विटी शेयरों को भारत सरकार को तरजीही आधार पर रु.16.63 प्रति इक्विटी शेयर (रु. 6.63 प्रति इक्विटी शेयर के प्रीमियम सहित) के निर्गम मूल्य पर नकद के लिए आवंटित करेगा। इस आवंटन के बाद, भारत सरकार की शेयरधारिता वर्तमान शेयरधारिता 95.64% से बढ़कर 96.38% हो जाएगी ।

भारतीय बैंकिंग और राजभाषा हिंदी

संजय किशोर - वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय - लखनऊ

भाषा ग्राहक सेवा का प्रथम सोपान है। ग्राहक सेवा का तो प्रारंभ ही भाषा से होता है। यदि आप ग्राहक से उसकी जानने वाली भाषा में बात करते हैं तो आप उसके हृदय को छू लेते हैं किंतु यदि आप उससे उसकी मातृभाषा में बात करते हैं तो आप उसकी आत्मा को स्पर्श कर लेते हैं। किसी भी कारोबार में ग्राहक सेवा की पहली शर्त है कि ग्राहक को उसकी भाषा में सेवाएं प्रदान की जाएं। भारतीय बैंकिंग में भाषा सिर्फ कारोबारी उपकरण के रूप में ही नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय अस्मिता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य में कहा गया है किः-

मातृभाषा परित्यज्य यों अन्य भाषामुपासते तत्र यांति हि ते देशः यत्र सूर्यों न भास्ते।

अर्थात जो अपनी मातृभाषा को छोड़कर अन्य भाषा की उपासना करता है, वह देश अंधकारमय हो जाता है।

जब हम भारतीय बैंकिंग में राजभाषा परिदृश्य की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि भारतीय बैंकिंग में यह मसला सेवा शर्तों और विधिक तथा सांविधिक अनुपालन से भी जुड़ा हुआ है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को भारत सरकार के राजभाषा संबंधी निदेशों यथा राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 का भी पालन करना होता है।

हिंदी भारतीय संघ की राजभाषा है। यह सामान्य जन मानस की भाषा है। अस्तु भारतीय बैंकिंग में हम राजभाषा को निम्न स्तर पर मूल्यांकन व अध्ययन कर सकते हैं –

बैंक की अनुपालन संस्कृति में राजभाषा का महत्व :

सावर्जनिक क्षेत्र के सभी बैंकों के लिए सरकारी दिशा-निदेशों का अनुपालन अपेक्षित है। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। राजभाषा अधिनियम 1963 और राजभाषा नियम 1976 के अनुपालन की जिम्मेदारी सभी बैंकों की है। राजभाषा नियम 1976 के नियम 12 के तहत किसी भी कार्यालय का प्रधान, राजभाषा कार्यान्वयन हेतु जिम्मेदार है। राजभाषा अधिनियम की धारा 3 का अनुपालन न केवल बाध्यता है बल्कि अनिवार्यता भी है। इस प्रकार राजभाषा संबंधी सरकारी अनुपालन की अपेक्षाओं को पूरा करने में राजभाषा विभाग एक अहम भूमिका निभाता है।

संसदीय राजभाषा समिति लगातार विभिन्न बैंकों में राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा करती रहती है। संसदीय समिति देश की सबसे बड़ी सांविधिक जांच समिति है। समिति के कार्यान्वयन संबंधी अनुपालन राजभाषा विभाग से ही संभव हैं इसके अतिरिक्त संसदीय समिति विभिन्न अन्य विषयों पर भी दौरा करती है एवं संसदीय समिति की रिपोर्ट को राजभाषा में प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

वित्तीय सेवाएं विभाग विभिन्न क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों के माध्यम से बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं में राजभाषा कार्यान्वयन की निगरानी करता है और प्रभावशाली कार्यान्वयन भी करवाता है। वित्तीय सेवाएं विभाग के कर्मचारी नियमित रूप से नराकास की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं, शाखाओं एवं कार्यालयों का दौरा करते हैं और तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से राजभाषा कार्यान्वयन की स्थिति का जायजा लेते हैं। इन सब प्रशासनिक अहर्ताओं को पूर्ण करने में राजभाषा का विशेष महत्व है।

राजभाषा संबंधी नियम भारतीय रिज़र्व बैंक पर भी लागू होते हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों का नियामक है। जब कभी नई शाखा को लाइसेंस बगैरा प्राप्त होता है तो शाखा निरीक्षण प्रारूप में राजभाषा संबंधी कई मदें होती हैं, इसलिए राजभाषा का अनुपालन करने से भारतीय रिज़र्व बैंक की कई मदों का स्वत: अनुपालन हो जाता है, जो कि बैंक की साख के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है।

हर शहर में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति होती है। समस्त सरकारी बैंक एवं सरकारी कार्यालय नराकास के सदस्य होते हैं और राजभाषा नीतियों का अनुपालन करते हैं। नराकास की छमाही बैठकों में प्रतिभागिता करना, नराकास को तिमाही, छमाही व वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करना हर सरकारी कार्यालय एवं अधीनस्थ के लिए अपेक्षित है।

हर बैंक का अपना बैंकिंग साहित्य होता है। राजभाषा में बैंकिंग साहित्य, बैंकिंग सूचनाओं व अन्य दिशा निर्देशों को राजभाषा के सहज रूप में प्रदान कराकर इसे आम जनमानस एवं कर्मचारियों के लिए सुलभ बनाया जाता है।

ग्राहक सेवा और राजभाषा

बैंक ग्राहकोन्मुखी प्रतिष्ठान है। एक संतुष्ट ग्राहक ही किसी भी बैंक की सबसे बड़ी पूँजी होता है। ग्राहको की सेवा का तो प्रारंभ ही राजभाषा से होता है। यदि आप ग्राहक को उसकी जानने वाली भाषा में बैंकिंग सुविधा प्रदान करेंगे तो ही सहज ग्राहक संवाद स्थापित हो पाएगा। देश की बहुसंख्यक जनता हिंदी में सहज है, यहां तक कि गैर हिंदी भाषी क्षेत्र में भी बहुसंख्यक आबादी हिंदी को पढ़ लेती है और समझलेता है। इस प्रकार ग्राहक को उनकी भाषा में बैंकिंग प्रदान करना राजभाषा विभाग की प्रमुख जिम्मेदारी हो जाती है।

राजभाषा नियम 1976 के नियम 11 के मुताबिक सारी स्टेशनरी एवं मुद्रण

सामग्री का द्विभाषिक एवं त्रिभाषिक में होना अनिवार्य है। स्टेशनरी ग्राहक सेवा में एक अहम भूमिका अदा करती है। यदि हम ग्राहकों को उनकी भाषा संबंधी स्टेशनरी प्रदान करें तो यह ग्राहक सेवा के प्रति एक अहम भूमिका अदा करता है।

राजभाषा विभाग का यह भी दायित्व है कि ग्राहकों द्वारा की जा रही शिकायतों एवं पत्रों का जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाए है। राजभाषा विभाग सुनिश्चित करता है कि ग्राहक के समस्याओं का निराकरण उन्हीं की भाषा में हो।

लाभप्रदता और राजभाषा

ग्राहक आधार बढ़ाने में राजभाषा का खासा महत्व है। जो बैंक राजभाषा हिंदी में काम-काज नहीं करते तथा जिन बैंकों के उत्पाद व प्रचार सामग्री यथा विज्ञापन एवं अन्य राजभाषा में उपलब्ध नहीं हैं, उन बैंकों की योजनाएं, उत्पाद व अन्य साख निर्माण संबंधी विषय वस्तु आम जन मानस तक नहीं पहुंच पाते, अस्तु ग्राहक आधार बढ़ाने में राजभाषा का खासा महत्व है।

राजभाषा विभाग का लाभप्रदता से प्रत्यक्षत: संबंध है। राजभाषा विभाग अपने प्रयासों से ग्राहकों को उनकी भाषा में बैंकिंग सुविधा प्रदान करने का प्रयास करता है। यदि हम पीएमजेजीवाई, पीएमएसबीवाई, सुकन्या समृद्धि, किसान विकास पत्र, पीपीएफ इत्यादि जैसे उत्पादों की सफलता की बात करें तो हम पाएंगे कि इन उत्पादों की सफलता का सबसे बड़ा राज आम जन मानस के मध्य इन उत्पादों को उनकी भाषा में प्रदान करना है। इस प्रकार राजभाषा विभाग उत्पादों को जनप्रिय बनाकर बैंक की लाभप्रदता में वृद्धि करता है।

बैंकिंग क्षेत्र में विविध अनुवाद संबंधी कार्यों की सतत रूप से जरूरत बनी रहती है। बैंकिंग साहित्य के अनुवाद में राजभाषा विभाग का प्रमुख योगदान होता है। राजभाषा विभाग संसदीय समिति संबंधी अनुवाद, सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त पत्रों का अनुवाद व अन्य बैंकिंग साहित्य का अनुवाद कार्य भी सम्पादित करता है। अनुवाद ही वह माध्यम है जो कि बैंकिंग की भाषा को विविध क्षेत्रीय ग्राहकों के मध्य परस्पर संबंध स्थापित करवाता है।

साख निर्माण और राजभाषा

स्थानीय नराकास, केन्द्रीय कार्यालय द्वारा राजभाषा में उत्कृष्ट कार्य करने वाली शाखाओं/ कार्यालयों को राजभाषा शील्ड पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं एवं इसके अलावा नराकासों को भी भारत सरकार से पुरस्कार प्राप्त होते हैं। नराकास के द्वारा बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के कर्मचारियों के लिए भी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। इन सभी पुरस्कारों से बैंकों/ वित्तीय संस्थानों की साख बढ़ती है और उनकी ब्रांड इमेज भी बनती है।

आजकल सभी बैंक वित्तीय संस्थान अखिल भारतीय लेखन प्रतियोगिताओं को आयोजित करते हैं । इन प्रतियोगिताओं में विजेता सदस्यों को अखिल भारतीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त होता है और उन्हें सेमीनार व अन्य में प्रतिभागिता करने का मौका भी मिलता है। इस प्रकार राजभाषा विविध बैंकों के कर्मचारियों की प्रतिभा को निखारने व बैंकिंग उद्योग में एक्य की भावना को पोषित करने का काम भी करता है।

बैंकिंग व्यवसाय में साख लाभप्रदता का प्रमुख अवयव है।राजभाषा में उत्पादों का प्रचार – प्रसार बैंक लिए सशक्त हथियार है। राजभाषा में किया गया प्रचार प्रसार देश कि बहुसंख्यक आबादी तक पहुंचता है। हमारी पॉलिसियां, उत्पाद, नियम सब कुछ राजभाषा में ही होना चाहिए तभी यह आखिरी पायदान पर खड़े ग्राहक तक पहुंच सकते हैं।

उक्त सब के अलावा अनुपालन को समय पर पूर्ण कर एवं विविध अन्य माध्यमों से भी साख का निर्माण होता है और बैंक की एक ब्रांड इमेज बनती है।

विज्ञापन और राजभाषा

विज्ञापन किसी भी उद्योग की धुरी होते हैं। व्यवसाय को बढ़ाने का प्रारंभिक व अंतिम टूल विज्ञापन ही है। राजभाषा का विज्ञापन में बहुत महत्व है। कई सर्वे कहते हैं कि भारत में अंग्रेजी बोलने वालों का प्रतिशत सिर्फ 2 प्रतिशत ही है जबकि अगर हम राजभाषा में विज्ञापन करें तो हम पूरे देश एवं हर ग्राहक वर्ग तक पहुंच सकते हैं।

राजभाषा विभाग सिर्फ हिंदी में ही विज्ञापनों को प्रकाशित करवाने के लिए जोर नहीं देता बल्कि गैर हिंदी भाषा भाषी क्षेत्रों में राजभाषा विभाग की प्राथमिकता रहती है कि वो स्थानीय भाषाओं में विज्ञापनों को प्रकाशित करवाए ताकि बैंकिंग इंडस्ट्री के उत्पाद आम जनमानस तक पहुंच सकें।

बैंकिंग प्रशिक्षण और राजभाषा

प्रशिक्षण बैंकिंग का एक प्रमुख अंग है। वित्तीय सेवाएं विभाग के दिशा निदेशों के अनुरूप सभी कर्मचारियों को सतत रूप से हिंदी का प्रशिक्षण देते रहना होता है। गैर हिंदी भाषा भाषियों को हिंदी सिखाने के लिए भी विभिन्न बैंकों द्वारा अलग-अलग पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इण्डियन ओवरसीज़ बैंक में गैर हिंदी भाषियों के लिए आइओबी प्रवीण नामक पाठ्यक्रम चलाया जाता है। इसके अलावा वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप विविध सामान्य बैंकिंग प्रशिक्षण हिंदी भाषा में ही आयोजित किए जाने चाहिए और साथ ही प्रशिक्षण संबंधी विविध पाठ्यक्रम व विषय वस्तु भी हिंदी में मौजूद होनी चाहिए, अस्तु प्रशिक्षण में राजभाषा विभाग का विशिष्ट महत्व है।

राजभाषा विभाग विभिन्न प्रतियोगिताओं को आयोजन कर बैंक कर्मचारियों को उनकी प्रतिभा निखारने के लिए मंच प्रदान करता है जिससे कि उनकी कुशलता और प्रतिभा में वृद्धि होती है। राजभाषा विभाग नियमित रूप से लेखन, सामान्य ज्ञान व अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित करता रहता है जिससे उनकी कुशलता में वृद्धि होती है और वे भविष्य में होने वाले पदोन्नति व अन्य

परीक्षाओं के लिए भी तैयार होते हैं।

राजभाषा विभाग द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों के लिए अखिल भारतीय स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। इन प्रतियोगिताओं से समस्त बैंकिंग क्षेत्र में एकता की भावना परिपोषित होती है और साथ ही लेखन के धनी बैंकिंग कर्मचारियों को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान होता है। चेतन भगत जैसे धुरंधर लेखकों का संबंध बैंकिंग इंडस्ट्री से ही रहा है।

वित्तीय साक्षरता और राजभाषा

वित्तीय साक्षरता में राजभाषा का प्रमुख स्थान है। अंग्रेजी में प्रकाशित सामग्री या अनूदित सामग्री आम जन मानस के समझ में नहीं आते। भारत में वित्तीय साक्षरता के अभाव का सबसे बड़ा कारण वित्तीय सूचनाओं का अंग्रेजी में मौजूद होना है। हिंदी के पाठक, ग्राहक तक अंग्रेजी सूचनाओं का हिंदी में अनुवाद कर प्रस्तुत किया जाता है। अनुवाद तो हमेशा से ही रसहीन होता है, और पाठक, ग्राहक मूल पाठ की सूचना के आकर्षण से वंचित रह जाता है और अनूदित पाठ की नीरसता से वह वित्तीय सूचनाएं प्राप्त करने में रूचि नहीं दिखाता। राजभाषा विभाग या स्थानीय भाषाओं में वित्तीय सूचनाएं यदि मूल रूप में उपलब्ध होंगी तो ग्राहकों के बीच वित्तीय जागरूकता फैलेगी और जब देश में वित्तीय साक्षरता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से देश का विकास होगा।

उपसंहार :

हिंदी राष्ट्र की भाषा है। यह अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अफगानिस्तान, नेपाल, फिजी, गुआना, पाकिस्तान, मॉरीशस जैसे देशों में बड़ी आसानी से हिंदी समझ ली जाती हैं। अमेरिका, बिट्रेन, जापान, आस्ट्रेलिया, कॅनाडा जैसे देशों में लाखों भारतीयों की भाषा है। अगर बैंकिंग में हिंदी का प्रचार-प्रसार किया जाए और राजभाषा का उचित कार्यान्वयन किया जाए तो बैंक न सिर्फ सर्वश्रेष्ठ ग्राहकोन्मुखी सेवाएं प्रदान करने में सक्षम होगा, बल्कि बैंक में लाभप्रदता में वृद्धि होने के साथ सरकारी दिशा-निदेशों का पालन करने में भी सक्षम होगा। किसी शायर ने कहा था कि –

देख जिंदा से परे रंग-ए-चमन जोश – ए – बहर,
रक़्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न देख ॥

जय हिंद -------जय हिंदी

हम आँखें मूंद लेते हैं

इच्छा से कभी, कभी प्रभाव में,
सच से आँखें मूंद लेते हैं ।
स्वार्थ में अपने, अक्सर ही,
कोई बहाना ढूंढ लेते हैं ।।

जिसपर बीती वो जाने,
उसके करम मान लेते हैं ।
हमपे न आए विपदा कोई,
बस एक दुआ माँग लेते हैं ।।

अहिंसा परमोधर्म कभी,
कभी धर्मयुद्ध खुद से ही चुन लेते हैं ।
गलत सही की परिभाषा,
सुविधा से बुन लेते हैं ।।

पूर्वाग्रह से प्रभावित,
निष्पक्षता का दम भरते हैं ।
भीड़ में गुम थे पहले से,
भीड़ ही बनकर रहते हैं ।।

इंसानियत का ढोंग रच,
एक मिनट का मौन धर लेते हैं ।
हमेशा बहाना ढूंढ लेते हैं ।।
हम आँखें मूंद लेते हैं ।।

भूषण लांजेवार
वरिष्ठ प्रबंधक ,क्षेत्रीय कार्यालय ,पुदुचेरी

हिन्दी कविता के एंग्री यंगमैन - ''धूमिल''

कश्मीर सिंह - सहायक महा प्रबंधक, आंचलिक लेखा परीक्षा कार्यालय, हैदराबाद

"क्या आजादी सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है,
जिन्हें एक पहिया ढोता है या
इसका कोई मतलब होता है ?"

'धूमिल' जी ने जब ऐसा लिखा होगा, सोचिये और अनुमान लगाइए कि कितनी पीड़ा रही होगी उनके मन में। हमारे धार्मिक ग्रन्थ "रामचरितमानस" में तुलसीदास जी ने लिखा है 'जाके पाँव न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई', इस पद में 'बिवाई और पीर' का जो पारस्परिक सम्बन्ध है, इस सम्बन्ध को ही 'धूमिल' जी ने शायद हृदय से जीया होगा। उसी का परिणाम रहा होगा कि "धूमिल" ने पीड़ा की इन निधियों को आत्मसात कर लिया ।

'धूमिल' विद्रोही पीढ़ी के कवि हैं। उनकी कविताएं एक ओर व्यक्तिगत और सामूहिक, सामाजिक और राजनैतिक विद्रूपताओं, विसंगतियों और विषमताओं के कारण उत्पन्न दुख-दर्द, उत्पीड़नजनित त्रासद स्थिति और जीवन की सड़ांध को तीव्रता से उभारती हैं, तो दूसरी ओर विषमता के ख़िलाफ़ विद्रोह और आक्रोश को ज़ोरदार अंदाज़ में व्यक्त भी करती हैं । 'धूमिल' के साहित्य-जगत में आने से पहले आलोचना कहानी-केन्द्रित थी, लेकिन 'धूमिल' के आते ही यह कविता केन्द्रित हो गई ।

"सुदामा पाँडे" जी हाँ यही है 'धूमिल' जी का वास्तविक नाम । जलते हुए जनतंत्र के साथ आम आदमी की विवशता और उच्च मध्यमवर्गों के आपराधिक चरित्रों को पहचान लेने वाले 'धूमिल' का जन्म नौ, नवंबर, 1936, को उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के खेवली गांव में श्री शिवनायक पाँडे के घर में श्रीमती रसवंती देवी के गर्भ से हुआ था ।

कविताओं में वर्जित प्रदेशों की खोज करने और छलिया व्यवस्था द्वारा पोषित हर परम्परा, सभ्यता, सुरुचि, शालीनता और भद्रता की ऐसी-तैसी करने को आक्रामक 'धूमिल' ने अपना छायावादी उपनाम क्यों रखा, इसकी भी एक दिलचस्प कहानी है ....

बनारस में उनके समकालीन एक और कवि थे - सुदामा तिवारी । वे अभी भी हैं और 'सांड' बनारसी उपनाम से हास्य कविताएं लिखते हैं । 'धूमिल' नहीं चाहते थे कि नाम की समानता के कारण दोनों की पहचान में कोई समस्या हो, इसलिए उन्होंने अपने लिए उपनाम की तलाश शुरू की और चूंकि कविता के संस्कार उन्हें छायावाद के आधार स्तंभों में से एक जयशंकर 'प्रसाद' के घराने से मिले थे, जिससे उनके पुश्तैनी रिश्ते थे, अतएव तलाश "धूमिल" शब्द पर ही खत्म हुई साहित्यिक क्षेत्र में यही मान्य है ।

''धूमिल'' भी उन बहुत से साहित्यकारों में से ही एक हैं जिनकी शिक्षा जीविका उपार्जन के माध्यम तक ही सीमित रही। वे ठीक से होश भी नहीं संभाल पाये थे कि उनके सिर से पिता का साया उठ गया और वाराणसी के एक इंटर कालेज में चल रही उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गयी । पढ़ने में यह भी आया कि है 13 वर्ष के होते-होते ही उनकी शादी भी कर दी गई थी और अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए उन्हें एक लकड़ी व्यापारी के यहां नौकरी करनी पड़ी।

1958 में उन्होंने एक औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आई टी आई), वाराणसी से इलेक्ट्रिकल्स में डिप्लोमा की पढ़ाई पूरी की और उसी संस्थान में अनुदेशक (Instructor) के पद पर नियुक्त हो गये l

''धूमिल'' के जीवित रहते ही, सन 1972 में उनका पहला और इकलौता कविता संग्रह प्रकाशित हुआ था –"संसद से सड़क तक" । इस संग्रह में कुल 25 कवितायेँ हैं इनमें से ज्यादातर कविताएँ लम्बी हैं और कुछ तो बहुत ही लम्बी भी ।

जब मैं इस संग्रह का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि 'धूमिल' को समझने के लिए दिल और दिमाग दोनों को ही तठस्थ रखना नितांत आवश्यक है । इस संग्रह की पहली कविता में तीन शब्दों 'हत्या, प्यार और कविता' के अध्ययन से मैंने जाना कि उन्होंने आम जन की पीड़ा को कितने करीब से देखा, परखा और सहा होगा । देखिये आप भी ....

'उसे मालूम है कि शब्दों के पीछे
कितने चेहरे नंगे हो चुके हैं
और हत्या अब लोगों की रुचि नहीं –
आदत बन चुकी है

वह किसी गंवार आदमी की ऊब से
पैदा हुई थी और
एक पढ़े लिखे आदमी के साथ
शहर चली गई ।'

'प्यार' अमीरजादों के चोंचले हो सकते हैं, शौक हो सकता है, या फिर मनोरंजन का एक माध्यम भी, लेकिन 'धूमिल' प्यार को कैसे परिभाषित करते हैं देखिये ....

'एक सम्पूर्ण स्त्री होने के पहले ही
गर्भाधान की क्रिया से गुजरते हुए
उसने जाना कि 'प्यार'
घनी आबादी वाली बस्तियों में
मकान की तलाश है l'

'धूमिल' सच्चे अर्थों में जनकवि हैं । लोकतंत्र को आकार – अस्तित्व देने वाले अनेक संस्थानों के प्रति मोहभंग, जनता का उत्पीड़न, सत्यविमुख सत्ता, मूल्य रहित व्यवस्था और कभी न समाप्त होने वाले पाखंड 'धूमिल' की कविताओं के केंद्र हैं l वे चेहरों में छिपे मुखोटों की पहचान करने में सिद्घहस्त हैं । इसीलिए 'कविता' में वे बेबाक ही कह देते हैं....

'हाँ, हो सके तो बगल से गुजरते हुए आदमी से कहो –
लो, यह रहा तुम्हारा चेहरा
यह जुलूस के पीछे गिर पड़ा था ।'

मैंने सुना था कि यदि आप किसी व्यक्ति के वास्तविक व्यक्तित्व को समझना चाहते हो तो उसका चेहरा नहीं, उसका शरीर शोष्ठव नहीं, उसके कपड़े मत देखिये, देखने हैं तो उसके जूते गौर से देखिये। यकीनन, 'धूमिल' को इसी परिप्रेक्ष में फिर नए सिरे से समझे जाने की जरूरत पड़ती है । 'धूमिल' की 'मोचीराम' कविता को 2006 में एनसीईआरटी की एक कक्षा की पाठ्यपुस्तक में शामिल कर लिया गया था l उस समय की कुछ शक्तियों को इस कवि और इनकी कविता दोनों से बहुत असुविधा हो गई थी । भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे लेकर आसमान सिर पर उठा लिया था और उसे बदलवा कर ही दम लिया था l हालांकि यह घटना उनकी मृत्यु के बाद की है। शायद ...उन्होंने इस सोच को केंद्र में रखकर ही यह लिखा होगा .....

"क्या आजादी, सिर्फ तीन थके हुए रंगों का नाम है,
जिन्हें एक पहिया ढोता है
या इसका कोई मतलब होता है ?"

'धूमिल' का किसी व्यक्ति का कद नापने का भी अपना एक नायाब तरीका है ... जो इस कविता में मुखर हो गया है वे कहते हैं ....

'असल बात तो यह है, कि वह चाहे जो है
जैसा है, जहाँ कहीं है, आजकल
कोई आदमी जूते की नाप से, बाहर नहीं है ।'

'मोचीराम' एक उतनी ही लम्बी कविता है जितनी एक सामान्य आदमी की जिन्दगी... एक अंश और देखिये ....

'और बाबूजी !
असल बात तो यह है कि ज़िंदा रहने के पीछे
अगर तर्क सही नहीं है
तो रामनामी बेचकर या रंडियों की
दलाली करके रोज़ी कमाने में, कोई फर्क नहीं है ।'

वसन्त ऋतु आती है तो मेरे जैसे कई लेखक और कवि जहाँ आम्र कुंजों, महुए के पेड़ और उन पर खिलने वाले पुष्पों की मंत्रमुग्ध कर देने वाली महक, स्वर्ण बिखराती पीली सरसों, प्रकृति में किसी नायिका की तलाश या फिर दहकता हुआ पलाश, प्रेम, प्रेमी और प्रेमिका की परिकल्पना कर प्रेमगीत और विरहा को शब्दबद्घ कर प्रास जोड़ने में तल्लीन रहते हैं वहीं ''धूमिल'' वसन्त पर अपने शब्दों को आम आदमी और उसकी आवश्यकताओं को परस्पर जोड़कर इस प्रकार एक नया अर्थ दे देते हैं ...

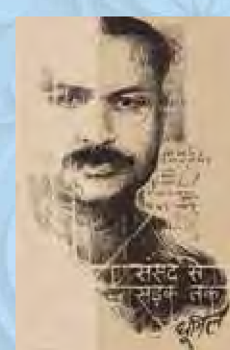

'मेरे लिए वसन्त
बिलों के भुगतान का मौसम है
और यह वक्त है मैं भी वसूल करूँ –
टूटती हुई पत्तियों की उम्र
जाड़े की रात में जले कुत्ते का दुस्साहस
वारंट के साथ आये अमीन की उतावली
और पडौसियों का तिरस्कार ।'

जनता के प्रायः सारे जरूरी सवालों पर मौन साधे रहने वाली संसद पर अपने खास अंदाज़ और तंजों के लिए हिंदी कविता के एंग्री यंगमैन नाम से मशहूर सुदामा पाँडे ''धूमिल'' ने अपनी कविता के माध्यम से उस समय जब यह सवाल किया होगा, तो कौन कह सकता है कि उस समय उनके दिलो-दिमाग में नए-पुराने सामंतों, थैलीशाहों और धर्मांधों द्वारा प्रायोजित देश के लोकतंत्र की साँसत कर डालने वाली उन कारस्तानियों

के अंदेशे नहीं थे, जिनके आज हम भुक्तभोगी हैं ? उनकी बहुचर्चित एक कविता का अंश पढ़ते हैं ....

एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है
एक तीसरा आदमी भी है, जो न रोटी बेलता है,
न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है
मैं पूछता हूं, यह तीसरा आदमी कौन है
और मेरे देश की संसद मौन है...

वरिष्ठ कथाकार 'काशीनाथ सिंह' जी ने लिखा हैं कि औपचारिक उच्च शिक्षा से वंचित 'धूमिल' बाद में कविता सीखने व समझने की बेचैनी से ऐसे 'पीड़ित' हुए कि जीवन भर विद्यार्थी बने रहे । उन्होंने अपने पड़ोसी नागानंद और कई शब्दकोशों की मदद से अंग्रेजी भी सीखी, ताकि उसकी कविताएं भी पढ़ व समझ सकें । अलबत्ता, विधिवत अध्ययन की कमी को उन्होंने जीवन भर झेला लेकिन मैं इस कमी को उनके साहित्य में नहीं देख पा रहा हूँ। उनका यूँ आजीवन विद्यार्थी होना दर्शाता है कि वास्तव में वे कितने विशाल हृदय के स्वामी थे ।

'धूमिल' जो देखते हैं, कहते हैं और रचते हैं उसके लिए किसी पीएचडी की डिग्री की नहीं बल्कि एक दृष्टि या यूँ कहें कि बस एक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है जो उनके कवित्व में हर जगह दृष्टिगोचर होता है । आलोचक प्रियदर्शन ने कहा था कि मुक्तिबोध और रघुवीर सहाय के बाद 'धूमिल' हमारे जटिल समय के ताले खोलने वाली तीसरी बड़ी आवाज हैं । जो बम मुक्तिबोध के भीतर कहीं दबा पड़ा था और रघुवीर सहाय के यहां टिक-टिक करता नजर आता था, 'धूमिल' की कविता के आते ही जैसे फट पड़ता है । कुछ इस तरह, कि उसकी किरचें हमारी आत्माओं तक पर पड़ती हैं । देखिये 'धूमिल' कितनी सहजता से कैसी-कैसी सच्चाइयों पर से परदा हटा देते हैं -

'यद्यपि यह सही है कि
मैं कोई ठंडा आदमी नहीं हूं, मुझमें भी आग है
मगर वह, भभक कर बाहर नहीं आती
क्योंकि उसके चारों तरफ़ चक्कर काटता
एक पूंजीवादी दिमाग़ है, जो परिवर्तन तो चाहता है

मैं एक कविता का संदर्भ बड़े ही मन से यहाँ करना चाहता हूँ और मैं यह दावे के साथ कहता हूँ कि 'सुदामा पांडे' ! जी हाँ यहाँ मैं उन्हें 'धूमिल' नहीं.. 'सुदामा पांडे के नाम से ही उदधृत करना चाहूँगा – जब यह कविता लिखते हैं तो मैं समझता हूँ जाति आपके नाम के साथ जुड़ी उपनामनुमा पूंछ से नहीं आपकी सोच और आपके कार्यों से परिलक्षित होती है । सुदामा पांडे जब मोची के अंतर्मन की बात को आत्मसात कर उसे कागज़ पर उकेरते हैं तब मैं उन्हें उच्च कुलीन ब्राह्मण ही नहीं, एक उच्च कुलीन मानवतावादी श्रेष्ठ व्यक्ति की श्रेणी में रखता हूँ । आइये देखते हैं उनकी यह अभिव्यक्ति ....

'और यह चोंकने की नहीं, सोचने की बात है,
मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है
जो असलियत और मनुष्य के बीच
खून के किसी कमजात मौके पर कायर है
वह बड़ी आसानी से कह सकता है
कि यार ! तू मोची नहीं, शायर है
असल में वह एक दिलचस्प ग़लतफ़हमी का
शिकार है, जो यह सोचता है कि पेशा एक जाति है
और भाषा पर, आदमी का नहीं
किसी जाति का का अधिकार है

'धूमिल' की कविताओं के शीर्षक भी आम कवियों से अलग हैं । शहर में सूर्यास्त, मकान एवं आदमी, शहर का व्याकरण, नगरकथा, मोचीराम, पटकथा, रोटी और संसद, मुनासिब कार्रवाई, कविता, प्रौढ़ शिक्षा, लोकतंत्र ताज़ा ख़बर, संदर्भ, गांव, समाजवाद, देश-प्रेम मेरे लिए, अकाल-दर्शन, क़िस्सा जनतंत्र, नक्सलवादी इत्यादि 'धूमिल' की ऐसी कविताएं हैं, जिनमें 'धूमिल' आम आदमी की ज़िन्दगी की असली तस्वीर पेश करते हैं । यह कहना ज़्यादा सही होगा कि उनकी कविता के एक-एक शब्द से आम आदमी के दुख-दर्द टपकते हैं । प्रौढ़ शिक्षा में सत्य है, व्यंग्य भी है, और संभावना भी l आइये देखते हैं....

'काले तख्ते पर सफ़ेद खड़िया से
मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ- 'अ'
और तुम्हारा मुख
किसी अंधी गुफा के द्वार की तरह
खुल जाता है – 'आsss !'

'शहर का व्याकरण', "संसद से सड़क तक" संग्रह की सबसे छोटी कविता है पर इसमें अनुदित जो दर्शन है वह बहुत ही विस्तृत और गंभीर है .....

'लोग आ रहे हैं – जा रहे हैं
धक्का दे रहे हैं – खा रहे हैं
और खुश हैं कि भीड़ सुख पा रहे हैं
मगर सुनों ! तुमने अपने कुत्ते को
दिन में क्यों खोल दिया है

इससे पहले की वह पकड़ लिया जाए
और चीर – फाड़ की किसी धारणा को साबित करते हुए
अस्पताल में हलाल हो
अगर तुम उसे नगर पालिका की नज़र से
बचाना चाहते हो, उसके गले में एक पट्टा डाल दो
सचमुच मजबूरी है, मगर ज़िंदा रहने की लिए
पालतू होना भी जरुरी है ।'

वैसे तो 'धूमिल' का सारा काव्य विधान जैसे नसों में लगभग तड़का लगा देने वाली भाषा में बना है l 'धूमिल' की कविता निर्भय परिवेश की आलोचनात्मक पहचान कराती है। अधिकांश कविता प्रजातंत्रीय व्यवस्था में घुसे अप्रजातंत्रीय तत्वों के परिणामस्वरूप शोषित, उपेक्षित जनता की मोह भंग मानसिकता नहीं, बल्कि तथाकथित 'सुराजियों' के असली, भयावह चेहरों से हमारा साक्षात्कार कराती है, जिनकी बदौलत हमारी आज़ादी तीन थके हुए रंगों को ढोने वाले पहिए में तब्दील हो रही है और प्रजातंत्र-एक ऐसा तमाशा, जिसकी जान मदारी की भाषा है, 'संसद-भवन' प्रवंचना-भवन बनता जा रहा है, क्योंकि रोटी से खेलने वाले 'बिचौलिए' संसद भवन में बड़ी-बड़ी कुर्सियों पर विराजमान हैं। राजनैतिक ढोंग, छल, पाखंड और उसकी मानव-विरोधी हरकतों पर 'धूमिल' की कविता प्रहार करती है।

'पटकथा' उस प्रक्रिया को चरम तक ले जाने वाली सबसे लम्बी कविता है । इसे पढ़ना, मतलब जीवन जी लेने जैसा है । देखिये एक छोटा सा अंश 'पटकथा' से ....

'सुनो !, आज मैं तुम्हें वह सत्य बताता हूं
जिसके आगे हर सच्चाई, छोटी है ।
इस दुनिया में, भूखे आदमी का सबसे बड़ा तर्क रोटी है ।
मगर तुम्हारी भूख और भाषा में
यदि सही दूरी नहीं है
तो तुम अपने-आप को आदमी मत कहो
क्योंकि पशुता, सिर्फ पूंछ होने की मजबूरी नहीं है l'
- 'धूमिल' कहते हैं और यह कविता अचानक मार्मिक हो उठती है.
इन सबके बीच, कविता में नेताओं के वादों से छला हुआ,
भूख की आग में जला हुआ, चुनाव दर चुनाव देखता हुआ,
उम्मीदों के चीथड़े पहने हुए
'खून और आँसू से तर चेहरा' लिए हुए
जैसे एक पूरा मुल्क बोलता है,'
'दुखी मत हो, यही मेरी नियति है,
मैं हिंदुस्तान हूँ, जब भी मैंने
उन्हें उजाले से जोड़ा है
उन्होंने मुझे इसी तरह अपमानित किया है
इसी तरह तोड़ा है l'

'धूमिल' की पटकथा - भूख, बेचैनी, गुस्से, यथार्थ और सपनों के बीच बनती हुई- समाजवाद से लेकर नक्सलबाड़ी तक आती-जाती हुई, संविधान से लेकर संसद तक सवाल खड़े करती हुई आज़ादी के लिबास में छुपी हुई गुलामी और लोकतंत्र की छाया में चल रहे शोषण और दमन की यह 'पटकथा' अभी ठीक से पढ़ी जानी बाकी है- लेकिन इसे पलटते ही जैसे एक आग सी सुलगने लगती है, एक बेचैनी सी घेरने लगती है l वैसे तो 'धूमिल' का पूरा संग्रह ही, लेकिन इस संग्रह 'संसद से सड़क तक' की यह आख़िरी कविता अनिवार्य रूप से पढ़ी जानी चाहिए ।

'धूमिल' के जीवित रहते 1972 में "संसद से सड़क तक" बस यही कविता संग्रह प्रकाशित हो पाया था । 'कल सुनना मुझे' उनके निधन के कई बरस बाद 1977 में प्रकाशित हुआ और उस पर 1979 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें मरणोपरांत दिया गया । बाद में उनके बेटे रत्नशंकर की कोशिशों से उनका एक और संग्रह छपा – "सुदामा पाँडे का प्रजातंत्र" ।

'धूमिल' जी को नौकरी के चक्कर में सीतापुर और बलिया आदि शहरों की हिजरत भी करनी पड़ी । मैं आनंदित होता हूँ यह जानकर कि 'धूमिल' जी ने सहारनपुर के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र (आई.टी.आई.) में भी नौकरी की । धूमिल जी का मन बनारस में ही रमता था या फिर खेवली में, जिससे अपना जुड़ाव उन्होंने कभी खत्म नहीं होने दिया था, और अंततः ब्रेन ट्यूमर के शिकार होकर 10 फरवरी 1975 को वे अचानक मौत से हार गए । आश्चर्य की बात यह भी है कि जब उनके निधन की खबर रेडियो पर प्रसारित हुई तब ही उनके परिजनों का इस सत्य से साक्षात्कार हुआ था कि वास्तव में 'धूमिल' जी बहुत बड़े कवि थे l

अपने आत्मकथ्यों में वे अपनी जिस मृत्यु को अनिश्चित लेकिन दिन में सैकड़ों बार संभव बताते थे, वह उस दिन आयी ही कुछ ऐसे दबे पांव थी कि बनारस के मणिकर्णिका घाट पर उनकी अंत्येष्टि के समय साहित्यिक क्षेत्र के मात्र दो पुरोधा श्री कुंवरनारायण और श्रीलाल शुक्ल ही पहुंच पाए थे ।

प्रेरक प्रसंग

ईर्ष्यालु बहनों की कहानी

(अलिफ लैला से साभार)

दारोगा ने अपनी देखरेख में वह भवन बनवाया। वह तैयार हो गया तो उसकी दीवारों पर प्रख्यात कलाकारों द्वारा बड़े सुंदर चित्र बनवाए और महल को हर प्रकार की सुंदर और मूल्यवान सामग्री से सजाया। उसके पास ही उसने बड़ी मनोरम पुष्प वाटिका बनवाई जहाँ वे लोग मन बहलाया करें। इसके अतिरिक्त एक बड़ा भूमिक्षेत्र घिरवा कर उसमें बहुत-से जंगली जानवर रखवाए ताकि वे लोग घर के समीप ही शिकार खेल सकें क्योंकि स्वस्थ रहने के लिए शिकार अच्छी कसरत है।

महल के बन जाने पर दारोगा ने बादशाह से निवेदन किया कि मैंने जंगल के पास एक नया मकान बनवाया है, आपकी अनुमति हो तो मैं बाग के छोटे मकान को छोड़ कर नए मकान में रहूँ। बादशाह उससे खुश था इसलिए उसे तुरंत अनुमति मिल गई। इससे कुछ वर्ष पूर्व दारोगा की पत्नी का देहांत हो गया था। महल बनवाने में उसका कुछ उद्देश्य पत्नी की मृत्यु का दुख भुलाना भी था। किंतु महल बनने के कुछ महीनों बाद ही वह अचानक बीमार हो कर मर गया। उसने काफी धन-दौलत छोड़ी थी और उन तीनों को जीविका की कोई चिंता न थी किंतु उसकी अचानक मौत से उन्हें बड़ा दुख हुआ। अंत समय में वह इन तीनों से इससे अधिक कुछ न कह सका कि आपस में मिल-जुल कर रहना।

उसके मरने पर उसका विधिपूर्वक अंतिम संस्कार करके तीनों बहन-भाई मिल-जुल कर रहने लगे। दोनों भाइयों को एक प्रतिष्ठित राज पद भी मिल गया यद्यपि उनकी बादशाह से भेंट न होती थी। एक दिन दोनों शहजादे शिकार खेलने को गए। परीजाद घर में अकेली थी, सिर्फ उसकी दो-एक दासियाँ उसके साथ थीं। उसी समय एक धर्मनिष्ठ वृद्धा वहाँ आ कर कहने लगी, बेटी, नमाज का समय है, अनुमति दो तो अंदर आ कर नमाज पढ़ लूँ। परीजाद ने तुरंत अनुमति दे दी। जब वह नमाज पढ़ चुकी तो परीजाद के इशारे पर दासियों ने उस बुढ़िया को सारा महल इत्यादि दिखाया। उसने खुश हो कर कहा कि निःसंदेह जिसने यह महल बनवाया है वह अपने कार्य का विशेषज्ञ है।

मकान दिखाने के बाद दासियाँ, बुढ़िया को परीजाद के पास ले आईं। परीजाद ने कहा, बैठिए, आप जैसी धर्मनिष्ठ महिला के साथ बात करके मैं स्वयं को भाग्यशाली मानती हूँ। बुढ़िया ने नीचे फर्श पर बैठना चाहा लेकिन परीजाद ने उसे खींच कर अपनी तख्त पर अपने बगल में बिठाया। बुढ़िया ने कहा, मालकिन, मेरी आपके साथ बैठने की हैसियत बिल्कुल नहीं है, लेकिन आपका अनुरोध टाल भी नहीं सकती, इसलिए बैठ रही हूँ।

परीजाद बुढ़िया से उसके ग्राम, परिवार आदि के बारे में बातें करने लगी। कुछ देर बार परीजाद की दासियों ने जलपान उपस्थित किया जिसमें भाँति-भाँति की रोटियाँ, नान, कुलचे तथा हरे फल और सूखे मेवे थे। कई प्रकार की मिठाइयाँ भी थीं। परीजाद ने कई चीजें अपने हाथ से उठा कर वृद्धा को दीं और कहा, अम्मा, अच्छी तरह पेट भर कर खाओ, तुम देर की अपने घर से निकली हो। थक भी गई होगी और रास्ते में कुछ खाया भी नहीं होगा। बुढ़िया ने कहा, बेटी, तुम जुग-जुग जियो। इतनी सुशील कोई अमीरजादी हो सकती है। यह बात मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं निर्धन हूँ, ऐसी स्वादिष्ट वस्तुएँ खाने की मेरी आदत नहीं है, लेकिन तुम इतने प्यार और आदर से कह रही हो तो खुशी से खाऊँगी। मैं इसे भगवान की दया समझती हूँ कि उसने मुझे तुम्हारा घर दिखाया।

नाश्ता करने के बाद परीजाद ने बुढ़िया से और भी बातें कीं क्योंकि वह कई विषयों की जानकार मालूम होती थी। उसे बुढ़िया से धर्म और ईश्वर भक्ति के बारे में कई प्रश्न पूछे जिनका उसने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया। फिर परीजाद ने बुढ़िया से पूछा, अम्मा, मेरे महल और बाग वगैरह के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या और भी कोई वस्तु है जो तुम्हारी राय में यहाँ होनी चाहिए? बुढ़िया हँस कर बोली, बेटी, यह प्रश्न मुझ से न करो तो अच्छा हो। मैं कुछ कहूँगी तो तुम कहोगी कि यह दो टके की बुढ़िया मेरे महल और बाग में नुक्स निकालती है। परीजाद ने जोर दे कर कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं कहूँगी। तुम जो कुछ कमी इसमें समझती हो वह मुझे जरूर बताओ, मैं उसे पूरा करने की कोशिश करूँगी।

बुढ़िया ने कहा, यहाँ सब कुछ है। किंतु मेरी समझ में यहाँ पर तीन चीजें और आ जाएँ तो संसार में तुम्हारा बाग अद्वितीय हो जाए। लेकिन उनका मिलना कठिन है। एक तो बुलबुल हजार दास्ताँ है। जब वह बोलता है तो हजारों चिड़ियाँ जमा हो जाती हैं और उसके स्वर में स्वर मिलाने लगती हैं। दूसरा एक गानेवाला पेड़ है। उसके पत्ते मोटे और चिकने हैं। जब हवा चलने पर पत्ते एक दूसरे से रगड़ खाते हैं तो उनसे मधुर संगीत निकलता है। इस संगीत से हर एक सुननेवाला मुग्ध हो जाता है। तीसरी वस्तु है सुनहरा पानी। उसकी एक बूँद किसी बर्तन में रख दी जाए तो वह बर्तन अपने आप भर जाता है और फिर उसमें से एक फव्वारा निकलता है जो कभी नहीं रुकता, क्योंकि वह पानी लौट कर उसी बर्तन में गिरता है।

परीजाद बोली, अम्मा, तुम्हें इन चीजों के बारे में इतने विस्तार से पता है तो यह भी जानती होगी कि यह वस्तुएँ कहाँ मिलती हैं। मुझे बताओ तो मैं उनकी प्राप्ति का प्रयत्न करूँ। वृद्धा ने कहा, पूरा हाल तो मैं नहीं बता सकती लेकिन इतना बता सकती हूँ कि इस देश में कहीं भी यह चीजें नहीं मिल सकतीं। यहाँ से कोई व्यक्ति अमुक दिशा में जाए और सीधा चलता ही चला जाए तो बीस दिन की यात्रा के बाद जो पहला व्यक्ति उसे मिले उससे पूछे कि यह तीनों वस्तुएँ कहाँ मिलेंगी। वही आगे की राह बताएगा। अच्छा बेटी, अब मुझे काफी देर हो गई है, मैं चलूँगी।

बुढ़िया को यह क्या मालूम था कि परीजाद इतनी साहसी लड़की है कि खुद इन चीजों की तलाश में निकल पड़ेगी। इसलिए इसने विस्तार से वह सब कुछ बता दिया जो उसे मालूम था। परीजाद ने उसकी बताई एक-एक बात याद रखी। वह इस चिंता में पड़ गई कि उपर्युक्त तीनों चीजें कैसे प्राप्त की जाएँ। कुछ देर बाद दोनों शहजादे शिकार से वापस आए तो देखा कि बहन गहरी चिंता में डूबी है। उन्होंने कहा, क्या बात है, परीजाद? तुम्हारी कुछ तबीयत खराब है या कोई बात तुम्हारी मरजी के खिलाफ हो गई। परीजाद ने सिर झुका कर कहा, नहीं, कोई बात नहीं है।

बहमन ने कहा, यह तुम झूठ कह रही हो। कुछ ऐसा है जरूर जो तुम्हें दुख दे रहा है। अगर तुम नहीं बताओगी तो हम तुम्हारे पास से उठ कर नहीं जाएँगे। जब परीजाद ने देखा कि दोनों भाई बात के जानने पर अड़े हुए हैं तो उसने कहा, मैं तुम्हें इसलिए नहीं बताती थी कि जो मैं कहूँगी उससे तुम चिंता और कष्ट में पड़ जाओगे। अब तुम जिद कर रहे हो तो बताए देती हूँ। हमारे पिता ने यह महल हमारे लिए बनवाया था और अपनी समझ में उन्होंने सुंदरता और सजावट की कोई चीज यहाँ लाने से न छोड़ी। मैं भी अभी तक यही समझती थी कि इसमें कोई कमी नहीं है किंतु आज मुझे तीन चीजों के बारे में मालूम हुआ कि अगर यहाँ आ जाएँ तो हमारा महल अद्वितीय हो जाए।

शहजादों ने कहा, कौन-सी चीजें हैं वे? परीजाद बोली, एक तो आदमियों जैसा बोलनेवाला बुलबुल हजार दास्ताँ है जिसका संगीत सुनने और जिसके स्वर में स्वर मिला कर गाने के लिए हजारों पक्षी आ जाते हैं। दूसरा गानेवाला पेड़ जिसके पत्तों के रगड़ खाने से संगीत निकलता है। तीसरे सुनहरा पानी है जिसकी एक बूँद ही से कभी न खत्म होनेवाला फव्वारा बन जाता है। मैं इसी चिंता में हूँ कि इन्हें कैसे प्राप्त करूँ। बहमन ने कहा, अगर तुम यह बता दो कि कहाँ या किस ओर जाने से यह चीजें मिलेंगी तो मैं कल सुबह ही रवाना हो जाऊँ। परवेज ने उसे उद्यत देख कर कहा, भैया, तुम्हारी बुद्धि और बल में संदेह नहीं किंतु अच्छा हो अगर तुम यहाँ रह कर यहाँ का कामकाज सँभालो। बहमन बोला, साहस और बुद्धि तुम में भी कम नहीं है। लेकिन मैं बड़ा हूँ, इसलिए इस मामले में आगे भी मुझे ही को होना चाहिए।

दूसरे दिन बहमन ने अपनी बहन से पूरी जानकारी ली और अस्त्र-शस्त्र ले कर घोड़े पर बैठ गया। अब परीजाद उसे देख कर रोने लगी और बोली, भैया, मैं भी बड़ी दुष्ट हूँ जो अपने जरा-से शौक के लिए तुम्हें मुसीबत में फँसा रही हूँ। मैं अपनी माँग वापस लेती हूँ। अब कभी तीनों चीजों में एक का भी उल्लेख नहीं करूँगी। तुम न जाओ। बहमन ने कहा, एक बार कमर कस कर मैं पीछे नहीं हटता। अगर अब मैं सफर नहीं करता तो हमेशा मेरे दिल में यह खटक रहेगी कि मैं कायर हूँ।

परीजाद ने कहा, यहाँ हम लोग भी तो परेशान रहेंगे। हमें नहीं मालूम हो सकेगा कि तुम किस हाल में हो। बहमन ने कहा, इसका प्रबंध मैं कर रहा हूँ। यह खंजर लो। यह जादू की चीज है। रोज इसे म्यान से निकाल कर देखना। अगर यह साफ और चमकता हुआ दिखाई दे तो समझना कि मैं जहाँ भी हूँ सकुशल हूँ। लेकिन अगर इसमें से खून की बूँदें टपकने लगें तो समझ लेना कि मैं जीवित नहीं रहा। यह सुन कर परवेज और परीजाद और अधीर हुए और बहमन से कहने लगे कि ऐसी खतरनाक यात्रा न करो। लेकिन बहमन ने उनकी बात न सुनी और घोड़ा दौड़ा दिया।

बहमन सीधी राह पर लग लिया। उसने ध्यान रखा कि कहीं दाएँ-बाएँ न मुड़ जाए। फारस की राजधानी से बीस दिन की राह पूरी करने पर वह सोच रहा था कि आगे जाऊँ या न जाऊँ। तभी उसे एक अजीब-सा दृश्य दिखाई दिया। एक घने पेड़ के नीचे एक झोपड़ा पड़ा हुआ था और उसके बाहर एक बूढ़ा बैठा था जिसे बहुत ध्यान से देखने पर ही मालूम होता था कि कोई आदमी बैठा है। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे। उसके सर, दाढ़ी, मूँछों और भौंहों के बाल इतने बढ़ गए थे कि उसका सारा शरीर बालों से ढक गया था। उसके हाथों और पैरों के नाखून बहुत बढ़ गए थे और कीलों की तरह मालूम होते थे और उसके सिर पर एक लंबी टोपी रखी हुई थी। उसने अपना शरीर एक चटाई से ढक रखा था। जिसके ऊपर उसके अपने बाल पड़े हुए थे। बहमन उसे देख कर समझ गया कि वह कोई तपस्वी सिद्ध है जो ऐसे दुर्गम और निर्जन स्थान में अकेला बगैर खाए-पिए तपस्यारत है।

बहमन को तो तलाश थी ही कि कोई आदमी मिले क्योंकि पहला मिलनेवाला ही उसे गंतव्य स्थान का पता दे सकता था। वह यह भी समझ गया कि पहला और आखिरी आदमी यहाँ यह ही मिल सकता है और यह भी स्वाभाविक ही है कि ऐसी दुर्लभ वस्तुओं का पता किसी सिद्ध तपस्वी से लगे। बहमन घोड़े से उतरा और उसने वृद्ध तपस्वी के पास जा कर प्रणाम किया। बहमन को उस जगह से जहाँ वृद्ध का मुख हो सकता था कोई ध्वनि तो सुनाई दी किंतु उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया।

(शेष अगले अंक में ..)

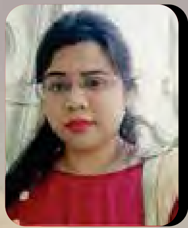

सोलह शताब्दियों की गाथा हागिया सोफिया

नेहा रंजन - सहायक प्रबंधक , राजभाषा विभाग , केंद्रीय कार्यालय

पहले चर्च , फिर मस्ज़िद , फिर संग्रहालय और मौजूदा समय में फिर से मस्जिद के रूप में परिवर्तित हागिया सोफिया (Hagia Sophia) तुर्की की राजधानी इस्तांबुल में स्थित है । इस ऐतिहासिक इमारत के बारे में बात करते हुए जो पहली चीज़ हमारे सामने आती है वह यह कि किस प्रकार सत्ता और हकूमतों की वर्चस्व की लड़ाई ने इस पवित्र स्थल के इतिहास और वर्तमान को बदल कर रख दिया। हागिया सोफिया , जिसे वर्तमान समय में आधिकारिक रूप से पवित्र बड़ी मस्ज़िद के रूप में जानी जाती है, को लैटिन भाषा में सैंक्टा सोफिया (Sancta Sophia) और तुर्की भाषा में अया सोफिया (Ayasofya) नामों से भी जाना जाता है । 537 ई. में तुर्की की तत्कालीन राजधानी कॉन्स्टेनटिनोपोल या कस्तुनतुनिया में पितृसत्तात्मक गिरजाघर के रूप में निर्मित हागिया सोफिया पूर्वी रोमन साम्राज्य (बीजंटाइन साम्राज्य) का सबसे बड़ा ईसाई चर्च था और जिसका डिजाइन ग्रीक ज्यामितिज्ञ मिलेटस के इसिडोर और ट्रालेस के एन्थेमियस द्वारा तैयार किया गया था । 1453 ई. में ऑटोमन साम्राज्य के हाथों रोमन साम्राज्य की पराजय या कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद, इस स्थल को मस्ज़िद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था , जिसे आगे चल कर 1935 में धर्मनिरपेक्ष तुर्की गणराज्य ने एक संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया ।वर्ष 2020 में इस स्थल को मस्ज़िद घोषित कर दिया गया । 10 जुलाई 2020 को तुर्की के राष्ट्रपति तैय्यप एर्दोगन ने ऐलान किया कि हागिया सोफिया जो अभी तक संग्रहालय के रूप में प्रसिद्ध था ,उसे नमाज के लिए खोला जा रहा है ।

पूर्वी रोमन सम्राट जस्टिनियन I द्वारा 532 और 537 ई. के मध्य रोमन साम्राज्य के राज्य चर्च के रूप में निर्मित कॉन्स्टेंटिनोपल के इस ईसाई गिरजाघर को उस काल में दुनिया का सबसे बड़ा इबादत स्थल माना जाता था और इसे पेंडेटिव (गुंबजीय त्रिभुज) गुम्बद की शैली को अपनाने वाली पहली ऐतिहासिक इमारत के रूप में जाना जाता है । यह बीजान्टिन वास्तुकला का प्रतीक है और इसकी वास्तुकला के संबंध में यह कहा जाता है कि " इसने वास्तुकला का इतिहास बदल दिया" । वर्तमान जस्टिनियन इमारत इस जगह पर स्थापित इसी नाम का तीसरा चर्च है , इसके पूर्ववर्ती चर्च नीका दंगों में नष्ट / ध्वस्त हो गए थे । वर्ष 1520 में सेविल कथेड्रल के निर्माण पूरा होने तक हागिया सोफिया लगभग 1000 वर्षों तक दुनिया के सबसे बड़े कथेड्रल का रूप में प्रसिद्ध रहा । बीजान्टिन वास्तुकला से निर्मित हागिया सोफिया समय के साथ रूढ़िवादी चर्च का उदाहरण बन गया और लगभग 1000 वर्षों के बाद ऑटोमन साम्राज्य द्वारा निर्मित मस्ज़िदों में भी इसकी वास्तुकला का अनुसरण किया गया । इसे "ईसाई दुनिया में एक अद्वितीय स्थान धारण करने वाले " और बीजान्टिन व पूर्वी रूढ़िवादी सभ्यता के वास्तुशिल्प और सांस्कृतिक आइकॉन के रूप में वर्णित किया जाता है।

यह चर्च पवित्र ज्ञान, लोगोस (ईसामसीह) और त्रिमूर्ति के दूसरे दिव्य व्यक्ति (गॉड द सन) को समर्पित था। सोफिया शब्द ज्ञान के लिए ग्रीक शब्द का लैटिन लिप्यंतरण है । हालांकि, इसे कभी-कभी सैंक्टा सोफिया 'सेंट सोफिया' के नाम से भी संदर्भित किया जाता है। लगभग एक हजार वर्षों तक पूर्वी रूढ़िवादी चर्च का केंद्र रही यह इमारत कई महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं की साक्षी रही, जैसे कि पूर्व व पश्चिम के बीच के मतभेद का आरंभ माने जाने वाली प्रमुख घटना यानि सिल्वा कैंडिडा के हमबर्ट (जो कि वर्ष 1054 में पोप लियो IX के कैथलिक दूत थे) द्वारा आधिकारिक रूप से कुलपति माइकल I सेरुलरियस का बहिष्कार ,इत्यादि । वर्ष 1204 में इसे लैटिन साम्राज्य के तहत चौथे धर्मयोद्धाओं द्वारा रोमन कैथोलिक कैथेड्रल में परिवर्तित किया गया । 1261 में बीजान्टिन साम्राज्य की वापसी होने पर इसे पुनः पूर्वी रूढ़िवादी चर्च के रूप में बहाल कर दिया गया । 1204 में चौथे धर्मयुद्ध के नेतृत्वकर्ता और कॉन्स्टेंटिनोपल की तबाही में प्रमुख भूमिका निभाने वाले एनरिको डैंडोलो को इसी चर्च में दफनाया गया था ।

वर्ष 1453 में ओटोमन साम्राज्य के हाथों कॉन्स्टेंटिनोपल के पतन के बाद, इसे महमद द्वितीय द्वारा एक मस्जिद में बदल दिया । चर्च में मौजूद ईसाई धर्म से संबंधित सभी निशानियाँ जैसे घंटियाँ , अल्टर ,इक्नोस्टसिस (यानि गिरजाघर में उपसना वेदी को शेष भाग से अलग करने वाला परदा जिस पर प्रतिमाएँ रखी जाती है) , बाप्टिस्टेरी , इत्यादि को हटा दिया गया और उनके अवशेषों को नष्ट कर दिया गया । दीवारों पर बने ईसा मसीह , मदर मेरी , ईसाई संतों के चित्रों और देवदूतों के चित्रों को या तो हटा दिया

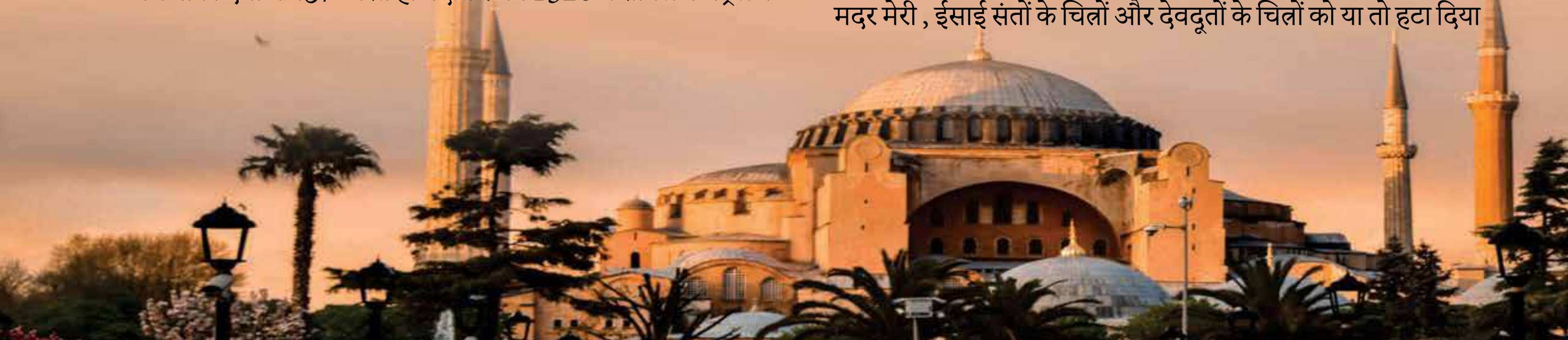

गया या उनपर पुताई कर दी गई । उनके स्थान पर इस्लामिक विशेषताओं वाले वास्तुशिल्प को जोड़ दिया गया । अपने प्रारंभिक रूपांतरण से वर्ष 1616 में निर्मित सुल्तान अहमद मस्जिद, उर्फ नीली मस्जिद के निर्माण तक यह इस्तांबुल की प्रमुख मस्जिद थी। 1931 तक एक मस्जिद के रूप में प्रसिद्ध रहे इस स्थल को चार साल तक जनता के लिए बंद कर दिया गया था। 1935 में तुर्की के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य द्वारा इसे संग्रहालय के रूप में फिर से खोला गया था। संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2015 और 2019 में हागिया सोफिया तुर्की का सबसे बड़ा पर्यटक आकर्षण था। जुलाई 2020 की शुरुआत में, राज्य की परिषद ने संग्रहालय की स्थापना के लिए कैबिनेट के 1934 के फैसले को रद्द कर दिया और तुर्की के तत्कालीन राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन ने हागिया सोफिया को मस्जिद के रूप में पुनर्निर्मित करने का आदेश दिया। पुनर्निर्माण का यह आदेश काफी विवादास्पद रहा और तुर्की विपक्ष, यूनेस्को, वर्ल्ड कॉउंसिल ऑफ चर्च , बीजांटिन अध्ययन हेतु बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संघ और कई अंतर्राष्ट्रीय नेताओं द्वारा इस कदम की कड़ी निंदा की गई ।

इतिहास

कॉन्स्टेंटियस II का चर्च

इस स्थल पर निर्मित पहले चर्च को शहर में समकालीन चर्चों की तुलना में इसके बड़े आयामों के कारण मैग्ना एक्लेसिया या 'ग्रेट चर्च' के रूप में जाना जाता था । क्रोनिकन पास्काले के अनुसार,"*इस चर्च को फरवरी 360 में सम्राट कॉन्स्टेंटियस द्वितीय के शासनकाल के दौरान एंटिओक के बिशप यूडॉक्सियस द्वारा पवित्र किया गया था।"* प्रोपीलैम की दीवार के नीचे दबे हुए पहले चर्च की साइट के पश्चिमी हिस्से में उत्खनन से पता चलता है कि पहला चर्च लगभग 8 मीटर (26 फीट) चौड़ी एक सड़क के ऊपर बनाया गया था। कांस्टेंटिनोपल के संरक्षक जॉन क्राइसोस्टॉम और सम्राट एरेलियस की पत्नी महारानी ऐलिया यूडोक्सिया के बीच हुए मतभेद की वजह से संरक्षक को जून 404 में निर्वासन में भेज दिया गया था। बाद के दंगों के दौरान यह चर्च काफी हद तक जल गया था। । डार्क एंड कोस्टेनेक के अनुसार, *आग ने मुख्य बेसिलिका को प्रभावित किया होगा और इसके आसपास की सहायक इमारतें बच गई होंगी ।*

थियोडोसियस II का चर्च

इस साइट पर दूसरी चर्च का निर्माण थियोडोसियस II के आदेश से किया गया , जिसका उद्घाटन 10 अक्टूबर 415 में किया गया। नोसिसिया अर्बिस कॉन्सटेंटिनोपोलिटनिया (सम्राट थियोडोरियस द्वितीय के शासनकाल के दौरान कॉन्स्टेंटिनोपोल में स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और नागरिक अधिकारियों की एक सूची) के अनुसार हागिया सोफिया को मैग्ना एक्लेसिया या 'ग्रेट चर्च' के रूप में और पूर्व कैथेड्रल हागिया इरेन को एक्लेसिया एंटीक यानि 'ओल्ड चर्च' के रूप में वर्णित किया गया है। थियोडोसियस II के शासनकाल के दौरान, सम्राट की बड़ी बहन, अगस्टा पुल्केरिया और संरक्षक नेस्टोरियस के बीच कुछ आपसी मतभेद के फलस्वरूप संरक्षक ने अगस्टा को संभवतः "ग्रेट चर्च" के आरामगाह में प्रवेश की अनुमति नहीं दी ।अनाम लेटर ऑफ कॉसमॉस के अनुसार वर्जिन साम्राज्ञी , जो कि वर्जिन मैरी की पंथ की प्रवर्तक थीं और जिन्हें नेस्टोरियस के पूर्वजों के जमाने में यूचरिस्ट को उस स्थान पर ले जाने की आदत थी, ने वर्जिन मैरी (थियोटोकस या ईश्वर को जन्म देने वाली) के समतुल्य होने पर उस स्थल पर प्रवेश करने के अधिकार का दावा किया था । उनके धार्मिक मतभेद थियोटोकोस की उपाधि पर हुए मतभेद का हिस्सा थे जिसके परिणामस्वरूप इफिसस परिषद और मोनोफाइटिज़्म और नेस्टोरियनवाद ने भी नेस्टोरियस की तरह इस बात पर आपत्ति जताई । पुल्केरिया ने पोप सेलेस्टाइन I और अलेक्जेंड्रिया के संरक्षक सिरिल के साथ मिल कर नेस्टोरियस को पद से हटाने की योजना बनाई और परिषद के समक्ष उसकी निंदा करने के पश्चात उसे निर्वासित कर दिया ।

जर्मन पुरातत्वविद् अल्फोंस मारिया श्नाइडर ने 1930 के दशक के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन शुरू किया और 1941 में उन्होंने इस संबंध में अपनी अंतिम रिपोर्ट प्रकाशित की। इस उत्खनन कार्य के दौरान जस्टिनियनिक हागिया सोफिया के पश्चिमी प्रवेश द्वार के क्षेत्र में इसके थियोडोसियन पूर्ववर्ती चर्च और कॉन्स्टेंटिनियन चर्च के कुछ अंशों के अवशेष प्राप्त हुए हैं ।

पाँचवी शताब्दी के दौरान कॉन्स्टेंटिनोपल के हिप्पोड्रोम के पास शुरू हुए निक्का विद्रोह की वजह से आग लग गई और 13-14 जनवरी 532 को दूसरी हागिया सोफिया चर्च भी उस विद्रोह के दौरान लगी आग के चपेट में आ गई ।

सभा के इतिहासकार प्रोकोपियस का कहना है कि

"और यह मानते हुए कि उन्होंने [दंगाईयों] न केवल सम्राट के खिलाफ हथियार उठाया था बल्कि वे खुद भगवान के खिलाफ भी थे, अपवित्र लोगों ने कहा कि ये वे लोग थे, उन्हें ईसाइयों के उस चर्च में आग लगाने के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ा था , जिसे बीजान्टियम के लोग "सोफिया" कहते हैं, जिसे उन्होंने भगवान के लिए सबसे उपयुक्त रूप से प्रयोग किया है, जिसके द्वारा वे उसे अपना मंदिर कहते हैं; और भगवान ने उन्हें इस अशुद्धता को पूरा करने की अनुमति दी ताकि इस पवित्र स्थल को एक खूबसूरत स्थल में परिवर्तित या रूपांतरित किया जा सके। इस प्रकार उस समय का चर्च खंडहरों के एक बर्बाद विशाल समूह में बदल गया था ।"

चर्च ऑफ जस्टिनियन I (वर्तमान संरचना)

23 फरवरी 532 को चर्च की दूसरी इमारत के विध्वंस के कुछ सप्ताह के बाद ही सम्राट जस्टिनियन I ने उस इमारत के स्थान पर तीसरी और उससे भी ज्यादा भव्य व आलीशान चर्च के निर्माण का निर्णय लिया । इस चर्च का डिजाइन एंथेमियस ऑफ ट्राल्लेस और इसिडोर ऑफ मिलेटस द्वारा तैयार किया गया । चर्च का निर्माण 532 में रोमन साम्राज्य के आला अधिकारी फोकास के छोटे से कार्यकाल में आरंभ हुआ । जॉन द लाइडन के अनुसार फोकास द्वारा इस चर्च के शुरुआती दिनों के निर्माण कार्य हेतु 4000 रोमन स्वर्ण मुद्राएँ प्रदान की गई थीं। जॉन द लाइडन ने चर्च को "टेमेनॉस ऑफ ग्रेट गॉड" के रूप में वर्णित किया है ।

जस्टिनियन ने मिलिटस के जियोमीटर और इंजीनियर इसिडोर और ट्रेल्स के गणितज्ञ एंथमियस को आर्किटेक्ट के रूप में चुना। निर्माण का वर्णन प्रॉपोपियस की किताब ऑन बिल्डिंग्स (On Buildings) में किया गया है। प्रोकोपियस ने अपनी किताब डी एडिफिसियस में थियोडोसियन हागिया सोफिया के विनाश और पुराने चर्च के साथ नए चर्च की तुलना करने के दौरान जस्टिनियनिक इमारत की प्रशंसा करते हुए लिखते हैं :

"... सम्राट जस्टिनियन ने इतनी बारीकी से इस चर्च का निर्माण किया कि यदि कोई इसके जलने से पूर्व ईसाईयों से इसके बारे में पूछता तो वे भी यही इच्छा ज़ाहिर करते कि इस चर्च के नष्ट होने के बाद तत्कालीन चर्च जैसे ही किसी चर्च का निर्माण इस स्थान पर किया जाए । इमारत की तत्कालीन या मौजूदा स्थिति देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने इसके लिए प्रार्थना की होगी कि वे अपने चर्च को नष्ट होते देखें, ताकि इमारत को उसके वर्तमान स्वरूप में परिवर्तित किया जा सके।"

सम्राट जस्टिनियन और संरक्षक मेनस ने 27 दिसंबर 537 को (यानि इस चर्च के निर्माण आरंभ होने से 5 साल और 10 महीने के बाद) नई बेसिलिका का उद्घाटन बहुत धूमधाम के साथ किया। हागिया सोफिया कॉन्स्टेंटिनोपोल के संरक्षक हेतु बनाया गया एक महत्वपूर्ण स्थान था । साथ ही इस स्थल पर बीजान्टिन शाही समारोहों जैसे राज्याभिषेक, इत्यादि का भी आयोजन किया जाता था । पूरे ईसाई जगत के अन्य चर्चों की तरह, यह बेसिलिका भी सभी को (जिनमें अपराधी और अत्याचारी भी शामिल थे) शरण प्रदान करती थी ।

अगस्त 553 में और 14 दिसंबर 557 को आए शक्तिशाली भूकंप की वज़ह से इसके मुख्य गुंबद और पूर्वी अर्ध-गुंबद में दरारें आ गईं । जस्टिनियन ने भूकंप के कारण इमारत को हुए नुकसान की मरम्मत का आदेश देते हुए इसके पुनरुद्धार का कार्य इसिडोरस द यंगर को सौंप दिया, जो कि मिलिटस के इसिडोर के भतीजे थे। पूरी वॉल्ट को पहले की ऊँचाई से 20 बीजान्टिन फीट (6.25 मीटर या 20.5 फीट) अधिक ऊँचा बनाया गया , जिससे इमारत की वर्तमान आंतरिक ऊंचाई 55.6 मीटर (182 फीट) हो गई। इसके अलावा, इसिडोरस ने गुंबद के प्रकार को भी बदल दिया, अब यह गुंबजीय त्रिभुज सहित एक रिब्ड डोम में परिवर्तित हो गया था जिसका व्यास 32.7 और 33.5 मीटर के बीच था। जस्टिनियन के आदेशों के तहत, आठ कोरिंथियन स्तंभों को बाल्बेक, लेबनान से हटा दिया गया और 560 के आसपास उन्हें कॉन्स्टेंटिनोपल में भेज दिया गया। इस चर्च का पुनर्निर्माण कार्य 562 में पूरा हुआ। कवि पॉल द साइलेंटरी ने 23 दिसंबर, 562 को संरक्षक यूटीचियस की अध्यक्षता में बेसिलिका के पुनर्निर्माण के अवसर पर एल्फ्रासिस नामक एक लंबी ग्रीक कविता की रचना की । पॉल द साइलेंटरी की कविता को पारंपरिक रूप से लैटिन शीर्षक *डेसक्रिप्टियो सैंक्ते सोफिया* के नाम से भी जाना जाता है।

संरक्षक निसेफोरस I व इतिहासकार थियोफानेस द कनफेसर द्वारा वर्णित इतिहास के अनुसार 602-628 के बीजांटीन - सासानियन युद्ध के दौरान सासानियन साम्राज्य द्वारा एलेक्सेंड्रिया और रोमन मिस्र पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हेराक्लियुस के आदेश पर चर्च के जले हुए बर्तनों को पिघला कर सोने व चाँदी के सिक्के बनाए गए और इन सिक्कों को एवर्स (जो कि यूरेशियन खानाबदोशों के विभिन्न समूहों का एक गठबंधन था) को पुरस्कार के रूप में प्रदान किया गया । 623 ई. में एवर्स ने कॉस्टांटिनोपोल के बाहरी हिस्से पर आक्रमण किया जिसकी वजह से बीजांटिनों द्वारा ईसामसीह की माँ मेरी के अवशेषों को ब्लैकेरनै स्थित चर्च

ऑफ थियोटोकोस से हटाकर हागिया सोफिया में स्थापित कर दिया गया, उसी दौरान मिश्र से अनाज प्राप्ति में हुई कमी की वजह से बंद हुई राशन आपूर्ति के परिणामस्वरूप रोटी की कीमतों की योजनाबद्ध बढ़ोत्तरी के विरोध में 14 मई 626 को स्कोलै पलटिनै , सैनिकों के समूह ने हागिया सोफिया में प्रदर्शन किया । 626 ई. में एवर्स और शहरबराज़ के नितृत्व में पारसियों की संयुक्त सेना ने कांस्टैनटिनोपोल की घेराबंदी को अंजाम दिया । फारसी सेना चाल्केडन में तैनात थी और एवार्स की सेना कॉंस्टंटिनोपोल की उस सीमा के तरफ तैनात थी जो यूरोप से लगी हुई थी लेकिन बोसोफोरस स्ट्रेट पर बीजांटीन नेवी के अधिकार की वजह से फारसी सेना एवर्स की सहायता नहीं कर पा रही थी , जिसकी वजह से यह घेराबंदी उतनी प्रभावी नहीं हो सकी। फारसी और एवर्स - स्लैविक बेड़ों को अलग -अलग हराने के बाद बीजंटाइन नेवी ने उनके आक्रमण को नाकामयाब कर दिया।

726 में सम्राट लियो द इसौरियन ने मूतियों की उपासना / सम्मान की परंपरा के खिलाफ कई फर्मान जारी किए , जिसके साथ ही बीजांटीन परंपरा/रूढ़ियों को तोड़ने के दौर (बीजंटाइन इकोनोक्लाज़्म) का सूत्रपात हुआ । 726 -797 के दौरान हागियासोफिया से सभी धार्मिक चित्र व मूर्तिया हटा दी गईं । 797 में साम्राज्ञी इरेन के शासनकाल के दौरान बीजंटाइन परंपरा को तोड़ने का दौर कुछ समय के लिए थमा पर 814 ई. में बीजंटाइन इकोनोक्लाज़्म का दूसरा दौर शुरु हुआ जो लगभग 842 तक चला ।

859 में लगी भीषण आग ने बेसिलिका को नुकसान पहुँचाया । इसके अलावा 8 जनवरी 869 में आए भूकंप की वजह से इसका एक अर्ध - गुंबद ढह गया । इस दौरान सम्राट बेसिल । के आदेशानुसार इस चर्च की मरम्मत की गई ।14 वीं शताब्दी के शुरुआती स्रोत के अनुसार, कीव में दूसरा चर्च यानि सेंट सोफिया की स्थापना 952 ई. में की गई थी और इसे हागिया सोफिया में ओल्गा के बैपटिस्म के रूप में याद किया जाता है | 25 अक्टूबर 989 के भीषण भूकंप की वजह से पश्चिमी गुंबद मेहराब ढह गया । इसकी मरम्मत का कार्य सम्राट बेसिल द्वितीय के आदेशानुसार अर्मेनियन वास्तुकार ट्रडैट द्वारा किया गया जो कथेड्रल ऑफ एनी के कैथेड्रल के निर्माणकर्ता भी थे । भूकंप से हुई क्षति इतनी ज्यादा थी कि इसके मरम्मत और पुनर्निर्माण में करीब छह साल लगे । चर्च को 13 मई 994 को फिर से खोला गया था।

13 वीं शताब्दी के यूनानी इतिहासकार निकेतस चॉनेट्स के अनुसार, 1133 में सम्राट जॉन द्वितीय कोमेनियस ने कस्तमोन की घेराबंदी पर डेनिशमेंडिड्स पर अपनी जीत के बाद सम्राट ने शाही महल में प्रवेश करने से पहले कैथेड्रल में एक समारोह में भाग लिया। 1168 में, सम्राट मैनुएल । कोमेनियस ने एक जीत दर्ज करने के बाद शाही महल में प्रवेश करने के पूर्व हागिया सोफिया में जीत का धन्यवाद ज्ञापित किया ।

ग्रीक इतिहासकार निकेतस चॉनेट्स के अनुसार, 1203 में चौथे धर्मयुद्ध के दौरान , सम्राट आइसक द्वितीय एंजेलस और सम्राट एलेक्सियस चतुर्थ एंजेलस ने हागिया सोफिया में मौजूद सभी सोने के आभूषणों और चांदी के तेल-लैंपों को बेच दिया था ताकि वे उन धर्मयोद्धाओं को भुगतान कर सकें जिन्होंने एलेक्सियस तृतीय एंजेलस को हराने में और उन्हें तख़्त वापस दिलवाने में उनकी मदद की थी । निकेटस के अनुसार 1204 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर हुए आक्रमण में क्रूसेडर्स द्वारा हागिया सोफिया में तोड़फोड़ की गई और इसकी संपत्ति को लूटा गया । अली इब्न अल-अथिर के अनुसार, क्रूसेडर्स ने कुछ पादरियों का नरसंहार किया जिन्होंने उनके सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। 1261 में रूढ़िवादी नियंत्रण में वापस आने तक इस चर्च के अधिकांश आंतरिक हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए । हागिया सोफिया और कॉन्स्टेंटिनोपल की तबाही कैथोलिक-पूर्वी रूढ़ीवादियों के संबंधों में एक महत्वपूर्ण बिंदु रही या अगर हम सामान्य रूप से कहे तो यह एक दुखती रग थी जिसने संबंधों में खटास लाने का काम किया ।

1204 में कॉस्टंटिनोपोल पर लैटिन कब्ज़े के दौरान हागिया सोफिया एक रोमन कैथोलिक चर्च के रूप में परिवर्तित हो गया । बाल्डविन I ने 16 मई 1204 को हागिया सोफिया में आयोजित एक समारोह (जिसमें बीजांटीन प्रथाओं का पालन किया गया) में सम्राट के रूप में पदभार ग्रहण किया। एनरिको डैंडोलो, जो वेनिस के शासक थे और जिन्होंने 1204 में लैटिन धर्मयोद्धाओं द्वारा शहर पर हुए आक्रमण की कमान संभाली थी , को हागिया सोफिया की ऊपरी पूर्वी गैलरी में दफन किया गया है। 19 वीं शताब्दी में, एक इतालवी बहाली टीम ने इस स्थान पर एक मकबरा (केनोटॉफ) स्थापित किया था जिसे ओटोमन्स द्वारा हुए आक्रमण (जिसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे) और चर्च को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने के दौरान नष्ट कर दिया गया ।

1261 में कांस्टेंटिनोपल पर निकैया साम्राज्य और सम्राट माइकल VIII पलैयोलोगस के कब्जे के दौरान हागिया सोफिया चर्च जीर्ण– शीर्ण अवस्था में था । 1317 में, सम्राट एन्ड्रॉनिकस II पलैयोलोगस ने अपनी स्वर्गीय पत्नी इरेन ऑफ मॉण्टफेर्रट की विरासत के रूप में प्राप्त वित्त से चर्च के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में चार नए पिरामिड बनाने का आदेश दिया। अक्टूबर 1344 के भूकंप के बाद गुंबद में नई दरारें आ गईं और 19 मई 1346 को इमारत के कई हिस्से ढह गए जिसके परिणामस्वरूप चर्च को 1354 तक बंद कर दिया गया । इस भारी नुकसान को ठीक करने के लिए मरम्मत का कार्य वास्तुकार एस्ट्रस और पेराल्टा द्वारा किया गया था ।

किस प्रकार लगभग हज़ार वर्षों तक एक चर्च के रूप में प्रसिद्ध यह धार्मिक स्थल कालांतर में मस्ज़िद , फिर संग्रहालय और पुनः मस्ज़िद के रूप में परिवर्तित होता है , इसकी चर्चा हम अगले अंक में करेंगे ।

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित मातृभाषा दिवस की झलकियाँ

भोपाल

चंडीगढ़

देहरादून

कोलकाता 2

लुधियाना

मेरठ

क्षेत्रीय कार्यालयों में आयोजित मातृभाषा दिवस की झलकियाँ

मदुरै

पुणे

सिलीगुड़ी

विजयवाड़ा

तिरुच्चि

रायपुर

बैंकिंग लोकपाल योजना – ग्राहकों का अधिकार

नगेंद्र कुमार सिंह - प्रबंधक , राजभाषा विभाग , केंद्रीय कार्यालय

कितनी खुशनुमा वो बैंकिंग होती,
जहाँ ग्राहकों के दिल में कोई शिकायत नहीं पनपती ।

बैंक द्वारा बिना आपको जानकारी दिए आपके खाते से कुछ राशि की कटौती कर ली जाती है एवं आपके द्वारा पूछताछ करने पर बैंक कार्मिक बताते हैं कि एटीएम कार्ड के वार्षिक रख-रखाव प्रभार में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है, जिसके फलस्वरूप आपके खाते से बढ़ी हुई राशि की वसूली की गयी है । इस संबंध में, आपको बैंक द्वारा पूर्व में कोई पत्र / मेल / एसएमएस नहीं भेजा गया और न ही शाखा परिसर में सूचना पट्ट पर इसकी जानकारी दी गई है । नियमत: बैंक को इसकी सूचना किसी भी उचित माध्यम से ग्राहकों को 1 माह पूर्व देनी होती है । लाजमी है उस वक्त आप स्वयं को ठगा हुआ महसूस करते हैं । पर हताश एवं निराश मत होइए, भारतीय रिजर्व बैंक ने इससे निजात पाने के लिए बैंकिंग लोकपाल योजना बनायी है, जिसमें आपके पक्ष एवं हक में बहुत कुछ हैं । आइये, इस योजना की बारीकियों से परिचित होते हैं ।

बैंकिंग लोकपाल योजना ग्राहकों को एक ऐसा मंच प्रदान करती है, जहां उन्हें बैंक द्वारा प्रदत्त सेवाओं संबंधी शिकायतों का निवारण शीघ्र एवं किफायती रुप में किया जाता है । भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35 (क) के तहत बैंकिंग लोकपाल योजना गठित की गयी, जो सन 1995 से लागू है और जिसमें 2002 एवं 2006 में क्रमश: संशोधन किए गए । वर्तमान में “बैंकिंग लोकपाल योजना 2006” परिचालन में है । इस योजना में समय – समय पर कई संशोधन किए गए हैं, अंतिम संशोधन जुलाई 1, 2017 को किया गया । इस योजना से भारत का कोई भी राज्य / केंद्र शासित प्रदेश अछूता नहीं है, अत: यह योजना संपूर्ण भारत में लागू है । इस योजना को शुरु करने का उद्देश्य बैंकों द्वारा प्रदत्त सेवाओं संबंधी प्राप्त शिकायतों का निपटान यथाशीघ्र किया जाना है । ग्राहकों की शिकायत निवारण पद्धति को मजबूती प्रदान करने की मंशा से इस योजना की नींव रखी गई । यह योजना भारत में व्यवसाय करने वाले सभी बैंकों पर लागू है, भले ही ऐसे बैंक भारत में या भारत के बाहर ही क्यों न निगमित हो ।

बैंकिंग लोकपाल पूर्णत: आरबीआइ की निगरानी में कार्य करता है । आरबीआइ इस योजना के तहत कार्य करने के लिए अपने एक या एक से अधिक मुख्य महा प्रबंधक या महा प्रबंधक के पद के अधिकारी को बैंकिंग लोकपाल के रूप में नियुक्त करता है । बैंकिंग लोकपाल की नियुक्ति 3 वर्ष की अवधि के लिए होती है । आरबीआइ द्वारा चिन्हित स्थानों पर ही बैंकिंग लोकपाल का कार्यालय होता है । आरबीआइ बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय में अपने अधिकारी या स्टाफ सदस्यों को सचिवालय स्तर पर कार्य करने के लिए भी प्रतिनियुक्त करता है । बैंकिंग लोकपाल के कार्यालय का पूरा खर्च आरबीआइ द्वारा वहन किया जाता है । बैंकिंग लोकपाल अर्द्ध न्यायिक प्राधिकारी होते हैं । वे विचार - विमर्श के माध्यम से ग्राहकों से प्राप्त शिकायतों के समाधान को सुविधाजनक बनाने के लिए दोनों पक्षों - बैंक और ग्राहक दोनों को बुलाने का अधिकार रखते हैं । बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों की शिकायतों का निवारण निर्धारित समय – सीमा के भीतर करने के लिए प्रतिबद्ध हैं । बैंकिंग लोकपाल योजना की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित है:-

शिकायत करने का आधार :

बैंकिंग लेनदेन बहुत ही सावधानीपूर्वक एवं नियमों का पालन करते हुए किया जाता है, पर तमाम सावधानियों के बावजूद कभी – कभी कुछ अनचाही गलतियाँ हो जाती हैं । जिसकी शिकायतें ग्राहकों से प्राप्त होती हैं और उस पर बैंक की कार्रवाई से कुछ ग्राहक संतुष्ट तो कुछ असंतुष्ट हो सकते हैं । असंतुष्ट ग्राहक उस शिकायत को अन्य मंचों यथा बैंकिंग लोकपाल, उपभोगता फोरम आदि तक न्याय के उद्देश्य से लेकर जाते हैं । बैंकिंग लोकपाल ग्राहकों से प्राप्त सभी शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता है । बैंकिंग लोकपाल योजना के तहत ग्राहकों से प्राप्त होने वाली शिकायतों के आधार पर अलग-अलग मानदंड निर्धारित किए गए हैं । यदि ग्राहक द्वारा कोई भी शिकायत निर्धारित मानदंड पर खरी उतरती है, तब ही बैंकिंग लोकपाल उन शिकायतों को अपने संज्ञान में लेते हैं । बैंकिंग लोकपाल केवल निम्नलिखित सेवाओं में पायी गयी कमी या चूक संबंधी शिकायतों पर ही कार्रवाई करते हैं:

1. कोई भी व्यक्ति अपने अधिकार क्षेत्र के तहत स्थित बैंकिंग लोकपाल को निम्नलिखित किसी भी बैंकिंग सेवा यथा इंटरनेट बैंकिंग व अन्य सेवा में कमियों के संबंध में शिकायत कर सकता है :

क) अदायगी न होना या चेकों, ड्राफ्टों, बिलों आदि की वसूली अथवा भुगतान में असाधरण विलंब होना,

ख) किसी भी प्रयोजन हेतु अदायगी के लिए प्रदत्त कम मूल्य वर्ग के नोटों को बिना पर्याप्त कारण बताए स्वीकार न किया जाना तथा इस संबंध में किसी तरह का कमीशन वसूल करना,

ग) सिक्कों को बिना किसी पर्याप्त कारण बताए स्वीकार न करना तथा उसके संबंध में कमीशन लेना,

घ) आवक विप्रेषणों के भुगतान में विलंब अथवा भुगतान न करना,

ङ) ड्राफ्ट, भुगतान आदेश अथवा बैंकर्स चेक जारी करने में विलम्ब अथवा जारी न करना,

च) कार्य समय का पालन न किया जाना,

छ) बैंक अथवा उसके सीधे बिक्री एजेन्टों द्वारा लिखित रूप में वचन दी गई बैंकिंग सुविधाएं (ऋणों और अग्रिमों के अतिरिक्त) प्रदान करने में विलंब होना,

ज) बैंक द्वारा अनुरक्षित बचत, चालू या अन्य खाते में जमा राशियों पर लागू ब्याज दर के संबंध में आरबीआइ के निर्देश, यदि कोई हो, का पालन न करना, जमा राशियों का भुगतान न करना, पार्टियों के खातों में आय जमा न करना या विलंब करना,

झ) निर्यातकों को निर्यात प्राप्तियाँ मिलने, निर्यात बिलों पर कार्रवाई, बिलों की वसूली आदि में विलंब बशर्ते कि ऐसी शिकायतें बैंक के भारत में परिचालन से संबंधित हो,

ञ) बिना वैध कारण के जमा खाता खोलने से इंकार करना,

ट) ग्राहकों को पर्याप्त पूर्व सूचना दिए बिना प्रभार लगाना,

ठ) एटीएम, डेबिट कार्ड परिचालन या क्रेडिट कार्ड परिचालन पर आरबीआइ के अनुदेशों का बैंक अथवा उनके अनुषंगियों द्वारा अनुपालन न करना,

ड) पेंशन संवितरण में विलंब अथवा संवितरण न करना (कुछ हद तक इस शिकायत हेतु संबन्धित बैंक द्वारा की गई कार्रवाई के लिए बैंक को उत्तरदायी ठहरा सकते हैं लेकिन उनके कर्मचारियों के मामले में नहीं)

ढ) बैंकों द्वारा भारत में मोबाइल बैंकिंग / इलेक्ट्रानिक बैंकिंग सेवा के संबंध में रिजर्व बैंक के अनुदेशों का अनुपालन न होना,

ण) रिज़र्व बैंक / सरकार की अपेक्षा के अनुसार करों के प्रति भुगतान स्वीकार करने में विलंब अथवा इंकार करना,

त) सरकारी प्रतिभूतियाँ जारी करने से इंकार अथवा विलंब, या सेवा प्रदान करने में असमर्थता अथवा सेवा प्रदान करने या शोधन में विलंब करना,

थ) बिना पर्याप्त सूचना अथवा बिना पर्याप्त कारण के जमा खातों को जबरन बंद करना,

द) खाते बंद करने से इंकार या बंद करने में विलंब,

ध) बैंक द्वारा अपनाई गई उचित व्यवहार संहिता का अनुपालन न करना,

न) बैंकों द्वारा भारतीय बैंकिंग संहिता एवं मानक बोर्ड द्वारा जारी ग्राहकों के प्रति बैंक की प्रतिबद्धता के कोड का अनुपालन न होना,

ऩ) बैंकों द्वारा वसूली एजेंटों की सेवाएं लेने पर विनियामक दिशानिर्देशों का पालन न किया जाना,

प) आरबीआइ द्वारा पैरा बैंकिंग क्रियाकलाप जैसे बीमा / म्युच्युअल फ़ंड / अन्य तृतीय पक्ष के निवेश संबंधी उत्पाद बैंकों द्वारा बेचने के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना,

फ) आरबीआइ द्वारा बैंकिंग या अन्य सेवाओं के संबंध में जारी दिशानिर्देशों पर किसी अन्य विषय के संबंध में उल्लंघन,

2. ऋण व अग्रिम के संबंध में बैंकिंग सेवा में दी जाने वाली निम्नवत किसी भी कमी के आधार पर ग्राहक अपने अधिकार क्षेत्र के तहत आने वाले बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकते हैं:

क) ब्याज दर संबंधी आरबीआइ के निदेशों का अनुपालन न किया जाना,

ख) ऋण आवेदनों के निपटान के लिए निर्धारित समय – सीमा का अनुपालन न होना या संस्वीकृति, संवितरण में विलंब होना,

ग) आवेदक के ऋण संबंधी आवेदन बिना किसी वैध कारण के स्वीकृत न करना,

3. बैंकिंग लोकपाल आरबीआइ द्वारा समय – समय पर विनिर्दिष्ट अन्य मामलों को भी अपनी तरफ से हल करता है ।

बैंकिंग लोकपाल में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया:

1) कोई भी व्यक्ति जिसे उक्त योजना के तहत उपर्युक्त एक या एक से अधिक आधार पर बैंक के प्रति शिकायत हो, तो वह स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि (अधिवक्ता को छोड़कर) के माध्यम से अपने बैंक की शाखा या कार्यालय के अधिकार क्षेत्र के तहत स्थित बैंकिंग लोकपाल को शिकायत कर सकता है । क्रेडिट कार्ड या अन्य केंद्रीकृत सेवा परिचालन के प्रकार के संबंध में, ग्राहक के बिलिंग पते पर आने वाले प्रादेशिक अधिकार क्षेत्र के तहत स्थित बैंकिंग लोकपाल को शिकायत दर्ज करनी पड़ती है ।

2) आवेदनकर्ता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षरित रुप से लिखित शिकायत की जानी चाहिए, जिसमें आवेदनकर्ता का नाम व पता, जिस शाखा या कार्यालय के प्रति शिकायत की गई है उसका नाम एवं पता, शिकायत के तथ्य, जिसके कारण शिकायतकर्ता को हानि हुई तथा अपनी मांग स्पष्ट रुप से लिखनी चाहिए ।

3) आवेदनकर्ता को शिकायत के साथ दस्तावेजों की प्रति फाइल करनी होती है । बैंकिंग लोकपाल द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से की गई शिकायत भी स्वीकार की जाती है । बैंकिंग लोकपाल केंद्र सरकार या आरबीआइ द्वारा प्रेषित इस योजना के तहत कवर शिकायतों का भी निपटान करते हैं ।

बैंकिंग लोकपाल तब तक उन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करता, जब तक कि:

1) शिकायतकर्ता, बैंकिंग लोकपाल में शिकायत करने से पूर्व, संबंधित बैंक को शिकायत संबंधी एक लिखित आवेदन नहीं देते तथा बैंक द्वारा उस शिकायत को खारिज नहीं किया गया हो या आवेदनकर्ता द्वारा बैंक को अभ्यावेदन देने के पश्चात एक माह के भीतर कोई उत्तर न प्राप्त हुआ हो या आवेदनकर्ता बैंक द्वारा प्राप्त जवाब से संतुष्ट न हो ।
2) आवेदनकर्ता द्वारा शिकायत संबंधी अभ्यावेदन पर बैंक द्वारा प्राप्त जवाब के एक वर्ष के भीतर बैंकिंग लोकपाल को शिकायत न की गयी हो या बैंक से जवाब न प्राप्त होनी की स्थिति में, तेरह माह के अवधि के भीतर बैंकिंग लोकपाल का सहारा न लिया गया हो ।
3) उसका निपटान पहले किसी न्यायालय या अन्य किसी संस्थान में न लंबित हो या न डिक्री या अवार्ड पारित की गई हो । साथ ही, उन शिकायतों पर भी कार्रवाई नहीं करता जिसका निपटान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पहले कर दिया गया है ।
4) वह शिकायत किसी भी परिस्थिति में तुच्छ या अफसोसजनक प्रकृति का न हो, और
5) वह शिकायत करने की निर्धारित अवधि के भीतर आवेदन न किया गया हो ।

बैंकिंग लोकपाल को सूचना मांगने का अधिकार:

इस योजना के तहत अपने कर्तव्य का सही तरह से निर्वाह करने के उद्देश्य हेतु, बैंकिंग लोकपाल जिस बैंक के प्रति शिकायत प्राप्त हुई या अन्य किसी संबन्धित बैंक से सूचना की मांग कर सकता है यथा शिकायत से संबंधी किसी दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति। बैंकों द्वारा बैंकिंग लोकपाल को दस्तावेज़ या सूचना न उपलब्ध कराने पर, यह बैंक के लिए प्रतिकूल रुप में कार्य करता है । बैंकिंग लोकपाल अपने कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए प्राप्त सभी सूचनाओं / दस्तावेजों की गोपनीयता बरकरार रखते हैं और वह सूचना / दस्तावेज़ प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति की बिना अनुमति के किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दे सकते हैं ।

अनुबंध के आधार पर शिकायतों का निपटान:

बैंकिंग लोकपाल शिकायत प्राप्त होने के बाद, यथाशीघ्र शिकायत की प्रति कार्रवाई हेतु बैंक के शाखा / कार्यालय तथा नोडल अधिकारी को सूचित करते हुए भेज देते हैं और शिकायत का निपटान आवेदनकर्ता और बैंक के बीच आपसी समझौता के माध्यम से करवाने का प्रयास करते हैं । बैंकिंग लोकपाल निम्नलिखित स्थिति में शिकायत का निपटान कर दिया गया समझ लेते हैं –

1) जब बैंक द्वारा आवेदनकर्ता द्वारा की गई शिकायत का समाधान बैंकिंग लोकपाल के हस्तक्षेप से हुआ हो ।
2) आवेदनकर्ता या तो लिखित रूप में या किसी अन्य रुप में यह सहमति देता है कि बैंकिंग लोकपाल के समझौता और हस्तक्षेप संबंधी प्रयास से ही उसके शिकायत का निवारण हुआ है ।
3) बैंकिंग लोकपाल यह मानकर चलता है कि अमूमन बैंक अपने मानदंडों और अभ्यासों का पालन करते हैं और आवेदनकर्ता को उस संबंध में उचित माध्यम द्वारा सूचित भी कर देते हैं तथा आवेदनकर्ता को कोई आपत्ति होने पर, बैंकिंग लोकपाल को उसकी शिकायत निर्धारित समय – सीमा के भीतर न किए जाने पर, बैंकिंग लोकपाल उस शिकायत का निपटान कर दिया गया समझ लेते हैं ।

बैंकिंग लोकपाल द्वारा अवार्ड (फैसला देना):

1) किसी शिकायत का निपटान अनुबंध के आधार पर शिकायत प्राप्ति के एक माह के भीतर न होने पर या बैंकिंग लोकपाल द्वारा पार्टी को अपने मामले को उचित ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रदान की गई अधिकतम अवधि के पश्चात, शिकायत पर फैसला दे या खारिज कर सकते हैं ।
2) फैसला देते हुए संक्षेप में उसका कारण भी लिखा जाता है ।
3) यदि बैंक की गलती या चूक के कारण, बैंक द्वारा कुछ राशि आवेदनकर्ता को हुई क्षति के रूप में दी जाती हो, तो इस योजना के तहत पारित अवार्ड में यह निदेश स्वरूप लिखा जाता है ।
4) बैंकिंग लोकपाल को किसी भी स्थिति में, बैंक द्वारा हुई गलती या चूक के स्वरूप आवेदनकर्ता की हुई वास्तविक क्षति या क्षतिपूर्ति के लिए अधिकतम राशि रु. 20 लाख से अधिक का अवार्ड पारित करने का शक्ति नहीं है । बैंकिंग लोकपाल उपर्युक्त के अतिरिक्त आवेदनकर्ता को शिकायत के दौरान हुई हानि / खर्च, प्रताड़ना / मानसिक पीड़ा के लिए रु. 1 लाख की क्षतिपूर्ति अवार्ड स्वरूप पारित कर सकते हैं ।
5) अवार्ड की छायाप्रति आवेदनकर्ता और बैंक को भेजी जाती है ।
6) आवेदनकर्ता को उसके दावे के पूर्णत: निपटान संबंधी अवार्ड की प्रति, अवार्ड की स्वीकृति पत्र की प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर बैंक को प्रस्तुत करनी होती है, अन्यथा वह निरस्त हो जाएगी ।
7) बैंक द्वारा आवेदनकर्ता से लिखित में अवार्ड के स्वीकृति की प्राप्ति होने के 30 दिनों के भीतर, अवार्ड के अनुपालन की सूचना बैंकिंग लोकपाल को देनी पड़ती है ।

शिकायतों की अस्वीकृति:

बैंकिंग लोकपाल किसी भी चरण में निम्नलिखित रुप में पाए जाने वाली शिकायतों को अस्वीकार कर सकता है –

1) बिना किसी पर्याप्त कारण से की गई शिकायत ।
2) बैंकिंग लोकपाल को शिकायत संबंधी समुचित दस्तावेज़ उपलब्ध न कराने पर ।
3) बैंकिंग लोकपाल के अभिमत में आवेदनकर्ता को कोई हानि / क्षति / असुविधा न होने पर ।

अपीलीय प्राधिकारी को अपील:

1) शिकायत करने वाली पार्टी अवार्ड से असंतुष्ट होने पर या किसी कारण से शिकायत अस्वीकार हो जाने पर, आवेदनकर्ता अवार्ड प्राप्ति के पत्र के तिथि से या शिकायत अस्वीकार किए जाने की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील कर सकते हैं । अपीलीय प्राधिकारी भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर होते हैं । बैंक द्वारा अपील करने की स्थिति में, आवेदनकर्ता द्वारा बैंक को अवार्ड के स्वीकृति संबंधी प्राप्त पत्र की तिथि से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकता है । यह भी प्रावधान है यदि अपीलीय अधिकारी को यह लगता है कि आवेदक वाजिब कारण से निर्धारित समय के भीतर अपील नहीं कर पाया है, तो उसे 30 दिनों की और समय की अनुमति दे सकते हैं ।

   बैंक द्वारा यह अपील अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति या उनकी अनुपस्थिति में प्रबंध निदेशक या कार्यपालक निदेशक या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या उनके समतुल्य पद के अन्य किसी अधिकारी से स्वीकृति लेने के पश्चात ही अपील की जा सकती है ।

2) अपीलीय प्राधिकारी अपील को खारिज़ कर सकते हैं या अपील पर विचार कर सकते हैं या तदनुसार बैंकिंग लोकपाल को इस शिकायत को फिर से निपटाने का निर्देश दे सकते हैं या अवार्ड में संशोधन कर सकते हैं या अपने विवेकानुसार अन्य कोई आदेश पारित कर सकते हैं ।

3) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित अवार्ड को बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड के रुप में माना जाता है ।

ग्राहकों के जानकारी के लिए इस योजना के मुख्य विशेषताओं को बैंकों द्वारा प्रदर्शित करना –

1) इस योजना के तहत आने वाले बैंकों को यह सुनिश्चित करना है कि इस योजना का उद्देश्य और बैंकिंग लोकपाल का संपर्क विवरण बैंक की सभी शाखाओं / कार्यालयों में उस स्थान पर प्रदर्शित हों जिसे शाखा / कार्यालय में आने वाले ग्राहक आसानी से देख सकें और असंतुष्ट ग्राहक अपनी शिकायत कर सकें ।

2) बैंकों को यह भी सुनिश्चित करना है कि कार्यालयी परिसर में बैंक के नामित अधिकारी के पास इस योजना की प्रति उपलब्ध हो और इस योजना की प्रति बैंक की वेबसाइट पर भी प्रदर्शित हो ।

3) सभी बैंकों के क्षेत्रीय / अंचल कार्यालयों में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु नोडल अधिकारी होते हैं और उसकी सूचना बैंकिंग लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबन्धित कार्यालयों को दी जाती है । बैंक के विरुद्ध दर्ज शिकायत के संदर्भ में नामित नोडल अधिकारी बैंक का प्रतिनिधित्व करता है और बैंकिंग लोकपाल को आवश्यक सभी सूचनाएँ उपलब्ध करवाता है ।

इस योजना से ग्राहकों को लाभ:

ग्राहक त्वरित एवं झंझटमुक्त बैंकिंग की चाह रखते हुए, बैंकों के पास खाता खोलते हैं या बैंकिंग करते हैं । इस योजना के तहत ग्राहकों को यह अधिकार प्राप्त हैं कि उनके बैंक द्वारा उपर्युक्त सेवाएँ न देने या शिकायत करने पर उस पर उचित कार्रवाई न किए जाने पर, वह न्याय के लिए बैंकिंग लोकपाल का दरवाजा खटखटा सकते हैं । बैंकिंग लोकपाल न सिर्फ उनकी शिकायतों का निपटान करता है बल्कि क्षतिपूर्ति स्वरुप राशि सहित अवार्ड भी पारित करता है । बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड की प्रतिपूर्ति बैंकों द्वारा की जाती है । बैंकिंग लोकपाल द्वारा दिए गए अवार्ड से असंतुष्ट होने पर, ग्राहक अपीलीय प्राधिकारी के पास अपील करने के पात्र होते हैं । यह योजना किसी भी तरह से ग्राहक को न्याय दिलाने के लिए बनाई गयी है । इस योजना के तहत किसी भी परिस्थिति में, ग्राहक को नुकसान का सामना नहीं करना पड़ता है । बशर्ते उसने अपनी शिकायत बैंकिंग लोकपाल तक निर्धारित समय – सीमा के भीतर की हो । बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के तहत ग्राहकों को अपनी शिकायत इलेक्ट्रानिक माध्यम से करने की भी स्वीकृति दी गयी है । बैंकिंग लोकपाल योजना ग्राहकों को सम्मानसहित बैंकिंग करने का सुअवसर प्रदान कर रहा है ।

निष्कर्षत: यह कह सकते हैं कि ग्राहक सेवा में दी जाने वाली थोड़ी सी भी ढिलाई बैंक को न सिर्फ मौद्रिक हानि करवाती है बल्कि उसके ब्रांड की छवि को भी धूमिल कर सकती है । बैंकिंग लोकपाल योजना बैंकों में ग्राहक सेवा को जीवट बनाए रखने में कारगार साबित हो रही है । इस योजना के कारण ग्राहकों को बैंकिंग सेवा पर निस्संदेह विश्वास बढ़ा है । इस योजना का व्यापक रुप में प्रचार – प्रसार करने के लिए आरबीआइ को क्रमबद्ध रुप में रणनीति बनानी चाहिए । बैंकिंग लोकपाल योजना जो कि आरबीआइ के नियंत्रणाधीन है, इसलिए आरबीआइ को भी इस योजना की मुख्य विशेषताओं से ग्राहकों को सोशल मीडिया या अन्य इलेक्ट्रानिक माध्यमों से रूबरू करवाने की व्यवस्था करनी चाहिए । शाखाओं द्वारा बैंकिंग सेवा प्रदान करते समय अमूमन तकनीकी समस्याओं के कारण चूक होने की सम्भावना बहुत अधिक होती है, पर उन्हें इरादतन चूक करने से यथासम्भव बचने का प्रयत्न करना चाहिए । शाखा / कार्यालय के स्टाफ सदस्यों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उनके संज्ञान में आने वाले ग्राहकों की हर शिकायत का समाधान शीघ्र कर दिया जाए । यदि शाखा / कार्यालय अपने स्तर पर ग्राहक के शिकायत का निपटान नहीं कर पाती हैं, तब उन्हें केंद्रीय कार्यालय का सहयोग लेकर उसका निवारण यथासमय कर देना चाहिए । शाखाओं द्वारा ग्राहकों को यह अवसर ही नहीं देना चाहिए कि उन्हें बैंकिंग लोकपाल या अन्य किसी विधिक फोरम का सहारा लेना पड़े । ग्राहक ही बैंक के मुख्य एम्बास्डर होते हैं, यदि वह खुश रहेंगे तो हमारे व्यवसाय में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की स्वत: होगी । बैंकों को शिकायत मुक्त बैंकिंग करने के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए ।

एमएसएमई के लिए प्री-पैकेज्ड समाधान

फणीश मणि त्रिपाठी प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची

कोरोना वायरस ने न सिर्फ जीवन को नई चुनौतियों से भर दिया है बल्कि देश को गहरे आर्थिक संकट में भी धकेल दिया है। जिन्दगियाँ एक-एक साँस के लिए तरसती रहीं और आए दिन होने वाले लॉकडाउन और बंदी जैसे हालात ने कारोबारों की कमर तोड़ कर रख दी। वर्ष 2020 में काल बनकर आए कोरोना वायरस की रफ्तार वर्ष 2021 के शुरू में जब थोड़ी काबू में आई तो जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा। कारोबार खुलने लगे। उम्मीद जगी कि देश की अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी। लेकिन जल्दी कोरोना ने दोबारा अपना ऐसा भयावह रूप दिखाया कि रूह काँप गई। एक बार फिर सब थमने लगा। इन स्थितियों ने कारोबारी क्षेत्र को भी काफी गहरा नुकसान पहुंचाया है। जीडीपी की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले एमएसएमई कोरोना काल में काफी बुरी तरह प्रभावित हुए। सबसे अधिक रोज़गार देने वाले इस क्षेत्र की इकाइयां ठप्प पड़ गईं। कई पर ताले लग गए। लोगों का रोज़गार छिन गया। हालांकि इस मुश्किल घड़ी में सरकार ने एमएसएमई का हाथ थामा और उनके कारोबार को चलायमान और जीवित रखने के लिए कई तरह के ऋण पुनर्संरचना पैकेजों का ऐलान किया। सरकार ने उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की।

हालांकि हालात की भयावहता के सामने आर्थिक पैकेज कितने कारगर होंगे ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि एमएसएमई ऋणों की बार-बार पुनर्संरचना से सभी ऋणों की गुणवत्ता बनी रहेगी इसकी गारंटी नहीं है। कोरोना की वजह से आए दिन नया संकट खड़ा हो रहा है। एमएसएमई इकाइयों के पहिए और कलपुर्जे काम करना शुरू भी नहीं करते कि काम फिर से बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में कई इकाईयों के फेल होने और ऋणों के खराब होने की आशंका बनी हुई है। भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपनी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (FSR) में इस खतरे की ओर इशारा भी किया है और आशंका जताई है कि कोविड की मार की वजह से सितंबर 2021 तक बैंकों के एनपीए (Non Performing Asset) में तेज बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस खतरे को भांपते हुए सरकार ने एमएसएमई ऋणों के समाधान के लिए एक आसान और त्वरित रास्ता खोजा है। दिवालिया कानून (Insolvency and Bankruptcy Code 2016) में संशोधन कर एक ऐसा समाधान निकाला गया है जिसके जरिए कोई एमएसएमई इकाई यदि मुश्किल में भी पड़ती है तो उसे संकट से उबारा जा सकेगा।

4 अप्रैल 2021 को सरकार ने एक अध्यादेश जारी कर दिवालिया कानून 2016 में संशोधन को प्रभावी करते हुए एमएसएमई सेक्टर के लिए प्री पैक समाधान प्रक्रिया को लागू किया। प्री पैकेज्ड रिजॉल्यूशन प्रॉसेस (PPIRP) को मुख्यतौर पर कोविड -19 डिफॉल्ट की आशंका को देखते हुए अमल में लाया गया है। एक करोड़ से कम राशि वाले एमएसएमई ऋण इस समाधान प्रक्रिया के लिए पात्र होंगे। इस अध्यादेश के जरिए आइबीसी में एक नये चैप्टर-IIIए को शामिल किया गया है जिसके जरिए उधारकर्ता के सम्बन्ध में प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रॉसेस (PPIRP) के लिए आवेदन किया जा सकेगा। जो भी एमएसएमई महामारी के हालात की वजह से आर्थिक मंदी और दिवालियेपन का शिकार हो जाते हैं उनके लिए ये समाधान प्रक्रिया थोड़ी राहत पहुंचाने वाली है। इसमें कंपनियों और पार्टनरशिप फर्म दोनों को समाधान मिल सकता है।

पिछले दिनों सरकार ने कोरोना महामारी की वजह से उत्पन्न विपरीत हालात और मुश्किल परिस्थितियों से लड़ने के लिए कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी समाधान प्रक्रिया (CIRP) के लिए न्यूनतम चूक राशि की सीमा बढ़ाकर एक करोड़ रुपए कर दिया। इससे कम से कम छोटे एमएसएमई कारोबारी आइबीसी के दायरे में आने से बच गए। इसके साथ ही सरकार ने 25 मार्च 2020 से लेकर 24 मार्च 2021 तक के दौरान कोविड 19 लोन डिफॉल्ट के मामलों में कार्पोरेट इन्सॉल्वेंसी प्रॉसेस के लिए आवेदन दाखिल करने की प्रक्रिया रोक दी थी। इस अवधि की समाप्ति के दो सप्ताह के भीतर डिफॉल्ट लोन के लिए नई समाधान प्रक्रिया लेकर आना, सरकार की ओर से एक चतुराई भरा कदम प्रतीत हो रहा है। प्री-पैकेज्ड प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य है:-

1. महामारी की वजह से तनाव महसूस कर रहे एमएसएमई को राहत देना और संकट से उबारना।

2. एमएसएमई के लिए प्रभावी और वैकल्पिक समाधान ढांचा तैयार करना।
3. न्यायिक प्राधिकारियों के लिए बोझ को कम करना। और
4. कार्पोरेट उधारकर्ता के लिए कारोबार परिचालन को नियमित रखना।

जैसा कि नाम से ही जाहिर हो रहा है। यह पहले से तैयार समाधान प्रक्रिया होगी जिस पर बैंक और एमएसएमई दोनों की सहमति होगी और 30 दिनों के भीतर एनसीएलटी को इस पर निर्णय लेना होगा। प्री-पैकेज्ड समाधान प्रक्रिया के तहत 120 दिनों में समाधान देना ज़रूरी होगा। ये एक प्रकार की रीस्ट्रक्चरिंग है जिसके तहत एनसीएलटी (नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल) में पहुँचने से पहले उधारकर्ता और कर्ज़दाता को एक अनौपचारिक रिवाइवल योजना तैयार करनी होगी और उसकी स्वीकृति लेनी होगी। ऐसी व्यवस्था इसलिए लाई गई क्योंकि एमएसएमई का प्रबन्धन आमतौर पर प्रोमोटर्स के हाथ में होता है। लेकिन CIRP के तहत प्रबन्धन को कंपनी से बाहर कर दिया जाता था जिसकी वजह से समाधान में मुश्किल आती थी। यह वजह है कि नए अध्यादेश में समाधान प्रक्रिया में मौजूदा पात्र प्रोमोटर्स की भागीदारी पर ज़ोर दिया गया है। कंपनी का नियंत्रण बोर्ड के पास रहेगा और उधारलेने वाले समाधान का प्रस्ताव तैयार करेंगे। प्री-पैक एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जिससे कि उधारकर्ता और ऋण देने वाले आमने-सामने बैठकर, आपसी सहमति से रीस्ट्रक्चरिंग का रोडमैप तय करेंगे और कंपनी की सभी देयताओं का समाधान निकालेंगे। प्री-पैक इनसॉल्वेंसी की शुरूआत कार्पोरेट डेब्टर द्वारा की जाएगी। समाधान प्रक्रिया से 66 प्रतिशत (बकाया ऋण में 66% हिस्सा रखने वाले कर्ज़दाताओं की मंजूरी) ऋणदाताओं का सहमत होना ज़रूरी होगा।

कॉरपोरेट इन्सॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन बनाम प्री-पैकेज्ड इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्लान-

बिन्दु	PPIRP	CIRP
समाधान प्रक्रिया के दौरान प्रबन्धन किसके पास होगा	चूककर्ता कंपनी का प्रबन्धन जस का तस बना रहेगा। निदेशक मंडल भी कायम रहेगा।	जबकि CIRP में रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के हाथ में प्रबन्धन चला जाता है और वो बैंकों के मार्गदर्शन पर कार्य करता है।
समाधान प्रक्रिया की अवधि	प्री-पैक रिजॉल्यूशन में 90 दिनों में प्लान जमा करना होगा और एनसीएलटी के पास निर्णय करने के लिए 30 दिन रहेंगे। इस तरह प्रक्रिया 120 दिन में पूरी हो जाएगी।	जबकि IBC ने CIRP के तहत समाधान के लिए 270 दिन निर्धारित किए हैं।

कर्ज़दार कंपनी के ऊपर दिवालिया प्रक्रिया को शुरू करने की जिम्मेदारी डालकर कानूनी प्रक्रिया में खर्च होने वाले पैसे और समय दोनों की बचत की गई है। कर्ज देने वाले छियासठ प्रतिशत बैंक यदि समाधान प्रक्रिया से सहमत रहेंगे तो बाद में विवाद की स्थिति भी नहीं आएगी।

प्री-पैक समाधान में बैंकों की हित सुरक्षा

उधार देने वाले वित्तीय संस्थानों और बैंकों के हितों की रक्षा के लिए इस अध्यादेश में धारा 29ए जोड़ी गई है जिसके तहत ऐसे प्रोमोटर्स या प्रबन्धन के ऐसे व्यक्ति इस समाधान प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होंगे जो कंपनी के डुबोने या मुश्किल में डालने के लिए जिम्मेदार होंगे। जिनके कमज़ोर प्रबन्धन और गलत निर्णयों से कंपनी की हालत खराब हुई हो। साथ ही ऑपरेशन क्रेडिटर्स के पास यह छूट रहेगी कि वे रिजाल्यूशन प्लान की मार्केट टेस्टिंग कर सकें जिससे ये पता चल सके कि उधारकर्ताओं के प्लान में कितना दम है और वह टिकाऊ है या नहीं। इसके साथ ही उधार देने वाले किसी भी समय एनसीएलटी के हस्तक्षेप से पुरानी CIRP प्रक्रिया के जरिए समाधान का विकल्प चुन सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि कंपनी का मौजूदा प्रबन्धन धोखाधड़ी में लिप्त है। प्री-पैक समाधान प्रक्रिया के दौरान किसी भी समय 66 प्रतिशत उधारदाताओं की सहमति से कंपनी का प्रबन्धन रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल के हाथों में दिया जा सकता है।

यह योजना उन्हीं कंपनियों पर लागू होगी जिन पर पिछले तीन सालों में कोई दिवालिया कार्रवाई नहीं की गई हो या उनके खिलाफ कोई कुर्की आदेश पारित नहीं किया गया हो। प्री-पैक समाधान प्रक्रिया ऐसी कंपनियों पर भी लागू नहीं होगी जिनके मेजर शेयरधारक कोर्ट से दिवालिया या जानबूझकर चूककर्ता घोषित किए जा चुके हैं।

नए अध्यादेश के जरिए आईबीसी में अनुच्छेद 67ए और 77ए को भी जोड़ा गया है। कोई कंपनी (कॉरपोरेट उधारकर्ता) अपनी समाधान योजना में यदि गलत सूचनाएं प्रस्तुत करती है या आवेदन अथवा दावों की सूची में कोई महत्वपूर्ण जानकारी छुपाती है या उसका प्रबन्धन धोखेबाज़ी करता है तो ऐसे सभी मामलों में इन अनुच्छेदों के तहत कड़े दण्ड का प्रावधान किया गया है।

अध्यादेश के तहत इस बात का समुचित प्रबन्धन किया गया है कि वास्तविक रूप से विपरीत परिस्थितियों की वजह से यदि कंपनी या कॉरपोरेट उधारकर्ता के सामने मुश्किलें आई हैं तो उसका समाधान खुले दिमाग से, मिल-जुल कर और बिना किसी विवाद के किया जाए। साथ में यह भी सुनिश्चित किया गया है कि यदि कंपनी के प्रबन्धन ने अपनी लापरवाही और धोखाधड़ी से कंपनी को नुकसान पहुंचाया है और उसे बर्बाद किया है तो वे आसानी से छूट कर जाने भी न पाएं।

प्री-पैक समाधान प्रक्रिया को आईबीसी में तरजीह

इनसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 की धारा 7, 9 व 10 के अंतर्गत सीआईआरपी आवेदन के मुकाबले प्री-पैक समाधान के अंतर्गत आने वाली याचिका को को अधिक तरजीह और वरीयता दी जा रही है। हालांकि इस नए अध्यादेश को साथ सरकार को एनसीएलटी की व्यवस्था को और सुदृढ़ करना होगा ताकि वो बड़ी संख्या में मिलने वाले आवेदनों का समय के भीतर निपटारा कर सके।

ज्ञान के मोती

- साधना चाहे कितनी भी साधारण हो, अगर आप इसे हर दिन करते हैं, तो धीरे- धीरे, कदम – दर – कदम, यह आपके भीतर एक नए स्तर की आजादी पैदा करती है।
- क्रोध का भोजन 'विवेक' है, अतः इससे बच कर रहना चाहिए। क्योंकि 'विवेक' नष्ट हो जाने पर, सब कुछ नष्ट हो जाता है।
- लोभ वो अवगुण है, जो दिन प्रतिदिन तब तक बढ़ता ही जाता है, जब तक मनुष्य का विनाश ना कर दे।
- काम करने से पहले सोचना बुद्धिमानी है, काम करने हुए सोचना सतर्कता है और काम करने के बाद सोचना मूर्खता है।
- पूर्वाग्रह एक बोझ है जो अतीत को भ्रमित करता है, भविष्य को आशंकित करता है और वर्तमान को दुर्गम बनाता है।
- सत्य और तथ्य में बहुत बड़ा अंतर होता है। तथ्य सत्य को छिपा सकता है।
- जिंदगी उन्हें प्यार करती है जो इसे जीते हैं।
- जिंदगी को प्यार करने और उसके लिए लालची होने के बीच एक बहुत बारीक रेखा है।
- अपनी आत्मा को खो के संसार को हासिल मत करो, ज्ञान सोने और चांदी से बेहतर है।
- आपका आने वाला कल पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हो।
- कभी भी हार मत मानो क्योंकि बाधाएँ, डर की तरह, एक भ्रम मात्र ही होती हैं।
- हम सब यहाँ किसी खास वजह से हैं। अपने अतीत के कैदी बनना छोड़िए। अपने भविष्य के निर्माता बनिए।
- जब स्वभाव को धर्म के सिद्धांतों के अनुसार बदला जाता है, तब हमें संस्कृति और सभ्यता प्राप्त होती है।
- देख पाना और दूरदर्शिता न होना बहुत ही भयानक है।
- ऐसे जियो जैसे कि तुम कल मरने वाले हो, सीखो ऐसे जैसे कि तुम हमेशा के लिए जियोगे।
- जीवन में सफल होने का सबसे बढ़िया तरीका है, उस नसीहत पे काम करना जो तुम दूसरों को देते हो।
- किसी के प्रति द्वेष होना ऐसा है जैसे जहर पीना और ये सोचना इससे आपका दुश्मन मर जाएगा।
- रुके हुए हालात अंत की शुरुआत है।
- कच्चा पात्र कच्चे पात्र से टकराकर टूट जाता है।
- जब तक जीना, तब तक सीखना, अनुभव ही जगत में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक है।

अलविदा मेरे भाई

शुभम दीक्षित - सहायक प्रबंधक , राजभाषा विभाग , केंद्रीय कार्यालय

चाहें मैं कितना ही खुद को व्हाट्सएप भी यदा-कदा कुछ एक शोधपत्र टकरा ही ऐसे ही एक शोधपत्र से गुज़रना सर्वथा विश्वयुद्ध से जोड़ी गई थी, उस छोटे से संदेश किया गया था, में हिटलर का ग्लोरीफिकेशन महानायक बनकर फिर से मेरे सामने जी उठा । रही थी वह ये थी, कि क्या भारत को भी आज आवश्यकता नहीं है ? जानते हुए कि असंख्य इंसानियत का दुश्मन था, का ऐसा आदान-प्रदान किया जाना हमेशा दुःखता है विश्वयुद्ध के इतिहास में झाँकिए । जहाँ असंख्य अगर देह में सिहरन पैदा नहीं करती तो होने के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा

यूनिवर्सिटी के ज्ञान से बचा कर रखूं फिर जाते हैं । गए दिनों व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के यातनाप्रद रहा । जिसकी भूमिका द्वितीय जोकि एक सार्वजनिक संस्था के ग्रुप में पोस्ट कुछ इस तरह किया गया था कि वो एक उस संदेश की आखिरी लाईन जो सवाल कर एक डिक्टेटर (तानाशाह/ अधिनायक) की हत्याओं के बोझ तले जो मरा वो हिटलर नहीं ग्लोरीफिकेशन ? इस प्रकार के संदेशों का पढ़े/ और सोचने पर विवश करता है । द्वितीय निर्मम हत्याओं, चीख़ों, यातनाओं की पीड़ा यकीनन सिर्फ साँसों के आने-जाने को जीवित सकता ।

जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम इस अंक में आपके लिए एक और ख़त लाए हैं जिसे 'अंतिम विदा मेरे प्यारे भाई' शीर्षक के साथ १६ अक्तूबर 1944 को लिखा गया था । बात है 15 अक्तूबर 1944 की जब नाज़ी जर्मन की मदद से एरो-क्रॉस-पार्टी ने हंगरी के दूर-दराज़ इलाकों में अपना आधिपत्य स्थापित करने के साथ ही खुले आम बड़ी संख्या में यहूदी नागरिकों की नृशंस हत्या आरंभ कर दी । कई लाख यहूदियों को ऑत्सविज़ जैसे तमाम यातना शिविरों में पहले ही विस्थापित किया जा चुका था । इस अंक में जो खत हम आपके लिए लाए हैं उसे हंगरी पर अधिपत्य स्थापित हो जाने के अगले दिन 16 अक्तूबर 1944 को 17 साल के 'पिंचस ऐस्नेर' के द्वारा उसके भाई 'मोर्डेचाई' को लिखा गया था जोकि उस वक्त एक शारीरिक श्रम शिविर में था । कुछ हफ़्तों के बाद 3 नवंबर को 70 अन्य यहूदियों के साथ पिंचस को एक सामूहिक कब्र खोदने (जोकि उस समय एक सामान्य अभ्यास था जिसके तहत यहूदियों को गोली मार कर समूहिक हत्या करने से पहले उन्हें खुद की कब्र खोदने का आदेश दिया जाता था ताकि उनके मरने के बाद उन्हें उसमे आसानी से दफनाया जा सके) का आदेश दिया गया और कब्र खोदे जाने के बाद पकड़े गए स्थानीय यहूदियों को उस कब्र में उतार कर उन पर अनगिनत गोलियां चलाते हुए उनकी निर्ममता से हत्या कर दी गई । यह ख़त पत्र मोर्डेचाई को अपने पुराने पारिवारिक घर में काफी समय बाद वापस आने पर मिला जिसे पिंचस सहेज कर रख गया था ।

ख़त

बुडापेस्ट

16 अक्तूबर 1944

06.15 PM

मेरे प्यारे भाई,

अलविदा ! हमारी उस रात की बातचीत के बारे में सोचो । मैने तुम्हारा होना महसूस किया । मैं जानता था, अगर ये तुम होते जिसकी जिंदगी खत्म होने वाली होती, तो तुम्हारे जाने के बाद मुझे भी ज़िंदा रहना होता, हालांकि मेरा आधा शरीर, आधी आत्मा मर चुकी होती । तुमने कहा था अगर मैं मर जाऊंगा तो तुम खुद को मार डालोगे । याद करो मेरे भाई, मैंने तुमसे क्या कहा था कि अगर तुम जिंदा रहोगे तो मैं तुम्हारे अंदर ज़िंदा रह सकूँगा । मैं, हमारे परिवार तुम्हारे साथ ज़िंदा रहना पसंद करूँगा । मेरे छोटे भाई हमारी योजनाएँ, अभिलाषाएँ, उम्मीदें सब मेरे सामने थी, मैं अपने अज्ञात भविष्य के लिए उत्सुक था, मुझे सब जान लेने की, ज़िंदा रहने की, देखने की, कुछ बड़ा करने की, प्रेम करने की इच्छा थी... लेकिन अब सब खत्म हो चुका है । शहर की सड़कों से यहूदियों का

समूल नाश कर दिया गया है । बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है । आज रात या ज्यादा से ज्यादा कल तक हमारी भी बारी आ ही जाएगी । महज़ सत्रह साल की उम्र में मुझे मरना होगा । बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है । हमने सोचा था कि हम बच जाएंगे, मगर किस्मत के आगे किसकी चलती है । जैसा कि मैंने लिखा "मैं हमेशा ही मौत का खिंचाव महसूस करता हूँ... मुझे यकीन है, साथ ही मैं महसूस करता हूँ कि मैं जल्द ही मर जाऊंगा" । ऐसा लगता है कि किस्मत ने हम दोनों को ही शापित कर छोड़ा है । यीश्रएल के बाद मम्मी, पापा और बहन के साथ अब मेरी बारी आने को है । मैं आशा करता हूँ कि तुम हमें अपनी स्मृतियों में जीवित रखोगे ।

अलविदा और माफ़ी अगर मैंने कभी तुम्हें दुःख पहुंचाया हो । (आज पहली बार मेरी आँखें नम हो रही हैं । मैं ध्यान रख रहा हूँ कि मैं नहीं रोऊं, क्योंकि यहाँ और लोग भी हैं ।) क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें मुस्कुराते, सोचते हुए, खाते हुए, सिगरेट पीते हुए, सोते हुए देखता हूँ तो मुझे बहुत ही कोमलता, स्नेह महसूस होता है इसीलिए मेरी आँखों से आँसू छलक आए हैं । अंतिम अलविदा, मेरे छोटे भाई । बहुत सारी शुभकामनाएँ, बहुत सारी सफलताएँ, बहुत सारा स्नेह और खुशियाँ । मेरी बात हमेशा याद रखना, न कभी उदास होना - न रोना, ख़ुश रहना । (मुझे सुन कर बहुत दुःख हुआ कि तुम उस रात रोए थे ।) मेरे बारे में प्यार से सोचो । एक अच्छे दिल के साथ मुझे याद रखो और हाँ अगर वहाँ कोई दूसरी दुनिया है (इस बारे में मैंने तुमसे भी कितनी चर्चा की है - मैं उसे खोजूंगा ! मेरी कविता 'मुझे क्या होगा ?' मेरे दिमाग में आ रही है... शायद इस पल की आहटों को मैं बहुत पहले से ही महसूस कर पा रहा था) तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि तुम जो कुछ भी करो वो तुम्हारी मदद करें । अलविदा मेरे भाई ! अगर तुम मेरे मन और मम्मी – पापा के मन की उथल पुथल जानना चाहते हो (तुम देखो मैं इस बारे में भी सोच रहा हूँ) तो मैं इस वक्त को इस ख़त में दर्ज करता हूँ ।

इस अनहोनी ने शहर में बीती शाम ही दस्तक दे दी थी । कल की बात करूँ तो रात होते-होते पहले 64 और फिर और 54 यहूदियों को ले जाया जा चुका है । वहाँ फुटपाथ पर एक खून का तालाब बन गया था जिसे सुबह होने से पहले साफ कर दिया गया । मैं पूरी रात जागता रहा । आर. जे. और के. एस. यहीं थे । बेचारा आर. जे. इतना खौफज़दा था कि बमुश्किल ही अपने पैरों पर खड़ा हो पा रहा था । शुरुआत में हम प्रार्थना कर रहे थे कि पुलिस या फ़ौज हमारी हिफाज़त करेगी, मगर एक फोन

कॉल आया और हमें सब कुछ समझ आ गया । सुबह रेंगते हुए आई और उसके बाद की घटनाओं ने हमें और भी ज्यादा नाउम्मीद कर दिया । के. एस. 6 बजे आया । चार नाजियों से लड़ने और उनके द्वारा बुरी तरह से पीटे जाने के बाद वो लगभग बेहोश हो गया । वो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचा सका । उसने जो कुछ भी देखा और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उस सब के बाद वो लड़खड़ा रहा था, काँप रहा था और यहाँ तक कि बात भी नहीं कर पा रहा था । मैं जल्दी लिखता हूँ, कौन जाने कि इस ख़त को ख़त्म करने का भी समय मिले या नहीं ? के. एस. ने 'सोरेले' को एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का प्रस्ताव दिया था । उसने शीघ्र ही सुझाव मान लिया और वो तत्काल ही जाने लगी । लेकिन तभी एकदम शांत आवाज़ के साथ मम्मी उसके सामने आ गईं और कहा कि वो उसे नहीं जाने दे सकतीं क्योंकि रास्ते में नाज़ी उन्हें पकड़ सकते हैं । सोरेले उन्मादित थी और रो रही थी । वो जाना चाहती थी, वो जीना चाहती थी । अंत में माँ ने प्रस्ताव रखा कि यदि मैं भी साथ में जाऊँ तो ही वो इजाज़त दे देंगी । तुम्हें सुनना चाहिए था जिस तरह उन्होंने ये कहा । सोरेले जाना चाहती थी, मैं रुक गया... मैं अपने परिवार को छोड़ कर नहीं जा सकता था । और इसके बाद के. एस. सोरेले को ले जाने के लिए दबाव नहीं बना सका और वह भी रुक गया । सोरेले बहुत रोई और चिल्लाई । पापा पूरी रात प्रार्थना करते रहे । उन्होंने अभी भी कुछ उम्मीद लगा रखी है लेकिन वो बात करते रहे, कि ये दुनिया एक दहलीज़ की तरह है जिसे पार करके हमें दूसरी सच्ची दुनिया में जाना है ।

मम्मी-पापा के. एस. को 'भाग्य में लिखा कभी नहीं बदलता' और ऐसी ही न जाने कितनी धार्मिक बातें बता रहे हैं । मथिल्ड हमारे पीछे बैठा है और सुन रहा है । सोरेले बाहर है और मैं लिख रहा हूँ । मैं तुलनात्मक रूप से शांत हूँ, अपनी मृत्यु का सामना कर रहा हूँ और मेरे विचार सुसंगत हैं । (कल नीचे मैंने एक छोटी रचना लिखी, तुम इसे मेरी नोटबुक में देख सकते हो ।) ये वो डर नहीं जिसे मैं महसूस कर रहा हूँ बल्कि यह आने वाली भयावह और दर्दनाक परिस्थितियाँ हैं जो मेरे विचारों को कड़वा कर रही हैं । मैं आशा करता हूँ कि जल्द ही मैं इस सब से उबरूंगा, यहाँ अपने से ज्यादा केवल दूसरों की व्यथा को देखना भयावह होगा । ईश्वर हमारी मदद करेगा और जल्द ही ये सब ख़त्म हो जाएगा ।

अलविदा मेरे प्यारे छोटे भाई । अलविदा ! मुझे याद रखना । मुझे उम्मीद है ये सब ख़त्म होने के बाद मैं वहाँ आसमान से तुम्हें याद करूंगा । मैं एक बार फिर तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम्हें चूमना चाहता हूँ ।

लेकिन कौन जाने मैं किसके लिए ये पंक्तियाँ लिख रहा हूँ ? क्या वाकई तुम ज़िंदा भी हो ?

अलविदा, मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे मोर्डेचाई ख़ुश रहो ।

तुम्हें आखरी बार चूम रहा हूँ – जब तक कि हम दोबारा नहीं मिल जाते ।

तुम्हारा प्यारा भाई

देश काल

कहने के द्वितीय विश्व युद्ध और उसका इतिहास इतना बड़ा है कि गिनती करने पर प्रत्यक्ष रूप से 38 तथा प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मिला कर जोड़ने पर लगभग 61 देशों ने द्वितीय विश्वयुद्ध की विभीषिका को सहा । हर देश, हर शहर, हर तारीख से जुड़े कुछ किस्से, कहानियाँ और घटनाएँ और कुछ लोग हैं जिनके नाम और काम इतिहास के पन्नों पर दर्ज़ हैं । ऐसे में मेरा प्रयास रहेगा कि आने वाले कुछ अंकों में किस्सगोई के माध्यम से द्वितीय विश्व युद्ध का एक बाहरी खाका खींचते हुए एक तस्वीर बना सकूँ जो द्वितीय विश्व युद्ध की एक फौरी भूमिका को समझने में मददगार साबित होगी । हिटलर और उसके कारनामों के लिए हम अलग से चर्चा करेंगे मगर अपने आज के स्तम्भ में हम केवल हिटलर की विस्तारवादी नीतियों पर बात करते हुए उन्हें समझने की कोशिश करेंगे ।

अगर बात जर्मनी की उपनिवेशवादी सोच की जाए तो इसकी शुरुआत हिटलर के सत्ता में आने से काफी पहले सन 1901 में ही हो जाती है । मगर इसके उग्र रूप धारण कर अपनी सीमाओं में विस्तार को विध्वंसक मार्ग पर ले जाने का श्रेय हिटलर को ही जाता है । जर्मनी के इतिहास में पड़ोसी देशों को अपना उपनिवेश बनाने की प्रक्रिया को लेबेन्सरम कहा जाता है जिसका सीधा अनुवाद रहने की जगह के रूप में किया जा सकता है । प्रथम विश्वयुद्ध (1914 से 1918) के दौरान इंपीरियल जर्मनी ने लेबेन्सरम को अपने भू-राजनैतिक लक्ष्य के रूप में सामने रखा जोकि मूल रूप से सीमा विस्तार के सितंबर कार्यक्रम का प्रमुख हिस्सा था । आगे जाकर इस विचारधारा का नाजी पार्टी (NSDAP) एवं नाजी जर्मनी ने खुलकर समर्थन किया ।

अगर हिटलर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो लेबेन्सरम का ज़िक्र हिटलर द्वारा लिखित उसकी आत्मकथा "मीन काम्फ़" (मेरा संघर्ष) में देखने को मिलता जहाँ उसने इसके ऊपर "पूर्वी अभिविन्यास या पूर्वी नीति" नाम का एक पूरा अध्याय लिखा है । हिटलर की आत्मकथा का ये अध्याय जर्मनी के लोगों की आवश्यकताओं के लिए एक नए लिविंग स्पेस की आवश्यकता को जोरदार तरीके से पेश करता है । हिटलर आगे अपनी जीवनी में जोड़ता है कि लेबेन्सरम के लिए राजनैतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है जिसे पूरा करने के लिए जर्मनी के लोगों को एक राष्ट्रीय समाजवादी आंदोलन के तहत अपनी जनसंख्या के विस्तार की ओर प्रयास करने चाहिए, साथ ही खाद्यान के नए स्त्रोतों पर कब्जा करते हुए अपनी सीमाओं में विस्तार करना चाहिए । अपनी आत्मकथा में वो अपने बारे में फैले मत को स्पष्ट करते हुए जोड़ता है कि क्यों जर्मनी ने युद्ध पूर्व सीमाओं की बहाली अस्वीकार कर दिया था ? हिटलर का मत था कि राष्ट्रीय सीमाओं की प्रकृति हमेशा अपूर्ण व क्षणिक होती है और जर्मनी के राजनैतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उनका बदलते रहना अत्यावश्यक है और राष्ट्र में अति पिछड़ों की संख्या को कम करने के लिए महज़ इतने ही उपाय पर्याप्त नहीं होंगे । इस बारे में वो अपनी जीवनी में लिखता है :

"और इस लिए हम राष्ट्रीय समाजवादियों ने जानबूझ कर पूर्व युद्ध काल की हमारी विदेशी नीति को अलग से रेखांकित किया । आज हमअपनी शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ हम आज से करीब 600 साल पहले टूट गए थे । ये वो दौरा था जब हमने दक्षिण व पश्चिम के अपने अंतहीन को रोक कर अपनी नज़र पूर्व की ओर की । लंबे समय तक हम अपनी युद्ध पूर्व की औपनिवेशक तथा वाणिज्यिक नीतियों को तोड़ते मरोड़ते रहे और भविष्य की नीतियों पर स्थानांतरित होते रहे" ।

हिटलर के सत्ता पर काबिज होने किए बाद लेबेन्सरम नाज़ीवाद के मूल वैचारिक सिद्धान्तों में से प्रमुख था जोकि मध्य तथा पूर्वी यूरोप में जर्मन क्षेत्र विस्तारवाद के रूप में परिणामित हुआ । अगर इतिहासकारों की मानें तो नाज़ियों की जनरल प्लान ओएसटी जिसे संक्षेप में GPO (नाजी जर्मन सरकार की मुख्य योजना जिसके तहत बड़े पैमाने पर यहूदियों का नरसंहार कर मध्य तथा पूर्वी यूरोप को पवित्र किया जाना था तथा बचे हुए लोगों को उपनिवेशवाद के चंगुल में जकड़ा जाना था) भी कहा जाता है उनकी प्रमुख योजनाओं में से एक था । नाजी जर्मनी की इस नीति के शुरुआती शिकार मध्य पूर्वी यूरोप के देश बने जिनमें पोलैंड, यूक्रेन, रूस और चेक गणराज्य शामिल थे । उपनिवेश या अपनी सीमा विस्तार के पीछे हिटलर की मंशा थी की स्थानीय लोगों को या तो मरवा दिया जाए या तड़प-तड़प कर भूख से मरने तक के लिए छोड़ दिया जाए और इस तरह जब स्थानीय आबादी पूरी तरह नष्ट हो जाएगी तो उन विजित ज़मीनों पर फिर से जर्मन लोगों के लिए नई कॉलोनियाँ बसाई जाएंगी और उनके द्वारा उत्पादित खाद्यानों का इस्तेमाल जर्मनी के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाएगा ।

अगर देखा जाए तो हिटलर की सोच काफी हद तक अमेरिकी विचार धारा के समानांतर दिखाई देती है, या इसे इस तरह कहा जा सकता है कि हिटलर अमेरिकी क्षेत्रवादी विस्तारवादी विचारधारा का बहुत बड़ा प्रशंसक था । इसका एक प्रमुख कारण यह भी था कि जिस तरह

अमेरिकियों ने राजनैतिक उठा-पटक के बीच अपने पश्चिमोत्तर विस्तार के दौरान मूल अमेरिकियों को नस्ल-दर-नस्ल समाप्त किया था, हिटलर उसका बहुत बड़ा प्रशंसक था । उसका मत था कि जर्मनी को महाशक्ति में बदलने के लिए अपनी भू-राजनैतिक उपस्थिति का विस्तार करना होगा । प्रथम विश्वयुद्ध के समय हुई पराजय से हिटलर ने जो सीख ली वो यही थी कि जर्मनी को अग्रणी देशों की कतार के बीच ला खड़ा करने के लिए हर हाल में जर्मनी के लोगों की खाद्यान आयात निर्भरता को समाप्त करना होगा और न्यूनतम समय में जर्मनी इस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बनाने के केवल एक ही रास्ता था, और वो था लेबेन्सरम ।

वैश्विक प्रभुत्व के लिए हिटलर की रणनीति नस्लीय रूप से एक बेहतर समाज की स्थापना की थी जहाँ लेबेन्सरम को एक टूल की तरह इस्तेमाल किया गया । अमेरिका से प्रभावित इस नीति के तहत जिन्हें गैर-आर्यन नस्ल का हिस्सा घोषित अपने से नीची समझी जाने वाली नस्ल के सभी लोगों का समूल नाश किया जाना था । इस तथ्य को इस तरह भी समझा जा सकता है कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की सुनियोजित रूप से हत्या करने के लिए हिटलर के द्वारा जर्मनी समेत अपने विजित देशों में लगभग 44,000 से अधिक स्थायी यातना शिविरों का निर्माण करवाया गया जहाँ गैर-आर्यन नस्ल के लोगों (जिनमें बूढ़ों से लेकर दूधमुहें बच्चे तक शमिल थे) को मारने से लेकर उनको दफनाए या भट्टियों में जलाए जाने की स्थायी व्यवस्थाएँ की गई थीं । हिटलर के लेबेन्सरम की परिभाषा को एक नया आयाम सुजनन (खून की मिलावट को रोकने तथा अपनी नस्ल से बाहर बच्चों की पैदावार को रोकना) के द्वारा दिया गया । सुजनन की नीति में जर्मन आर्यन नस्ल (स्थानीय भाषा में जिसे हेरेनवोक भी कहा जाता है) को सर्वश्रेष्ठ माना गया और उन्हें अपने से नीची नस्ल के लोगों को मारने का अधिकार दे दिया गया । इसी क्रम में 1935 के उत्तरार्ध में नाजी जर्मनी ने फ़ासीवादी इटली की स्पाजिया विटाले (इटली की क्षेत्रीय विस्तारवादी नीति) तथा जापान की हक्को ईचिउ (जापान की क्षेत्रीय विस्तारवादी नीति जहाँ जापान के द्वारा विश्व के आठों कोनो तक अपने साम्रराज्य के विस्तार का लक्ष्य रखा गया था) नीति का भी खुल कर समर्थन किया ।

वक्त बीतने के साथ ही लेबेन्सरम की परिभाषा को हिटलर ने पूरी तरह बदल दिया । नई परिभाषा के अनुसार लेबेन्सरम का अर्थ नस्लीय श्रेष्ठता का महिमामंडन करते हुए नाज़ियों को दैवीय नस्ल साबित करना तथा उनके द्वारा किए गए कार्यों को दैवीय कार्य बताने से था । लेबेन्सरम की नीति 1933 से 1945 के दौर के समय तक पूर्वी देशों यथा पोलैंड, रूस, यूक्रेन तथा अन्य गैर जर्मन लोगों की निर्मम सामूहिक हत्या के रूप में परिणामित हुई । भू-राजनैतिक जॉन रूडोल्फ की भौगोलिक व्याख्या को देखने पर ज्ञात होता है कि हिटलर की नस्लीय भेदभाव पूर्ण लेबेन्सरम की नीति ने ही आगे चल कर 1 सितंबर 1939 के दिन विश्व को द्वितीय विश्व युद्द के दलदल में झोंक दिया ।

हमले और क्षेत्रवाद के विस्तार की शुरुआत म्यूनिख समझौते के तहत चेकोस्लोवाकिया की उत्तरी सीमा पर स्थित सूडेटनलैंड को 1 अक्तूबर 1938 को जर्मनी सीमा में शामिल करने के साथ हुई । लेकिन ठीक ६ महीने बाद हिटलर ने इस समझौते की शर्तों को धज्जियाँ उड़ाते हुए चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण कर दिया गया । उसने उत्तरी चेकोस्लोवाकिया को विजित कर उसे बोहेमिया व मोराविया नाम देते हुए उसे जर्मनी के संरक्षण में लेने की घोषणा कर दी । इस घोषणा के साथ ही 15 मार्च 1939 को बोहेमिया व मोराविया जर्मनी के नियंत्रणाधीन क्षेत्र बन गए । चेकोस्लोवाकिया का दक्षिणी हिस्सा एक स्वतंत्र तानाशाही के अधीन फ़ासीवादी स्लोवाकिया बन गया । स्लोवाकिया के अस्तित्व में रहने का प्रमुख कारण यह भी था कि उसने नाजी जर्मनी के सहयोगी की भूमिका अदा की थी ।

गणना के अनुसार द्वितीय विश्वयुद्ध से पहले तक चेकोस्लोवाकिया में 3,50,000 से अधिक यहूदी रहते थे, जिसमे केवल बोहेमिया और मोराविया में 1,18,000 यहूदी रहते थे । जर्मनी के अधीन आने के बाद जल्द ही कई नस्लीय भेदभावपूर्ण कानून थोप दिए गए (इसके बारे में चर्चा हम अपने अगले अंक के "तारीख-ए-बयां और" स्तम्भ में करेंगे) जिनमें अधिकतर कानून उनकी आवाजाही, उनको उपलब्ध सुविधाओं, काम करने की जगहों को सीमित करते थे । वक्त बीतने के साथ ये नियम और सख्त होते चले गए और सभी यहूदियों को विस्थापित कर थेरेसिएन्स्टेड नाम की छोटी बस्ती (स्थानीय भाषा में जिन्हें घेटो कहा जाता था) में कैद कर केन्द्रित किया जाने लगा । 9 जनवरी 1942 आते-आते लगभग 88,000 यहूदियों को थेरेसिएन्स्टेड से ऑत्सविज़ यातना गृह में विस्थापित किया जा चुका था तथा 33,000 लोगों की भुखमरी के चलते असामयिक मौत हो गयी थी । इन घटनाओं की वीभत्सता को कुछ इस तरह समझा जा सकता है कि द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त होने तक पूरे चेकोस्लोवाकिया में 3,50,000 में केवल 14,000 यहूदी ही जीवित बचे थे ।

लगभग इसी तरह की या इससे अधिक बर्बर तरीके से नाजी जर्मनी द्वारा सभी विजित देशों से यहूदी जनसंख्या की नृशंस हत्याएँ करवा दी गईं जिसमें हमारे आज के स्तम्भ के ख़त का लेखक पिंचेस ऐस्नेर भी शामिल था । विजित देशों में किस तरह यहूदियों का दमन किया गया तथा किस तरह हिटलर के द्वारा उनके ऊपर तरह तरह के कानून लादे गए, इसकी चर्चा हम अपने अगले अंक में करेंगे ।

शब्द शब्दांतर

शब्द	उच्चारण	उद्भव	अर्थ
Gasconade	Gas-kuh-neyd	फ्रेंच	अपनी बड़ाई करना
Nescience	Nes-ee-uhns	लैटिन	अज्ञानता / नासमझी
Flummoxed	Fluhm-uhkst	प्राचीन अंग्रेज़ी	घबराना/परेशान करना
Foible	Foi-buhl	फ्रेंच	चरित्र की दुर्बलता
Confabulate	Kuhn-fab-yun-leyt	लैटिन	बातचीत करना
Perdure	Per-dyoor	फ्रेंच	सहना
Frumious	Froo-mee-uhs	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	धूर्त
Polyglot	Pol-ee-glot	ग्रीक	बहुभाषी
Rueful	Roo-fuhl	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	उदास
Proclamation	Prok-luh-mey-shun	फ्रेंच	उद्घोषणा
Camaraderie	Kah-muh-rah-duh-ree	फ्रेंच	सौहार्द/ भाई-चारा
Galimatias	Gal-uh-mey-shee-uhs	फ्रेंच	बकवास / निरर्थक बकझक
Parlous	Pahr-luhs	फ्रेंच	संकटमय
Plashy	Plash-ee	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	दलदली
Lachrymose	Lak-ruh-mohs	लैटिन	रोना
Torrential	Taw-ren-shuhl	लैटिन	मूसलधार
Wheedle	Vee-dl	प्राचीन अंग्रेज़ी	खुशामद से मना लेना
Epitomize	Ih-pit-uh-mahyz	फ्रेंच	संक्षेप करना / सार निकालना
Remission	Ruh-mi-shn	लैटिन	क्षमा / छूट
Coparcener	Koh-pahr-suh-ner	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	हमवारिस
Propinquity	Pruh-ping-kvuh-tee	लैटिन	समय की समीपता
Encroach	Uhn-krouch	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	अनधिकार प्रवेश करना
Sinecure	Sai-nuh-kyoo-uh	लैटिन	चैन की नौकरी
Oblivious	Uh-bli-vee-uhs	लैटिन	बेख़बर
Erudite	Eh-roo-dait	लैटिन	विद्वान
Cantankerous	Kan-tang-kuh- ruhs	मध्यकालीन अंग्रेज़ी	कलहप्रिय / झगड़ालू
Trajectory	Truh-jek-tuh-ree	लैटिन	वक्रपथ
Perilous	Peh-ruhl-uhs	लैटिन	खतरनाक

नेहा रंजन
सहायक प्रबंधक , राजभाषा विभाग , केंद्रीय कार्यालय

महामारी दर महामारी - एक विश्लेषण

नेहा रंजन - सहायक प्रबंधक , राजभाषा विभाग , केंद्रीय कार्यालय

आज भारत सहित पूरा विश्व कोरोना या कोविड -19 महामारी से जूझ रहा है । आंकड़ों की माने तो अब तक विश्व भर में करीब 17.1 करोड़ की आबादी इस महामारी से संक्रमित हो चुकी है जबकि इसकी वजह से अब तक अनुमानतः 35.7 लाख व्यक्तियों ने अपनी जान गंवाई है । वहीं भारत की लगभग 2.83 करोड़ जनता इस वायरस से संक्रमित हो चुकी है और करीब 3.35 लाख भारतवासियों ने अपने प्राण गँवा दिए । कोरोना वायरस का प्रकोप सबसे पहले तब सामने आया जब 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबेई प्रांत के वुहान शहर में अज्ञात कारणों से निमोनिया के मामलों में हुई अत्यधिक वृद्धि के कारण विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचित किया गया और बिगड़ते हालात के मद्देनज़र इसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित कर दिया । शुरुआती दौर में इसे SARS- CoV -2 के नाम से जाना जाता था लेकिन कुछ समय पश्चात इसके बढ़ते असर को देखते हुए आधिकारिक रूप से इस वायरस का नाम कोविड- 19 रखा दिया गया ।विश्व स्वास्थय संगठन के अनुसार , कोविड -19 (COVID-19) में CO का तात्पर्य कोरोना से है , VI वायरस या विषाणु को इंगित करता है और D का तात्पर्य बीमारी से है , वहीं संख्या 19 वर्ष 2019 (यानि जिस वर्ष बीमारी का पता चला था) को चिन्हित करता है । यह वायरस वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य और जीवन के लिए चुनौती बनकर खड़ा है , जिसे पूरी तरह से समाप्त करने की राह अभी तक नहीं मिल पाई है । जैसा कि विदित है कि यह एक संक्रामक रोग है , अतः सामाजिक दूरी , क्वारंटीन और स्वच्छता नियमों के पालन इत्यादि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए एक कारगर उपाय के रूप में उभर कर सामने आए हैं । साथ ही भारत सहित विश्व के कई देशों में वैक्सीन का निर्माण और आम जनता के लिए इसकी उपलब्धता इस संकट की घड़ी में रोशनी की किरण बनकर सामने आई है ।कोरोना वायरस के पहले भी ब्लैक डेथ और स्पैनीश फ्लू जैसी महामारियों ने भारत समेत दुनिया भर के देशों को प्रभावित किया था । कोरोना वायरस लगभग डेढ़ वर्ष से भी ज्यादा समय से देश और दुनिया को अपनी चपेट में लिए हुए है , इसकी इतने लंबे समय तक मौजूदगी ने हमें ब्लैक डेथ और स्पैनिश फ्लू जैसी महामारियों की याद दिलाई दी है ।

महामारी के फैलने के इतिहास पर नज़र दौड़ाई जाए तो यह पता चलता है कि कई महामारियों ने देश और दुनिया में मौत का तांडव किया है । इन महामारियों के फैलाव के संबंध में वैज्ञानिकों के अपने तर्क हैं । इसे पैटर्न माने या संयोग लेकिन हमें इतिहास में झांकने पर इसके अवशेष दिखाई देते हैं । वर्ष 13वीं शताब्दी में फैला ब्लैक डेथ या बूबोनिक प्लेग , 1817 से 1824 के दौरान फैले द फर्स्ट कॉलेरा महामारी , 1918 स्पैनिश फ्लू नामक महामारी के बाद 2019 में कोरोना नामक महामारी ने दुनिया में तबाही मचा दी है । आइए जानते हैं, क्या है ये द फर्स्ट कॉलरा , ब्लैक डेथ और स्पैनिश फ्लू नामक तीन महामारियाँ जिन्होंने लोगों को उस डर के साये में जीने को मजबूर कर दिया जिससे मुक्त होने में लोगों को कई दशकों का समय लग गया और साथ ही साथ इनका देश और दुनिया पर क्या असर रहा ।

सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लैक डेथ की जिसे बुबोनिक प्लेग के नाम से भी जाना जाता था । ब्लैक डेथ या बुबोनिक प्लेग एक विनाशकारी वैश्विक

महामारी थी जिसने 1300 के दशक के मध्य में यूरोप और एशिया को प्रभावित किया था। अक्टूबर 1347 में प्लेग ने यूरोप में उस समय दस्तक दी जब काला सागर से 12 जहाज मेसिना के सिसिली बंदरगाह पर उतरे। डॉक पर इकट्ठे हुए लोगों को एक अजीब सी घटना देखने को मिली कि उन जहाजों पर मौजूद अधिकांश नाविक मर चुके थे, और जो अभी भी जीवित थे वे गंभीर रूप से बीमार थे और काले फोड़ों से ढके हुए थे, जिनसे खून और मवाद बह रहा था। सिसिली के अधिकारियों ने जल्दबाजी में "मृत्यु जहाजों" के बेड़े को बंदरगाह से बाहर निकालने का आदेश दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और इस प्लेग की वजह से अगले पाँच वर्षों में यूरोप ने लगभग 20 मिलियन से अधिक लोगों की मृत्यु देखी जो कि इस महाद्वीप की आबादी का लगभग एक तिहाई हिस्सा थे । 1340 के दशक की शुरुआत में इस बीमारी ने चीन, भारत, फारस, सीरिया और मिस्र को अपनी चपेट में ले लिया था ।इस महामारी के दौरान स्थिति इतनी भयावह थी कि यदि रात में कोई स्वस्थ इंसान सोता था तो इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह सुबह सो कर उठेगा भी या नहीं । मूल रूप से यह महामारी चूहों और पिस्सूओं से फैली थी । इतिहासकारों का मानना है कि उस दौर में बिल्लियों की कमी भी इस बीमारी को न रोक पाने की एक प्रमुख वजह बनी । यहाँ यह बात उल्लेखनीय है कि उस काल में बिल्लियों को अपशकुन माना जाता था और यह भी माना जाता था कि उनका संबंध शैतान से है । 13 जून 1233 को पोप ग्रेगरी IX ने एक पत्र जारी किया, जिसके माध्यम से उन्होंने कह कि बिल्लियों का वास्ता शैतानी शक्तियों से है । यह माना जाता है कि इस पत्र को चर्च का फर्मान मानते हुए बिल्लियों का सामूहिक संहार किया गया । कई विद्वान यह भी मानते है कि इस प्रकार बिल्लियों की संख्या में अचानक कमी की वजह से चूहों की संख्या में उतरोत्तर वृद्धि हुई और इसी कारण ब्लैक डेथ यूरोप में अपने पैर पसारने में सक्षम हो सका । प्लेग की रोकथाम के लिए उस समय भी सामाजिक दूरी , क्वारंटीन , इत्यादि का पालन किया गया । अगर इतिहास उलट कर देखें तो यह तथ्य सामने आता है कि वास्तव में क्वारंटीन शब्द का पहली बार प्रयोग इस बीमारी के समय ही किया गया था । इस संक्रामक रोग के फैलाव को रोकने के लिए नाविकों को पहले 30दिनों के लिए क्वारंटीन में रखा जाता था परंतु बाद में इसकी अवधि को बढ़ाकर 40 दिन कर दिया गया ।

यहाँ पर हम आपको यह भी बताते चलें कि अब तक सबसे लंबी अवधि के लिए क्वारंटीन की गई महिला मेरी मॉलन थीं जिन्हें टाइफाइड मेरी के नाम से भी जाना जाता है । मेरी आइरिस मूल की एक रसोइया थी , जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उन्होंने 53 लोगों को टाइफाइड बुखार से संक्रमित किया था जिनमें से 03 लोगों की मौत हो गई थी । वे संयुक्त राज्य अमेरिका में साल्मोनेला टाइफी जो कि टाइफाइड बीमारी का एक प्रकार है , की पहली स्पर्शोन्मुख वाहक थीं । चूँकि वह एक रसोइया थी इसी वजह से उनके माध्यम से बीमारी का संक्रमण होने की संभावना अधिक थी । उन्हें अपने जीवन के लगभग 30 वर्ष आइसोलेशन में बिताने पड़े । उन्हें जबरन दो बार यानि 1907-1910 और 1915-1938 के दौरान इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए क्वारंटीन किया गया । यह माना जाता है कि मैरी जन्म से ही टाइफाइड नामक रोग से पीड़ित थी , यह बीमारी उसे अपनी माँ से हुई थी , जो गर्भावस्था के दौरान टाइफाइड रोग से पीड़ित थी। वर्ष 1900 से 1907 के दौरान मैरी ने जितने भी घरों में रसोइए के रूप में काम किया , वहाँ किसी न किसी व्यक्ति में टाइफाइड के लक्षण दिखाई देने लगे। अगस्त 1906 में मॉलन ने न्यूयॉर्क एक धनी बैंकर चार्ल्स हेनरी वारेन के घर में रसोइया का काम करना शुरु किया , लेकिन कुछ सप्ताह के भीतर ही परिवार के ग्यारह में से छह लोग टाइफाइड से संक्रमित पाए गए । डॉक्टरों की माने तो टाइफाइड जैसी बीमारी ऑस्टर बे में फैल नहीं सकती थी क्योंकि उस इलाके में सम्पन्न लोगों का निवास था और इलाके में गंदगी का नामो निशान तक नहीं था । कुछ ही दिनों में अपनी इकलौती बेटी की टाइफाइड से मौत होने की वजह से चार्ल्स हेनरी वारेन ने जॉर्ज सोपेर नाम के जाँचकर्ता को इस बात की जाँच करने हेतु काम पर रखा कि ऑस्टर बे जैसे सम्पन्न इलाके में टाइफाइड कैसे और किस वजह से फैल रहा है । सोपेर ने जाँच के दौरान यह पाया कि यह बीमारी एक आइरिस मूल की महिला रसोइया की वजह से फैल रही है क्योंकि वह जिस भी घर में खाना बनाती है वहाँ एक या एक से अधिक लोगों को यह बीमारी हो रही थी । जब ऑस्टर बे इलाके में टाइफाइड का प्रकोप बढ़ा तो मेरी ने पार्क एवेन्यू इलाके में रहने वाले वाल्टर बोवेन के घर नौकरी कर ली थी इसलिए उसका पता लगाना और भी मुश्किल हो रहा था लेकिन जब अचानक से पार्क एवेन्यू इलाके में टाइफाइड के मामले बढ़ने लगे तो सोपर को यह यकीन हो गया कि मेरी मॉलन की वजह से ही उस इलाके में भी टाइफाइड के मामले बढ़ रहे हैं । जब सोपेर ने इस संबंध में न्यू यॉर्क सिटी स्वास्थ्य विभाग को सूचित किया तब वहाँ के भी जाँचकर्ताओं ने माना कि मेरी एक टाइफाइड वाहक थी। ग्रेटर न्यूयॉर्क चार्टर की धारा 1169 और 1170 के तहत , मेरी मॉलन को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में गिरफ्तार किया गया था। मॉलन को विलार्ड पार्कर अस्पताल ले जाया गया , जहां उसे रोका गया और नमूने देने के लिए मजबूर किया गया। यहाँ तक कि उसे चार दिनों तक उठने और अपने आप बाथरूम का उपयोग करने की अनुमति तक नहीं थी। उससे प्राप्त नमूनों की जाँच में यह पाया गया कि उसके पित्ताशय में भारी मात्रा में टाइफाइड बैक्टेरिया मौजूद थे ।19 मार्च, 1907 को, मॉलन को नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में क्वारंटीन की सजा सुनाई गई । अधिकारियों ने उसके पित्ताशय की थैली को हटाने का सुझाव दिया, लेकिन उसने मना कर दिया क्योंकि उसे विश्वास नहीं था कि उसे यह बीमारी है, साथ ही , उस समय पित्ताशय की थैली निकालना खतरनाक प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी थी।अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन के जर्नल में सोपर के लेख के प्रकाशन के बाद , मॉलन की तरफ मीडिया का ध्यान गया और उन्होंने उसे "टाइफाइड मैरी" उपनाम दिया। मॉलन की क्वारंटीन अवधि के 2 साल और 11 महीनों के बाद, न्यूयॉर्क राज्य स्वास्थ्य आयुक्त , यूजीन एच. पोर्टर ने फैसला किया कि रोग वाहकों को ज्यादा दिन तक अलग-थलग नहीं रखा जाना चाहिए और अगर मेरी मॉलन रसोइए का काम नहीं करने का वचन देती है तो उसे आज़ाद कर दिया जाएगा । 19 फरवरी, 1910 को, मॉलन ने कहा कि वह "अपना व्यवसाय (रसोई का) बदलने के लिए तैयार है, और हलफनामे द्वारा आश्वासन दिया कि वह अपनी रिहाई पर ऐसी स्वच्छता संबंधी सावधानियां बरतेंगी जो उन लोगों को संक्रमण से बचाएगी जिनके साथ वह संपर्क में आई थीं।" इस प्रकार मैरी को 1910 में क्वारंटीन से रिहा कर दिया गया । अपनी रिहाई के पश्चात उसने लॉन्ड्रेस के रूप में नौकरी करनी शुरू की परंतु इस नौकरी में उसे बहुत कम वेतन मिलता था और उसके हाथ भी घायल हो जाते थे । हाथों में हुए घावों की वजह से मेरी छह माह तक कोई भी काम नहीं कर पाई और छह माह पश्चात उसने फिर से रसोइए के रूप में काम करना आरंभ कर दिया। वह काम पाने के लिए ब्रेशॉफ या ब्राउन जैसे नकली उपनामों का इस्तेमाल किया करती थी । 1915 में, मॉलन ने न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं के लिए स्लोएन अस्पताल में काम करना शुरू किया । देखते ही देखते वहाँ भी करीब 25 लोग टाइफाइड से संक्रमित हो गए और उनमें से दो लोगों की मौत भी हो गई। प्रधान प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डॉ. एडवर्ड बी. क्रैगिन ने बिगड़ते हुए हालात के मद्देनज़र जॉर्ज सोपर को बुलाया और उनसे जांच में मदद करने को कहा। सोपर ने नौकरों के मौखिक विवरण और मॉलन की लिखावट को देखते ही पहचान लिया कि यहाँ लोग जिस रसोइए की बात कर रहे हैं वो मैरी मॉलन ही थी और उस अस्पताल में टाइफाइड नामक संक्रमण मैरी की वजह से ही फैल रहा था। इस प्रकार एक बार फिर से 27 मार्च 1915 को मैरी मॉलन को नॉर्थ ब्रदर आइलैंड में क्वारंटीन कर दिया गया । वहाँ मेरी ने 23 साल से अधिक समय बिताया लेकिन वह कभी पूरी तरह से ठीक नहीं हुई और अंत में उसका आधा शरीर लकवाग्रस्त हो गया। 19 नवंबर 1938 को 69 वर्ष की आयु में दूसरे क्वारंटीन के दौरान ही मेरी की मृत्यु हो गई ।

अब बात मूल विषय की । सन 1817-1824 के दौरान द फर्स्ट कॉलरा नामक महामारी ने दुनिया के कई देशों में तबाही मचाई हुई थी । इसे पहली एशियाई कॉलरा महामारी या एशियाई कॉलरा के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी की शुरुआत कलकत्ता में हुई और धीरे- धीरे यह दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया से मध्य पूर्व , पूर्वी अफ्रीका और भूमध्य सागर के समीप बसे देशों तक फैल गया । यह 19वीं व 20वीं शताब्दियों के दौरान एशिया और यूरोप में फैली पहली हैजा महामारी थी जिसकी वजह से आठ लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी । उस दौर में यह बीमारी थाईलैंड , इंडोनेशिया और फिलीपींस में आग की तरह फैल गई थी । कॉलरा से अकेले जावा द्वीप में लगभग एक लाख लोगों की मृत्यु हो गई । अगर हैजा की बात करें तो यह विब्रियो कॉलेरा नामक बैक्टेरिया से होता है । इस बीमारी में दस्त और उल्टियाँ होती है , जिससे मरीज के शरीर में पानी की कमी हो जाती है और साफ पानी उपलब्ध न होने के कारण कुछ घंटों के भीतर मरीज की मौत हो जाती थी । द फर्स्ट कॉलरा के संक्रमण व फैलने में युद्ध व व्यापार की अहम भूमिका रही है । आर्थिक इतिहास के प्रोफेसर

डोनाटो गोमेज़-डियाज़ के अनुसार, "वाणिज्यिक विनिमय और नेविगेशन ने हैजा के फैलाव में योगदान दिया।" चूँकि उस समय यात्रा का मुख्य माध्यम जहाज हुआ करता था और एक जगह से दूसरी जगह जाने में कई दिनों का समय लगता था , इसलिए किसी एक संक्रमित व्यक्ति के जहाज पर सवार हो जाने की स्थिति में पूरे जहाज के लोग उस बिमारी से संक्रमित हो जाते थे और हजारों की तादाद में मौत के मामले देखने को मिलते थे । इतिहासकार सैमुअल कोह्न के अनुसार, पुरातन काल में महामारी अक्सर समाज के लोगों को एक साथ लाती है। हालांकि, हैजा जैसी कुछ बीमारियां इसके विपरीत थीं जो रोग से संक्रमित क्षेत्रों के लोगों के खिलाफ दोष और यहां तक कि हिंसा को भी बढ़ावा देती है । भारत में हैजा की महामारी की उत्पत्ति ने इसके शुरुआती प्रकोप के दौरान पश्चिम में एशियाई विरोधी भावना , विशेष रूप से भारतीय लोगों और संस्कृति के प्रति, में वृद्धि की । प्रकोप के बाद उठी एशियाई विरोधी भावना के बारे में बोलते हुए, ब्रिटिश इतिहासकार डेविड अर्नोल्ड लिखते है कि "हैजा की भारतीय उत्पत्ति और बंगाल से हुए इसके वैश्विक प्रसार ने इस बीमारी को उस समाज के प्रतीक के रूप में चित्रित किया जो कि उनसे पूरी तरह अलग था और जिससे उन्हें डर या घृणा थी। " प्रकोप के दौरान, औपनिवेशिक अधिकारियों ने तीर्थयात्रा पर गए दक्षिण एशियाई लोगों की चिकित्सा स्थितियों की जांच शुरू की और अंततः तीर्थयात्रियों को एक "खतरनाक वर्ग" के रूप में वर्गीकृत किया क्योंकि उनका मानना था कि कई तीर्थयात्री हैजा से संक्रमित थे जिसकी वजह से उन्हें निगरानी में रखा जाना आवश्यक था।

स्पैनिश फ्लू एच1एन1 इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण होने वाली तीन फ्लू महामारियों में से पहली थी । इस वायरस की वजह से हुई अन्य दो महामारियाँ क्रमशः 1977 में आई रूसी फ्लू और वर्ष 2009 में स्वाइन फ्लू आई थीं । 1918 स्पैनिश फ्लू अपनी सदी का सबसे खतरनाक वायरस था जिसने दुनिया की करीब एक तिहाई आबादी को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। करीब दो वर्षों यानि फरवरी 1918 से अप्रैल 1920 तक देश और दुनिया को प्रभावित करने वाली इस महामारी की चार लहरों ने विश्व स्तर पर करीब पाँच सौ मिलियन लोगों को संक्रमित किया था । यह अनुमान लगाया जाता है कि इस दौरान मरने वालों की संख्या 20 से 50 मिलियन के बीच रही । प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फैले इस फ्लू की पहली लहर मार्च 1918 में शुरु हुई और इसका पहला मामला कान्सास , संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया गया । अमेरिका के प्रथम विश्व युद्ध में प्रवेश करने के साथ ही यह रोग से न्यूयॉर्क , अन्य अमेरिकी शिवरों , यूरोप के कई देश जैसे फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन , इटली , स्पेन इत्यादि में फैल गया । मई माह आते-आते यह उत्तरी अफ्रीका , जापान और भारत जैसे देशों में भी फैल चुका था । फ्लू की पहली लहर जो 1918 की पहली तिमाही तक चली , बाद में आने वाली लहरों की अपेक्षा में काफी हल्की थी । इस महामारी की दूसरी लहर पहले की तुलना में कहीं ज्यादा घातक थी । अक्टूबर माह के दौरान मृत्यु दर अपनी परकाष्ठा पर थी, यहाँ तक कि इस लहर का प्रभाव भारत में भी देखने को मिला । इस समय भारत की आबादी दर में भी अत्यधिक गिरावट दर्ज़ की गई । जनवरी 1919 में आई इस महामारी की तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी घातक तो नहीं थी लेकिन पहली लहर से ज्यादा गंभीर थी और इसने आस्ट्रेलिय , ग्रेट ब्रिटेन, स्पेन, सर्बिया, आदि को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। वहीं 1920 की शुरुआत में इस बीमारी की चौथी लहर का पता चला जो अप्रैल 1920 में समाप्त हुई । ऐसा माना जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान बड़े पैमाने पर सेना की गतिविधियों ने महामारी के फैलने में मुख्य भूमिका अदा की । साथ ही युद्ध ने वायरस के प्रति लोगों की प्रतिरोधक क्षमता को भी कम कर दिया था। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि द्वितीय लहर की गंभीरता के लिए प्रथम विश्व युद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों को जिम्मेदार माना जा सकता है। उनका कहना है कि कुपोषण की वजह से सैनिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो गई थी और युद्ध व रासायनिक हमलों के तनाव से उनकी संवेदनशीलता भी बढ़ गई थी । पहली लहर के दौरान संक्रमितों में गले में खराश , सिरदर्द व बुखार जैसे सामन्य फ्लू के लक्षण पाए गए गए थे , जो कि दूसरी लहर में बैक्टेरियल निमोनिया में परिवर्तित होकर अत्यंत प्राणघातक हो गए जिसकी वजह से मृत्यु दर में तीव्र वृद्धि दर्ज़ की गई । दूसरी लहर में बैक्टेरिया की वजह से हुए निमोनिया में फेफड़ों में सूजन और अत्यधिक रक्तस्त्राव ने कई लोगों की जान ले ली । संक्रमण और बीमारी के रूप परिवर्तन का ये सिलसिला यहाँ नहीं रुका बल्कि कुछ मरीज़ों में हेलियोट्रोप सायनोसिस के गंभीर लक्षण दिखाई देने लगे। हेलियोट्रोप सायनोसिस स्पैनिस फ्लू संक्रमण की वजह से उत्पन्न एक जानलेवा बिमारी थी जिसमें पहले गाल के पास धब्बे नजर आते थे और कुछ ही घंटों में पूरा चेहरा नीला पड़ जाता था। धीरे- धीरे यह काले रंग में परिवर्तित होकर शरीर के बाकी हिस्सों में फैल जाता था । फेफड़ों में अत्यधिक मात्रा में तरल पदार्थ भर जाने की वजह से लोगों की मृत्यु कुछ घंटों या दिनों में हो जाती थी । चूँकि यह वायरस अत्यधिक सूक्ष्म था और इसे उस समय उपलब्ध माइक्रोस्कोप से देख पाना संभव नहीं था, इसलिए यह मान लिया गया यह बिमारी बैक्टेरियम हैमोफिलस इंफ्लुएंजा से हुई है जो कि वास्तविक वायरस से आकार में बड़ा था और उस दौरान कई मरीज़ों में पाया भी गया था । लेकिन इस गलत निदान की वजह से इस वायरस से लड़ने के लिए तैयार की गई वैक्सीन उतनी कारगर साबित नहीं हुई। 1918 में इंफ्लुएंजा को संक्रामक रोग की सूची में शामिल नहीं किया गया था जिस वजह से प्रतिक्रिया और रोकथाम के उपाय करने में देरी हुई । सबसे पहले आइलैंड , आस्ट्रेलिया व अमेरिकी समोआ जैसे द्वीपों में मैरीटाइम क्वारंटीन की घोषणा की गई , साथ ही विश्व के कई हिस्सों में सामाजिक दूरी के पालन संबंधी आदेश भी जारी किए गए। उस दौर में जापान इत्यादि देशों में मास्क पहनना एक सामान्य बात हो गई थी । हालांकि मास्क पहनने के खिलाफ

कुछ संगठन भी बनाए गए जैसे कि एंटी मास्क लीग ऑफ सैन फ्रांसिस्को,आदि। किसी भी प्रकार की एंटीवायरल दवाई की अनुपलब्धता की वजह से डाक्टरों को कुनैन , अर्सेनिक , एस्पिरिन , इत्यादि दवाओं पर निर्भर होना पड़ा । इसके साथ ही उस समय इस महामारी के उपचार के लिए पारंपरिक औषधियों व आयुर्वेद की भी सहायता ली जा रही थी । चूंकि वैक्सीन असली वायरस के स्थान पर एक अलग प्रकार के बैक्टेरिया के आधार पर बनाई गई थी इसलिए वह उतनी कारगर साबित नहीं हुई । बाद में हुए एक अध्यन में यह पाया गया कि यदि सामाजिक दूरी का पालन , मास्क पहनना , सार्वजनिक स्थान पर भीड़ इकट्ठी करने पर रोक , इत्यादि नियमों का पालन यदि आरंभ से ही किया जाता तो इस महामारी की वजह से हुई मौत के आंकड़ों को पचास फीसदी तक कम किया जा सकता था ।

स्पैनिश फ्लू के संदर्भ में महामारी के काल के समय के भारत पर बात करें तो हम यह पाते हैं 1911 और 1921 के बीच का दशक एकमात्र जनगणना काल था जिसमें भारत की आबादी गिर गई थी, जो ज्यादातर स्पैनिश फ्लू महामारी के कारण हुई थी। एक अनुमान के हिसाब से इस महामारी के दौरान भारत में 1 करोड़ 80 लाख लोग मारे गए। इसे भारत में बॉम्बे इन्फ्लुएंजा या बॉम्बे फीवर के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि सबसे पहले यह बीमारी बॉम्बे में ही फैली थी । बॉम्बे पोर्ट पर आए जहाज में प्रथम युद्ध से आए सैनिकों से पहले यह बीमारी बॉम्बे में और धीरे- धीरे पूरे देश में फैल गई । हेल्थ इंस्पेक्टर जेएस टर्नर के मुताबिक इस फ्लू का वायरस दबे पांव किसी चोर की तरह दाखिल हुआ था और तेजी से फैल गया था। अपने संस्मरण में हिंदी के प्रसिद्ध कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है, " गंगा शवों से सूज गई थी।" 1918 के दौरान सैनिटरी कमिश्नर की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया था कि भारत भर में सभी नदियाँ शवों से भर गई थीं क्योंकि दाह संस्कार के लिए जलाऊ लकड़ी की कमी थी।

किसी भी महामारी या बीमारी की रोकथाम में वैक्सीन या टीके की भूमिका बेहद अहम होती है । टीकाकरण मनुष्य के शरीर में बीमारी से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को विकसित करता है । टीकाकरण न केवल संक्रामक रोगों को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका माना जाता है बल्कि टीका संक्रामक रोग से बचाव के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को कृत्रिम रूप से सक्रिय करने का एक तरीका भी है । टीकाकरण से विकसित प्रतिरक्षा की वजह से ही आज विश्व को चेचक , पोलियो , टेटनस , आदि मुक्त किया जा सका है। चेचक दुनिया की पहली बीमारी थी जिसके लिए वैक्सीन का उत्पादन किया गया था । अगर भारत के संदर्भ में इसकी बात करें तो वर्ष 1978 में टीकाकरण के विस्तारित कार्यक्रम (ईपीआइ) और 1985 में सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम (यूआइपी) की शुरुआत की गई। मई 1802 में चेचक की वैक्सीन की पहली खुराक

भारत आई और 14 जून 1802 को एना दस्थाल नामक बच्चे को भारत के बंबई शहर में वैक्सीन की पहलीक खुराक दी गई , इस प्रकार वह पहली भारतीय बच्ची थी जिसे किसी भी प्रकार की कोई भी वैक्सीन दी गई थी । आरंभिक दिनों में जनता द्वारा वैक्सीन को पूर्ण रूप से नहीं स्वीकारा गया क्योंकि लोगों का यह मानना था कि वैक्सीन गाय , जिसे कि एक पवित्र जानवर के रूप में पूजा जाता था, की चमड़ी , इत्यादि से बनती है । साथ ही कुछ लोग मानते थे कि चेचक जैसी बीमारियाँ भगवान का कोप है , जिससे बचने के लिए देवी को प्रसन्न करना जरूरी है न कि वैक्सीन लगवाना।

उस काल में और भी समस्याएँ थी जिसकी वजह लोग वैक्सीन लगवाने से बचना चाहते थे। टीकाकरण सीमित संख्या में 'प्रशिक्षित टीकाकरणकर्ताओं' द्वारा किया जाता था जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे और जिन्हें अक्सर 'यात्रा टीकाकरणकर्ता ' कहा जाता था। इन टीकाकरणकर्ताओं को टीकाकरण करने के लिए लाइसेंस भी दिया जाता था और इन्हें "लाइसेंस प्राप्त टीकाकरणकर्ता" भी कहा जाता था । चूँकि इन लोगों को टीका लगाने हेतु सरकार द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता था जिसके कारण ये लोग टीकाकरण के लिए लाभार्थियों से एक छोटा सा शुल्क लिया करते थे । इस प्रकार से यह शुल्क भी ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीन के कम प्रसार और गरीब लोगों की इससे दूरी का एक प्रमुख कारण बन गया। बाद में यानि कि 19 वीं सदी के उत्तरार्ध में इस चुनौती से निपटने के लिए 'पेड वैक्सीनेटर्स' की अवधारणा आई, जिन्हें प्रांतीय सरकारों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण के संचालन के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों के रूप में काम पर रखा गया था और सरकार द्वारा उन्हें वेतन का भुगतान किया जाता था। भारत में अनिवार्य टीकाकरण अधिनियम 1892 में चेचक महामारी से बचाव सुनिश्चित करने और महामारी को कम करने के लिए पारित किया गया था। महामारी के समय को छोड़कर 'अधिनियम' काफी हद तक कागजों पर ही रहा। रिकॉर्ड के अनुसार , कानून 1938 में ब्रिटिश भारत के लगभग 80 प्रतिशत जिलों में लागू था।

भारत में 1850 तक वैक्सीन ग्रेट ब्रिटेन से आयात की जाती थी। हालांकि, भारत में वैक्सीन के परिवहन में वास्तविक लॉजिस्टिक चुनौतियां थीं। बाद के वर्षों में बढ़ी हुई मांग ने देश में वैक्सीन या लिम्फ की कमी को जन्म दिया और भारत सरकार को निरंतर टीके की आपूर्ति बढ़ाने के विकल्प खोजने के लिए बाध्य किया। 1832 की शुरुआत में बॉम्बे (मुंबई) में कुछ शोध प्रयासों के रिकॉर्ड हैं और 1879 में मद्रास (अब चेन्नई) में लिम्फ के लिए पशु प्रयोग शुरू हुए जिसमें 1880 में प्रारंभिक सफलता मिली । इस काल की एक अन्य महत्वपूर्ण घटना थी बंगाल में कॉलेरा नामक महामारी का उद्भव और देश भर में इसका प्रसार। ब्रिटिश सरकार की संतुस्ति के साथ भारत में डॉ. हाफकिन को कॉलेरा वैक्सीन के ट्रायल की अनुमति दी गई । 1893 में डॉ हाफकिन ने आगरा, उत्तर प्रदेश में वैक्सीन का सफल परीक्षण किया और रोग पर इसके प्रभाव को साबित किया। भारत में 1896 में एक प्लेग महामारी की शुरुआत हुई जिसकी वजह से 1896 में ही महामारी अधिनियम (जो अभी भी देश में लागू है) लागू किया गया । सरकार ने डॉ. हाफकिन से प्लेग के टीके के विकास पर काम करने का अनुरोध किया और उन्हें अपनी प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए मुंबई के ग्रांट मेडिकल कॉलेज में दो कमरों का सेट प्रदान किया। डॉ हाफकिन ने 1897 में प्लेग का टीका विकसित जो कि भारत में विकसित पहला टीका है। इस

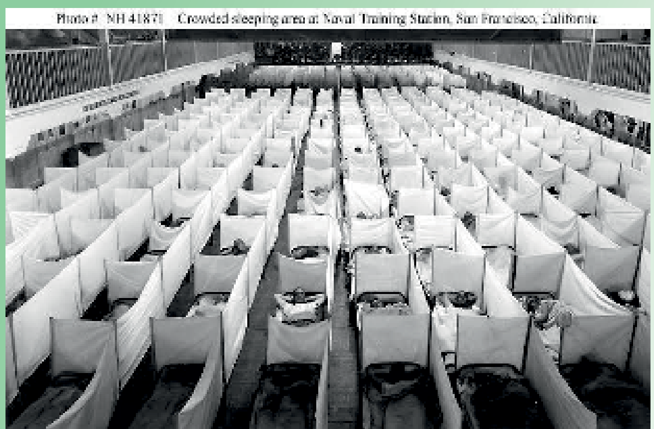

प्रयोगशाला को 1899 में प्लेग प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता था जिसका नाम 1905 बॉम्बे बैक्टीरियोलॉजिकल लैब कर दिया गया और फिर 1925 में इसका नाम हाफ्किन संस्थान रखा गया।

बीसवीं सदी की शुरुआत में कुछ सामाजिक-वैज्ञानिक-भू-राजनीतिक घटनाएं देखी गईं, जिनका देश में टीकाकरण के प्रयासों पर स्थायी प्रभाव पड़ा। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन थे , 1896-1907 के दौरान भारत में हैजा और प्लेग का प्रकोप ,प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देश में फैली इन्फ्लुएंजा महामारी (जिसकी वजह से लगभग 1.7 मिलियन भारतीय मौत का शिकार हुए) और सबसे महत्वपूर्ण था भारत सरकार अधिनियम,1919 जिसने केंद्र से प्रांतों को कई प्रशासनिक शक्तियां हस्तांतरित कीं और जिसके द्वारा स्थानीय स्व-सरकारों को चेचक के टीकाकरण सहित स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। बीसवीं सदी की शुरुआत में भारत में चेचक के अलावा हैजा, प्लेग और टाइफाइड के भी टीके बनाए जा रहे थे । उस समय में क्षय रोग को रुग्णता और मृत्यु दर का एक प्रमुख कारण माना जाता था। मई 1948 में भारत सरकार ने एक प्रेस नोट जारी किया जिसमें कहा गया था कि तपेदिक देश में "महामारी के अनुपात में है" और इसपर "सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद" एक सीमित पैमाने पर और सख्त पर्यवेक्षण के तहत एक उपाय के रूप में बीसीजी टीकाकरण शुरू करने का निर्णय लिया गया।

रोग को नियंत्रित करने के लिए 1948 में गिंडी, मद्रास (चेन्नई), तमिलनाडु में एक बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला स्थापित की गई । अगस्त 1948 में भारत में पहला बीसीजी टीकाकरण आरंभ किया गया था। 1988 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2000 तक पोलियो उन्मूलन के लिए एक प्रस्ताव पारित किया । भारत में पोलियो के नियंत्रण के लिए विशेष राज्य-विशिष्ट प्रयास किए गए। 25 फरवरी, 2012 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो से ग्रस्त देशों की सूची से हटा दिया था ।

आज जब पूरा विश्व कोविड नाम की महामारी से जूझ रहा है । इस महामारी संबंधी वैक्सीन के आविष्कार ने इससे बचाव की उम्मीद जगाई है । भारत ने 16 जनवरी 2021 को कोविड -19 टीकाकरण की शुरूआत की जिसके तहत । 7 जून 2021 तक , भारत ने कुल मिलाकर 236,198,726 खुराकें दी जा चुकी हैं, जिसमें वर्तमान में स्वीकृत टीकों की पहली और दूसरी खुराक शामिल है । टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत में दो टीकों को भारत में आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी मिली थी । पहली थी, कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका वैक्सीन का एक ब्रांड है और दूसरी है कोवाक्सिन, जिसे भारत बायोटेक द्वारा विकसित किया गया था। अप्रैल 2021 में, भारत सरकार ने तीसरे टीके के रूप में रूसी स्पुतनिक V वैक्सीन (जिसे डॉ रेड्डीज लैबोरेटरीज द्वारा स्थानीय रूप से वितरित किया जा रहा है) को मंजूरी दी जिसका उपयोग मई 2021 से आरंभ हुआ। टीकाकरण के पहले चरण में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित सभी प्रथम/अग्रिम पंक्ति योद्धाओं का टीकाकरण किया गया । 01 मार्च 2021 को 60 वर्ष से अधिक के व्यक्तियों और 45 से 60 वर्ष के उन व्यक्तियों के लिए टीकाकरण पंजीकरण के दूसरे चरण को खोला गया जिन्हें पहले से कोई बीमारी थी। वहीं 01 अप्रैल से 45 वर्ष से अधिक के सभी व्यक्तियों के लिए कोविड टीकाकरण संबंधी पंजीकरण को खोला गया और 11 से 14 अप्रैल के दौरान चार दिवसीय टीका उत्सव मनाया गया जिसके दौरान 25 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया गया ।

देश भर में प्रशासित संचयी खुराक का ग्राफ

देश भर में प्रशासित कुल टीकाकरण खुराक

टीकाकरण (केवल पहली खुराक) पूरी तरह से टीकाकरण

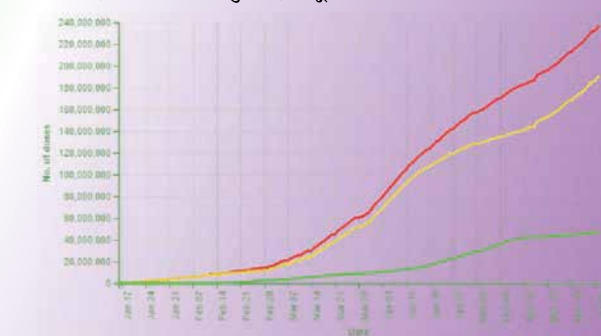

वैक्सीन ब्रांड द्वारा वैक्सीन प्रशासन

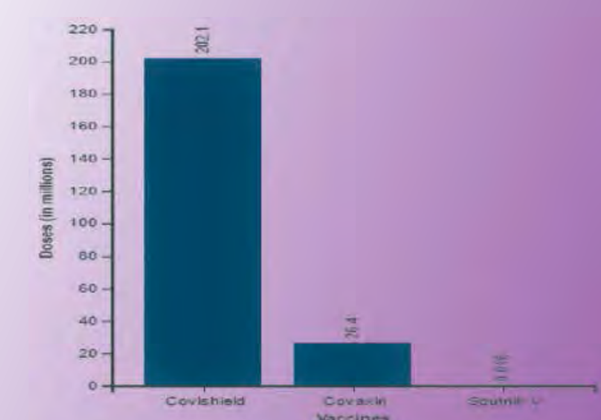

10 मार्च 2021 तक, भारत ने इस योजना के माध्यम से 65 देशों को 5.8 मिलियन से अधिक वैक्सीन खुराकें वितरित की गईं लेकिन टीकों की भारत की घरेलू आवश्यकता के कारण इन निर्यातों को बाद में मार्च में निलंबित कर दिया गया था |

बैंकों में एनपीए - कमी लाने के नवीनतम उपाय

सुश्री स्नेहा कुमारी - प्रबंधक, क्षे.का. हैदराबाद

अनर्जक आस्तियां, अंग्रेजी में इसे नॉन परफॉर्मिंग असेट्स (एनपीए) कहते हैं । बैंकिंग व वित्त उद्योग में ये ऐसे ऋण माने जाते हैं जिनका कि वापस लौटना संदिग्ध हो जाता है । बैंक अपने ग्राहकों को जो ऋण प्रदान करता है उसे अपने खाते में आस्ति या संपत्ति के रूप में दर्शाता है । यदि किसी कारणवश यह आशंका हो कि ग्राहक यह रकम लौटा नहीं पाएगा तो भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों के अनुसार, ऐसे ऋणों को बैंकों द्वारा, धीरे-धीरे अनर्जक आस्तियों के रूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। बैंकिंग जगत में अनर्जक आस्तियों को किसी भी बैंक की आर्थिक सेहत को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण पैमाने के रूप में देखा जाता है तथा इसमें वृद्धि होना किसी भी बैंक की सेहत के लिए चिंता का विषय होता है। बैंकों को अपनी अनर्जक आस्तियों के लिए, अपने लाभ की रकम में से प्रावधान करना होता है, जिसका बैंक के लाभ पर बहुत ही खराब प्रभाव पड़ता है। इसीलिए, किसी भी सफल बैंक के लिए अपनी आस्तियों को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी होता है और इन्हें अनर्जक होने से बचाने के लिए कारगर उपाय किए जाने होते हैं।

अनर्जक आस्तियों के प्रकार

किसी भी ऋण खाते में ऋण की किस्त, मूल-धन अथवा ब्याज यदि 90 दिन से अधिक अवधि तक जमा नहीं होता है तो ऐसे खातों को अनर्जक आस्ति माना जाता है। मूलतः अनर्जक आस्तियाँ तीन प्रकार की होती हैं

01. अवमानक ऋण आस्तियाँ

02. संदिग्ध ऋण आस्तियाँ

03. डूबी हुई ऋण आस्तियाँ

बैंक द्वारा जब किसी आस्ति को अनर्जक ऋण आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, उस तारीख से 1 साल तक की अवधि तक ऐसी आस्तियों को अवमानक माना जाता है। इस एक वर्ष की अवधि के दौरान बैंक, प्रतिभूत ऋणों के मामले में, सुरक्षित अंश का 15 प्रतिशत और असुरक्षित अंश का 25 प्रतिशत रकम का प्रावधान (अपने लाभ की रकम में से) करता है ।

एक वर्ष के बाद से अगले तीन वर्ष की अवधि तक ऐसे ऋणों को संदिग्ध ऋण आस्ति माना जाता है । इसमें भी ऐसी आस्तियों को संदिग्ध ऋण -1 और संदिग्ध ऋण-2 में वर्गीकृत किया जाता है ।

इस अवधि के दौरान, संदिग्ध ऋण -1 में प्रतिभूत सुरक्षित ऋणों के मामले में, सुरक्षित अंश का 25 प्रतिशत और असुरक्षित अंश का 100 प्रतिशत रकम का प्रावधान किया जाता है, जबकि संदिग्ध ऋण -2 में प्रतिभूत सुरक्षित ऋणों के मामले में, सुरक्षित अंश का 40 प्रतिशत और असुरक्षित अंश का 100 प्रतिशत रकम का प्रावधान किया जाता है। पाँचवें वर्ष से ऐसी आस्तियाँ को संदिग्ध ऋण - 3 में वर्गीकृत किया जाता है और ऐसी आस्तियों पर 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण किया जाता है। ऐसे ऋण जो धोखाधडी से युक्त होते है अथवा ऐसे अन्य ऋण, जिनमें वसूली की संभावना ही नज़र नहीं आती इन्हें डूबत ऋण के रूप में वर्गीकृत कर दिया जाता है । ऐसी आस्तियों पर भी 100 प्रतिशत प्रावधानीकरण किया जाता है।

आस्तियों का अनर्जक आस्तियों में रूपांतरण के कारण

आस्तियों का अनर्जक आस्तियों में रूपांतरण मूलतः दो कारणों से होता है ।

व्यवसाय में हानि

उधारकर्ता का जानबूझकर ऋण की रकम अदा नहीं करना

किसी व्यवसाय में हानि की स्थिति की बहुत सारी वजहें होती हैं। जैसे, कच्चे माल की लागत में वृद्धि, मशीनरी की क्षमता का पूर्णतः दोहन नहीं कर पाना, कर्मचारियों में असंतोष की भावना, हड़ताल, किसी विशिष्ट प्रकार के कच्चे माल की उपलब्धता में दिक्कत आना, सरकार की नीतियों में परिवर्तन आदि । लेकिन, उधारकर्ता ऋण अदायगी का सामर्थ्य होने के बावजूद, जानबूझकर ऋण की रकम अदा नहीं करता है तो इसके लिए जिम्मेदार केवल उधारकर्ता होता है ।

अनर्जक आस्तियों की वसूली के तरीक़े

अनर्जक आस्तियों की वसूली के लिए मूलतः निम्नलिखित पाँच तरीक़े अपनाए जाते हैं :

- सरफेसी अधिनियम 2002 के अधीन
- मुकदमा दायर करके
- आईबीसी 2016 एनसीएलटी के अधीन
- संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री करना
- एक बारगी निपटान या न्यायालय के बाहर के निपटान

सरफेसी अधिनियम, 2002 उन अनर्जक आस्तियों पर लागू होता है जिनका कर्जा रु.1 लाख या उससे ज्यादा रकम का होता है । सरफेसी

अधिनियम के तहत सबसे पहले उधारकर्ता और गारंटीकर्ता को डिमांड नोटिस जारी की जाती है जिसमें उनसे यह कहा जाता है कि नोटिस जारी करने के 60 दिनों के भीतर वह बैंक का सारा कर्जा अदा कर दे । अगर उधारकर्ता ऐसा करने में असमर्थ होता है तो उसके द्वारा बंधक/दृष्टिबंधक रखी गई आस्तियों को बैंक अपने कब्जे में लेने के लिए नोटिस जारी करता है और अंततः उसको अपने कब्जे में ले लेता है । उन आस्तियों को ज़ब्त करने के बाद बैंक उन आस्तियों को बेचने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। आस्तियों की बिक्री से पहले बैंक उधारकर्ता और गारंटीकर्ता को एक बार फिर, 30 दिनों के लिए नोटिस जारी करता है और उसे सूचित किया जाता है कि वह सारी बकाया रकम जमा कर दें । अगर उधारकर्ता 30 दिनों की अवधि में भी ऋण-रकम का भुगतान नहीं कर पाता है तो बैंक उन संपत्तियों को ई-ऑक्शन के माध्यम से बिक्री करके अपना कर्जा वसूल कर लेता है ।

मुकद्दमा दायर करके भी आस्तियों की वसूली की जा सकती है जिसमें या तो कोई प्रतिभूति नहीं होती या फिर वह संपत्ति कृषि-भूमि होती है । ऐसी आस्तियाँ, जिनकी बक़ाया राशि रुपए 20 लाख तक है, उसे सिविल सूट के माध्यम से और उससे ज्यादा की रकम को डीआरटी सूट फाइल करके वसूली की प्रक्रिया अपनाई जाती है ।

2016 में एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हुई जिसमें एनसीएलटी ट्रिब्यूनल अस्तित्व में आया । इस सुविधा का प्रयोग सिर्फ कारपोरेट ऋणों की वसूली के लिए किया जा सकता है ।

संपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी को आस्तियों की बिक्री करके भी अनर्जक आस्तियों में कमी लाने की व्यवस्था की जाती है ।

ऋण रकम की वसूली में एक बारगी निपटान या न्यायालय के बाहर निपटान की नीति बहुत ही कारगर साबित होती है । इसके तहत बैंक द्वारा ऋणी को कुछ छूट दी जाती है और ऋण का संपूर्ण निपटान एक बार में कर दिया जाता है ।

बैंकों में अनर्जक आस्तियों में कमी लाने के नवीनतम उपाय

हम जानते हैं कि अनर्जक आस्तियों को बढ़ने से रोकने या इनमें कमी लाने के लिए उपर्युक्त प्रक्रियाओं का प्रयोग किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कुछ और प्रभावशाली उपाय किए जा सकते हैं। अनर्जक आस्तियों में कमी लाने के लिए कुछ नवोन्मेषी उपाय हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं जिन पर विचार किया जा सकता है।

आज बैंकों में सबसे ज्यादा अनर्जक आस्तियों बड़े-बड़े कॉर्पोरेट उधारकर्ताओं की वजह से हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है, प्रतिभूतियों के बिना या कम प्रतिभूतियों पर ऋण प्रदान करना है । ऐसे ऋणों पर कम से कम 90% प्रतिभूति लेकर ही ऋण दिए जाने चाहिए ताकि उधारकर्ता अपनी संपत्ति को गँवाने से बचने के लिए या अपनी संपत्ति को न त्याग पाने के मोह के चलते बैंक का ऋण वापस करने का इरादा रखें ।

विभिन्न योजनाओं/राजनीतिक कारणों से भी ऋण देने के लिए बैंकों को मजबूर होना पड़ता है। कई योजनाएँ ऐसी है जिसमें बैंकों को मजबूरन, प्रतिभूति के बिना ही ऋण देना पड़ता है। ऐसे ऋणों का कुछ हिस्सा सरकार उपदान या सब्सिडी के रूप में देती है। छोटे ऋणों के खराब होने की यह भी एक बहुत बड़ी वजह है क्योंकि उधारकर्ता सब्सिडी मिलने के बाद बैंक का बचा हुआ पैसा वापस नहीं करते । इस पर रोक लगाई जानी चाहिए ।

सरकार को चाहिए कि वह या तो ऐसे ऋणों पर रोक लगाए या कुछ ऐसे नियम बनाए कि ऋण लेने वाला कुछ ना कुछ प्रतिभूति बैंक के पास रखने के लिए मजबूर हो । बहुत सारे उधारकर्ता बैंक का पैसा लेकर उसे अपने व्यवसाय में निवेश करने की बजाय उस रकम को चल-अचल संपत्ति बनाने के लिए उपयोग करते हैं । कई बार वह संपत्ति उनके नाम पर न होने की वजह से उसे बैंक वसूली के लिए कोर्ट में कुर्क नहीं करवा सकती। ऐसे उधारकर्ताओं के लिए एक ऐसा कानून बनाया जाना चाहिए जिसमें उधारकर्ता के निजी परिवार के सदस्यों के नाम पर खरीदी गई सारी संपत्ति को भी न्यायालय द्वारा कुर्क किया जा सके।

यदि उधारकर्ता अन्यथा यह प्रमाणित न कर दे कि ऐसी संपत्तियाँ उसने बैंक के पैसे से नहीं खरीदी हैं।

सरकार को चाहिए कि वह कोई ऐसा पोर्टल बनाए जहां पर सभी प्रकार के वाहनों के सारे विवरण उपलब्ध हों । बैंक जब चाहे इस पोर्टल से अपने उधारकर्ताओं के ब्योरे, वहां से प्राप्त कर सकें ।

रीजनल न्यूज़ चैनल में नीचे ऐसे उधारकर्ताओं के नाम और ब्योरे, ऋण बक़ाया के तथ्यों के साथ स्क्रोल करवाते रहने पर भी विचार किया जा सकता है । जिससे कि उधारकर्ताओं को शर्मिंदगी का अहसास हो और वे ऋण रकम चुकाने के लिए आगे आएँ ।

सरकार अपने स्तर पर कुछ इस तरह का भी प्रावधान कर सकती है कि

स्थानीय समाचार पत्रों में स्थानीय चूककर्ताओं की सूची एक कॉलम विशेष में हर रोज प्रकाशित की जाती रहे ताकि ऐसे उधारकर्ताओं के नाम उसमें नजर आएँ, उन्हें शर्मिंदगी का अहसास हो और वे ऋण रकम वापस कर सकें ।

कई बार बंधक रखे गए खुले प्लाट की पहचान करना मुश्किल होता है। बैंक को और सरकार के स्तर पर भी कुछ इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं कि जो भूमि का हिस्सा बैंक में बंधक रखा जा रहा है उसके बंधक रखे जाने से पहले उसके चारों तरफ बाउंड्री-दीवार उठाई जाए ताकि भविष्य में उसको पहचानना और उसको बेचने के लिए कार्यवाही करना बैंक के लिए सुविधाजनक हो ।

न्यायालय उधारकर्ता को ऋण की रकम अदा करने के लिए जो आदेश दे उसमें इस बात का भी प्रावधान हो कि किसी प्रकार का स्टे दिए जाते समय, बैंकों का पूरा बक़ाया अदा करने के लिए कुछ समय देते हुए किस्ते चुकाने के निर्देशों के साथ-साथ यह भी निर्देश दिए जाएं कि किस्तों की अदायगी में चूक होने की स्थिति में बैंक को यह अधिकार हो कि वह संपत्ति को बेचने के लिए कार्रवाई कर सके।

बैंक अपने परिसर में एक फ्लैश बोर्ड का प्रदर्शन कर सकते हैं जिसमें उस शाखा विशेष के चूककर्ताओं के नाम फ़्लैश होते रहें ताकि बैंक के अन्य ग्राहक भी इस बात को देख सकें कि उसमें शाखा विशेष में चूककर्ता कौन-कौन है। इससे चूककर्ताओं की ताज़ा जानकारियाँ मिल सकेंगी और उनके जान-पहचान वालों, रिश्तेदारों तक यह जानकारी पहुँचेगी, अन्य ग्राहकों को भी इससे संदेश मिलेगा कि चूक न करें।

सरकार द्वारा कई कल्याण योजनाओं के तहत ऋण उपलब्ध कराने के लिए निर्देश जारी किए जाते हैं और बैंक इन पर बहुत आसानी से ऋण दे भी देते हैं । लेकिन, जब वसूली की बात आती है तो वसूली बहुत मुश्किल होती है। ऐसे में, सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई कक्ष स्थापित करें जहां पर सरकार के प्रतिनिधि ऐसे उधारकर्ताओं से संपर्क करते रहें और ऋण वसूली में बैंकों की सहायता करें ।

कोई भी ऋण जब अनर्जक आस्ति में बदल जाता है तो वसूली प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में बैंक का स्टाफ बंधक रखी गई संपत्तियों का दौरा करे, वहां आसपास के लोगों को इस बात की जानकारी दे कि वह संपत्ति बैंक के पास बंधक रखी हुई है और इसे बैंक बेचने के लिए कार्यवाही करने वाला है। इस प्रक्रिया के दौरान उधारकर्ता शर्मिंदगी महसूस करके भी ऋण की रकम तत्काल अदा करने के लिए आगे आ सकता है ।

किसी भी प्रकार का ऋण देने से पहले बैंक यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई करें कि उधारकर्ता का इंस्टाग्राम या फेसबुक अकाउंट है कि नहीं। अगर है तो उसकी सारी जानकारियां वह अपने पास रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम ऋण में चूक आदि से संबंधित जानकारी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर भी दे सके। जिससे कि उसके अन्य साथी इस बात को जान सकें कि उस व्यक्ति को बैंक का उधार चुकाना है । ऐसी जानकारियों के फैलने का एक नतीजा यह होता है कि वह शर्मिंदगी महसूस करके भी ऋण की रकम अदा पर तत्काल कार्रवाई कर सकता है ।

स्किप ट्रेस जैसी सुविधाएं हमारे पास मौजूद है लेकिन वह बहुत कारगर नहीं है । इसे और भी कारगर बनाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ।

उपसंहार - बैंकों के लिए एनपीए जरूर बड़ा सरदर्द बन गया है, लेकिन अब सरकारी बैंक इसे छुपाना नहीं चाहते । सभी बैंक इसका कारगर इलाज करने के लिए तैयार हैं जो कि एक अच्छा संकेत है। अनर्जक आस्तियों का स्तर अधिक होने के कारण चिंता का बढ़ जाना स्वाभाविक है। दिए गए ऋणों की एक बहुत बड़ी राशि आज किसी काम की नहीं है। अगर इस राशि की वसूली की जाती है तो सरकारी बैंकों की लाभप्रदता में इजाफा, लाखों लोगों को रोजगार, नीतिगत दरों में कटौती का लाभ कारोबारियों तक पहुंचना, आधारभूत संरचना का निर्माण, कृषि की बेहतरी, अर्थव्यवस्था को मजबूती, विकास को गति आदि संभव हो सकेगा ।

हँसी की फुलझड़ियाँ

टीचर – बताओ , सबसे चतुर प्राणी कौन – सा है ?
गोलू – हिरण
टीचर – कैसे ?
गोलू- सतयुग में भगवान राम को फँसाया था और कलयुग में सलमान को ..

एक स्कूटर के आगे 'प्रेस' लिखा हुआ था ।
मैंने पूछा किस अखबार में काम करते हो ?
स्कूटर वाला बोला , " साहब धोबी हूँ , कपड़े प्रेस करता हूँ ।"

पति : सेल्फ कंट्रोल करना तो कोई तुमसे सीखे ।
पत्नी (खुश होकर) : वह तो है , पर किस बात पर ?
पति : शरीर में इतनी शुगर है लेकिन मजाल है , कभी जुबान पर आने दो ।
एक दिन पति ने पत्नी को शराब चखाई ।
पत्नी : यह तो बहुत कड़वी है ।
पति : तो तुम क्या समझती थी कि मैं अय्याशी करता हूँ । जहर के घूँट पीता हूँ , जहर के ।

एक लड़की और लड़का होटल में खाने गए
वेटर : क्या लेंगे आप ?
लड़का : वो तेज मिर्ची वाला घेवर ले आओ ।
वेटर : क्या ?
लड़की : गाँव का है , पिज्जा माँग रहा है ।

यदि एक शेर आपकी सास और आपकी पत्नी पर एक साथ हमला कर देता है , तो आप किसे बचाएंगे ?
पति : ये भी कोई पूछने की बात है , मैं यकीनन शेर को बचाऊँगा ।
आखिर दुनिया में शेर बचे ही कितने हैं ।

ब्रेकिंग न्यूज ...
सोने में 50 प्रतिशत गिरावट आई है ।
पहले लोग 10 घंटे सोते थे । अब फेसबुक और वाहट्सएप के कारण 5 घंटे ही सोते हैं ।

गोलू – जानू , तुम दिन पर दिन खूबसूरत होती जा रही हो ।
पत्नी (खुश होकर) – तुमने कैसे जाना ?
गोलू – तुम्हें देखकर रोटियाँ भी जलने लगी हैं ।

दूध वाले हड़ताल करते हैं तो दूध सड़क पर फेंकते हैं ।
टमाटर वाले हड़ताल करते हैं तो टमाटर सड़क पर फेंक देते हैं ।
न जाने बैंक को कब अक्ल आएगी ...

जज : घर में मालिक के होते हुए तूने चोरी कैसे की ?
चोर : साहब , आपकी नौकरी अच्छी है और सैलरी भी अच्छी है , फिर आप ये सब सीख कर क्या करोगे ?

कानपुर के भैय्या को पासपोर्ट फॉर्म भरने के लिए दिया गया ।
प्रश्न : अपना नाम लिखें
भैय्या : गजेंद्र तिवारी
प्रश्न : कृपया अपना PAN विवरण दें ।
भैय्या : 120/300 बाबा जर्दा , बनारसी पत्ता , हल्का चूना , डबल कत्था , नवरत्न किमाम , कच्ची – पक्की सुपारी , लौंग , इलाइची और तनिक हरी पत्ती

बैंक के कैशियर ने ख़िड़की पर खड़े आदमी को कहा : पैसे नहीं है ।
ग्राहक : और दो माल्या को पैसा , सारे पैसे लेकर भाग गया विदेश ।
कैशियर ने खिड़की से हाथ निकाला और उसकी गर्दन दबोच कर कहा : अबे , बैंक में तो है तेरे खाते में नहीं है भिखारी ।

पति – तुम मेरी फिल्म में काम करोगी ?
पत्नी- हाँ करूँगी । क्या करना होगा ?
पति – कुछ नहीं बस नदी में जाकर खड़ी हो जाना ।
पत्नी – फिल्म का नाम क्या है ?
पति – गई भैंस पानी में ।
पत्नी – तुम मेरी नई फिल्म में काम करोगे ?
पति – क्या करना है ?
पत्नी – बस घर जाना है , फिर वापस यहीं नदी किनारे आना है । ऐसा दो-तीन बार करना है ।
पति – ठीक है, पर फिल्म का नाम क्या है ?
पत्नी – धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का ।

कोरोना मेंटल हेल्थ पर डालता है बुरा असर जानें क्या है इसके लक्षण, कैसे खुद को इससे बचाएं

निशा कुमारी सहायक प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय, विजयवाड़ा

पूरी दुनिया में विकराल रूप ले चुका कोरोना वायरस अपने साथ एक मानसिक स्वास्थ्य महामारी भी लेकर आया है । कोरोना वायरस के

संक्रमण को रोकने के लिए दुनिया भर में लॉकडाउन की अनिश्चितता ने बड़ी संख्या में लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाला है। हालांकि पोस्ट ट्रॉमैटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर (PTSD) अक्सर युद्ध से जुड़ा होता है, यह उन लोगों के साथ भी हो सकता है जो किसी दुर्घटना या इस तरह की महामारी जैसे दर्दनाक अनुभव से गुज़रे हों। विशेषज्ञ लॉकडाउन से बाहर आने वाले बहुत से लोगों में पीटीएसडी के लक्षण दिखने का अनुमान लगा रहे हैं। यहां तक कि अगर उनको क्लीनिकल रूप से निदान नहीं किया गया है, तो वे लोग स्ट्रांग इमोशन स्ट्रेस से पीड़ित हो सकते हैं जो महामारी के खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक रह सकता है।

ऐसे में मेंटल हेल्थ का सबसे बड़ा शिकार स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अन्य आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोग होते हैं, जो इस महामारी से सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे हैं। वे लोग जो पहले से ही मेंटल हेल्थ जैसी बीमारी एंजाइटी या डिप्रेशन से पीड़ित हैं, उनके लिए यह अधिक जोखिम भी हो सकता है। कुछ चीजें हैं जो आज आप कर सकते है। यह सुनिश्चित करें कि आप अपने मेंटल हेल्थ पर कम से कम प्रभाव के लिए महामारी जैसे दौर को भूल सकते हैं। आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं। यह समस्याएं लंबे समय तक हो सकती है।

क्या हैं संभावित लक्षण

लक्षण कई अलग-अलग तरीकों से प्रकट हो सकते हैं। इनमें बुरे सपने, परेशान करने वाली यादें या फ्लैशबैक शामिल हैं, हर समय तनावग्रस्त और चिड़चिड़ा रहना और सोने में भी परेशानी होना। आप हाइपर-सतर्क भी हो सकते हैं और ध्यान केंद्रित करने में भी परेशानी हो सकती है। यह लक्षण यदि लगातार रहते हैं, तो PTSD के रूप में निदान किया जा सकता है। हालांकि, आइसोलेशन में अगर यह लक्षण आप महसूस कर रहे हैं तो आपको इसका निदान करने की आवश्यकता नहीं है।

मरीजों को अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्हें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वे खुद को क्या बता रहे हैं और कैसे उन्हें महसूस कर रहे हैं और वे क्या करते हैं। अगर आपके विचार काले और सफेद या भयावह है तो आप सतर्क हो जाएं।

कितने समय तक हो सकती है यह समस्याएं

आम तौर पर रोगी समय की अवधि में स्वाभाविक रूप से ठीक हो जाते हैं। वे आम तौर पर लक्षण दिखने के कुछ महीनों के भीतर ठीक हो जाते हैं। हालांकि,कभी ऐसा भी होता है कि जब मरीज समय के साथ ठीक नहीं होते हैं। यह तब होता है जब उन्हें अपने परिवार, दोस्तों या किसी चिकित्सक से मदद लेने में देर हो जाती है।

खुद को रिलैक्स रखें

जब लोग डिप्रेश महसूस कर रहे होते हैं, तब भी बहुत से लोग खुद को रिलैक्स रखते हैं। यह अभी मुश्किल लग सकता है, लेकिन कई ऐसे तरीके हैं जिससे आप खुद को तनावमुक्त रख सकते हैं। अपनी दिनचर्या में ऐसी चीजों को शामिल करें जिससे खुद को मानसिक तनाव से दूर रख सकें। हालांकि, यदि आपको ऐसा लगता है कि इन चीजों के लिए प्रोफेशनल मदद की आवश्यकता है तो इसे अनदेखा

न करें और इसे जरूर लें।

कोरोना वायरस से बचाव के लिए करें योग, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए ऐसे करें प्राणायाम

कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नियमित रूप से योग करना शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। इससे शरीर दुरुस्त रहता है और मानसिक तनाव भी कम होता है। नियमित योग करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। किसी भी वायरस का संक्रमण अगर हमारे फेफड़ों में पहुंच जाता है तो भस्त्रिका प्राणायाम करना चाहिए। यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन स्तर बढ़ाने के लिए बहुत लाभदायक है।

इस तरह करें भस्त्रिका प्राणायाम

भस्त्रिका प्राणायाम के लिए सबसे पहले पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन लगाकर बैठ जाएं और दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में पैरों के ऊपर रखें। शुरू-शुरू में धीरे धीरे सांस लें और फिर बलपूर्वक सांस को बाहर छोड़ें। बाद में बलपूर्वक सांस लें और बलपूर्वक सांस छोड़ें। इस क्रिया को 15 मिनट तक करें। इससे शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है और कार्बन-डाई-आक्साइड शरीर से बाहर निकलती है।

प्राणायम से होते हैं कई फायदे

प्राणायाम से रक्त की सफाई होती है। शरीर के सभी अंगों तक रक्त का संचार भी अच्छे से होता है । ध्यान करते हुए अपने आसपास का माहौल सकारात्मक बनाकर रखें। समाचार कम सुनें और योग व व्यायाम के साथ ही अपने दिन की शुरूआत करें।

कोरोना से ठीक होने के बाद जरूर करें ये पांच काम, नहीं बरतें लापरवाही

कोरोना वायरस के संक्रमण से पूरी दुनिया त्रस्त है। अब तक इस वायरस से 3 करोड़ 38 लाख से भी अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं जबकि 10 लाख 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पहले यह माना जा रहा था कि एक बार जो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गया, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है और वह दोबारा संक्रमित नहीं हो सकता, लेकिन हाल के दिनों में ऐसा देखने को मिला है कि लोग दोबारा भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में इस बात को लेकर अभी बहस जारी है कि आखिर एंटीबॉडी शरीर में कब तक रहती है। अब सच्चाई चाहे जो हो, लेकिन कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी चाहिए। इसलिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं इनके बारे में...

मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने जैसे नियम का करें पालन

कोरोना से ठीक होने के बाद भी आपको मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ धोने जैसे नियम का पालन करना जरूरी है, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप दोबारा संक्रमित नहीं हो सकते।

नियमित रूप से व्यायाम करें

चूंकि कोरोना वायरस शरीर को बिल्कुल कमजोर कर दे रहा है, जिससे व्यायाम करने में भी काफी दिक्कतें महसूस हो रही हैं। लेकिन आप इसे धीरे-धीरे करके अपनी दिनचर्या में शामिल करें, क्योंकि नियमित रूप से व्यायाम करने से आप शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से फिट रहेंगे।

पौष्टिक आहार खाएं

कोरोना का संक्रमण शरीर को कई तरह की परेशानियां दे रहा है, जिसमें कमजोरी भी शामिल है। इसलिए कोरोना से ठीक होने के बाद ये जरूरी है कि आप अपने खाने में ज्यादा से ज्यादा पौष्टिक चीजों को शामिल करें। हरी सब्जियां और अंडा खाएं, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं। इससे आपकी सेहत में तेजी से सुधार होगा और आप जल्द ही पहले जैसा स्वस्थ महसूस करने लगेंगे।

ज्यादा से ज्यादा आराम करें

कोरोना से ठीक होने के बाद लोगों को ज्यादा से ज्यादा आराम करने की जरूरत है, ताकि शरीर पहले की तरह ही स्वस्थ बन सके और किसी तरह की शारीरिक या मानसिक परेशानी न आए।

ठीक होने के बाद के लक्षणों को न करें नजरअंदाज

कोरोना से ठीक होने के बाद भी अगर आपको सिरदर्द की समस्या हो या बहुत ज्यादा थकान महसूस हो रही हो तो इन संकेतों को नजरअंदाज नहीं करें बल्कि तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और उन्हें लक्षणों के बारे में बताएं और उचित सलाह लें, क्योंकि ऐसा अक्सर देखने को मिल रहा है कि संक्रमण से ठीक होने के बाद भी लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही हैं।

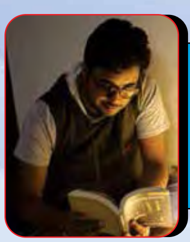

नींव परमाणु हथियारों की

शुभम दीक्षित सहायक प्रबंधक , राजभाषा विभाग , केंद्रीय कार्यालय

हमारे आज एक स्तम्भ के केंद्र इस तस्वीर की बात करें तो इस तस्वीर में दिख रहा सावधान की मुद्रा में खड़ा ये बच्चा परमाणु हमले बाद फैले विकिरण की ज़द में आने के कारण अपनी जान गँवा चुके अपने छोटे भाई की लाश को अपनी पीठ पर किसी तरह बांध कर शवदाह गृह तक लाया था । जिस तरह तस्वीर में दिख रहा ये छोटा सा बच्चा सावधान की मुद्रा में अपने होठ अपने दाँतों से दबाए, अपनी रुलाई को रोंके खड़ा, किसी योद्धा, किसी सेना के वीर जवान से कम नहीं है । इस तस्वीर को देख कर स्थानीय लोगों पर सेना के प्रभाव तथा उनके प्रति सम्मान की भावना का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है । ये तस्वीर एक हारे हुए राष्ट्र की तकलीफ़ों को कैनवास पर उतारती है । तस्वीर लिए जाने के कुछ सालों के बाद जब जोसेफ़ रोजर ओ'डेनियल से एक इंटरव्यू में इस तस्वीर के बारे में पूछा गया तो वो इस घटना को कुछ इस तरह बताते हैं :

"मैंने लगभग एक दस साल के लड़के को शमशान की तरफ जाते हुए देखा । उसकी पीठ पर एक बच्चा बंधा हुआ था । अपने उन दिनों के प्रवास के दौरान हमने ऐसे कई बच्चों को देखा था जो अपनी पीठ पर अपने छोटे भाई या बहन को बांध कर खेलते हुए नज़र आते थे, लेकिन ये कुछ अलग था, इस बच्चे की आँखों में कुछ अलग था । शायद इसी ने मेरा ध्यान उसकी तरफ खींचा । हम देख सकते थे कि वो यहाँ एक अहम वजह से आया था । उसने जूते नहीं पहने थे । उसके चेहरा सख़्त था । छोटे बच्चे का चेहरा आसमान की ओर था, मानो कि वो बेहद ही गहरी नींद में सोया हो । वो लड़का वहाँ करीब दस मिनट बिना हिले-डुले निस्तेज खड़ा रहा" ।

"सफ़ेद मास्क पहने वहाँ खड़ा एक व्यक्ति चुपचाप उस लड़के की तरफ चल कर गया और बिना कोई सवाल जवाब किए रस्सियां खोलनी शुरू कर दीं, जिनके सहारे वो बच्चा उस लड़के की पीठ पर बंधा हुआ था । उस वक़्त मुझे पता चला कि उस लड़के की पीठ पर बंधा वो बच्चा मर चुका था । उस आदमी ने छोटे से बच्चे को अपने हाथ में उठाया और जलती हुई आग की ओर उछल दिया । वो लड़का वहीं खड़ा रहा और आसमान की ओर उठती हुई आग की लपटों को देखता रहा । उसने अपने होठों को अपने दांतों के बीच इतनी सख़्ती से दबा रखा था कि उनसे खून छलक आया था । उठती हुई लपटें सूरज की रौशनी की तरह धीरे-धीरे धीमी होती गईं और अंधेरा होने से कुछ पहले वो लड़का थोड़ा सा ठिठका, पीछे मुड़ा और खामोशी के साथ वहाँ से चला गया" ।

वो आगे जोड़ते हैं : "क्या आपका कोई छोटा भाई या बहन है जिसने आपके जीवन को खुशियों और रौशनी से भर दिया हो, जिसकी मासूम

मुस्कान आपका दिन बना देती हो ? मैं आशा करता हूँ कि ये आपके साथी कभी न हो, लेकिन आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि अगर अभी युद्ध आरंभ हो जाता है और आपका छोटा भाई या बहन उस विनाश और हिंसा की भयावहता का शिकार हो जाए । आपको बिलकुल भी अंदाज़ नहीं है कि वो बचेगा भी या नहीं । आप उसे बचाने के लिए क्या कर सकते हैं ?

यहाँ ये समझना ज़रूरी है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान लाखों बच्चों को इस यंत्रणा से गुज़रना पड़ा । युद्ध की विभीषिका आजीवन उनके मस्तिष्क पटल पर अंकित रही । उसकी स्मृतियाँ आजीवन उनको सालती रहीं । जब कभी भी उनसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बारे में पूछा जाता तो एक लंबा अरसा बीत जाने की वजह से वो एक पल को भले ही थोड़े असम्बद्ध दिखते लेकिन जब बात करते हुए जब किस्सा किसी निजी व्यक्ति तक आता जो उनके लिए अज़ीज़ था, तो सारी भाव भंगिमाएँ बदल जातीं । शायद अब वो समय है जब इतिहास के पन्नों से धूल

झाडनी होगी, हमें उससे सीखना होगा, उसे दोहराए जाने से रोकना होगा और अगर रोक नहीं सकते तो रोकने के लिए आवाज़ उठानी होगी और इसके लिए हर संभव प्रयास करना होगा । हमें समझना होगा कि युद्ध का उन्माद केवल विनाश की ओर ले जाता है । अपने इंटरव्यू के दौरान जोसेफ़ रोजर ओ'डेनियल हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर हुए इस हमले के बाद स्थानीय लोगों से हुई बातचीत के निचोड़ को कुछ इस तरह समझाते हैं :

9 अगस्त 1949 की सुबह आपके दो बच्चे जिन्हें आप बेतहाशा प्यार करते हैं सो कर उठते हैं । उनमें बड़ा बच्चा 9 साल का है और छोटा बच्चा 5 साल का । अचानक से उनकी दुनिया पूरी तरह बदल चुकी है क्योंकि जिस शहर में वो रह रहे हैं वहाँ दिन रात आते जाते हवाई जहाज बॉम्ब गिराते जाते हैं । ये उनके जीवन के कठिनतम दौर में से एक है । उनको ज़रा भी अंदाज़ा नहीं है कि बाहर क्या हो रहा है । आम दिनों की ही तरह उस दिन थोड़ी सी बमबारी के बाद चेतावनी के संकेतक बंद हो जाते हैं । लेकिन ये थमा नहीं है, ये आपको भी पता है कि अभी दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथा हमला होगा और ये हमले यूँ ही चलते रहेंगे । आपके दोनों बच्चे दौड़ते हुए आपके आँचल में सिमट जाते हैं । उन्हें उम्मीद है कि अब सब ठीक हो जाएगा, आप उन्हें बचा लेंगी , आप सब ठीक कर देंगी । वो इतने डरे हुए हैं कि कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं । उनका शरीर मानो जैसे डर से उसे लकवा मार गया हो । सड़के फिर से धूल और चीख़ों से भर जाती हैं । हर तरफ अफ़रा-तफ़री का माहौल है । कुछ ही मिनट बीतते हैं और चेतावनी संकेतक फिर से गूंज उठता है । इसका मतलब है कि फिर से हमला होने वाला है । एक पल के लिए सब कुछ फिर से खामोश हो जाता है । लोग भागना और चिल्लाना बंद कर देते हैं । छोटा बच्चा ये सोचते हुए चुप जाता है कि अब सब ठीक है । अब वो सुरक्षित हैं ।

सुबह 11 बज कर 02 मिनट पर अचानक से एक जोरदार आवाज़ के साथ शांती टूटती है और आसमान में तेज रौशनी होती है । इतनी तेज़ कि कई हज़ार सूरज एक साथ आसमान में उग आए हों । पूरा शहर रौशनी से नहा उठता है । और एक ही पल, बस एक ही पल के बाद पूरा शहर नर्क की तरह जल उठाता है । एक झटके में शहर पर कयामत टूट पड़ती है । जो लोग घरों में, सड़कों पर, पार्कों में, कारखानों में, अपने ऑफिसों में जहाँ कहीं भी थे पलक झपकते ही भाप में तब्दील हो जाते हैं । ये नागासाकी शहर है जहाँ अभी-अभी परमाणु हमला हुआ है । वहाँ क्या हुआ उसे शब्दों में नहीं बंधा जा सकता है । उन दो अभागे शहरों के साथ जो हुआ वो दुनिया की सबसे भयावह घटना थी । क्या उनके साथ जो हुआ वो उसके पात्र थे ? क्या आप चाहते हैं कि जब आप यहाँ मेरे साथ बैठक कर बात कर रही हैं, वहाँ दूर कहीं आपके भाई या बहन को इन परिस्थितियों का सामना करना पड़े ?

इस घटना के करीब एक महीने बाद मैं वहाँ गया था, महज़ इस मकसद से कि कुछ तस्वीरें उतार सकूँ, कुछ दस्तावेज़ तैयार कर सकूँ जो आने वाली नस्लों को गवाही देते रहें कि परमाणु हमले का क्या नतीजा होता है ।

ये जोसेफ़ रोजर ओ'डेनियल द्वारा ली गई तस्वीरों का ही नतीज़ा था कि विश्वयुद्ध व परमाणु हमले की विभीषिका को समझ सका । इन तस्वीरों ने पूरे विश्व को काफी गहरे तक प्रभावित किया । हमारे आज के स्तम्भ के केंद्र की तस्वीर के अलावा भी कुछ तस्वीरों हमने इस लेख के साथ जोड़ी हैं । इन तस्वीरों को इतिहास में "शैडोज़ ऑफ न्यूक्लियर ब्लास्ट" के नाम से जाना जाता है । ये वो परछाईयां हैं जो हिरोशिमा शहर के ग्राउंड जीरों से 10 से 15 मील की दूरी पर ली गईं थीं । ब्लास्ट के दौरान हुए नाभिकीय उत्सर्जन और बड़ी मात्रा में रिलीज़ हुई हीट वेव की वजह से हज़ारों लोग सेकेंड के 10 वें से भी कम हिस्से में भाप में तब्दील हो गए । लेकिन पीछे रह गईं तो उनकी परछाईंयां; जो छप गई दीवारों पर, सड़कों पर, झूलों पर, चौखटों पर, बिस्तरों पर एक दाग बन कर । इतिहास का सबसे बदनुमा दाग जिसे सदियों तक याद रखा जाना चाहिए, इसे सौपा जाना चाहिए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक सौगात की तरह ताकि वो महसूस सके कि युद्ध केवल और केवल विनाश ही लाता है ।

तारीख़- ए- बयाँ और

जैसा कि हमने आपसे इस स्तम्भ के पहले लेख, लियोपॉल्ड 2 में वादा किया था, आज हम जापान पर किए गए परमाणु हमले की जड़ों को तलाशेंगे । हालांकि इतिहास बहुत बड़ा है और इससे जुड़े नाम असंख्य तो कम से कम शब्दों तथा किरदारों का प्रयोग करते हुए इतिहास को बांधने की कोशिश कर रहा हूँ ।

इस सब की शुरुआत होती है सन 1938 में जब विश्व अधिक से और अधिक शक्तिशाली हथियारों की दौड़ में अंधों की तरह भागा चला जा रहा था । ऐसे में जर्मन भौतिक वैज्ञानिक ओटो हैन और फिट्ज़ स्ट्रेसमैन ने परमाणु विखंडन की खोज की तथा इस खोज के ऊपर लिस मेटनेर व ओटो फ्रिट्श नाम के दो वैज्ञानिकों ने एक नया सिद्धान्त प्रतिपादित किया कि परमाणु विघटन की मदद से हथियारों का निर्माण संभव है जो पलक झपकते ही बहुत बड़े क्षेत्र में अकल्पनीय स्तर की तबाही लाने में सक्षम हो सकते हैं । लेकिन विज्ञान या कोई खोज किसी एक मुल्क या शख़्सियत की मिल्कियत

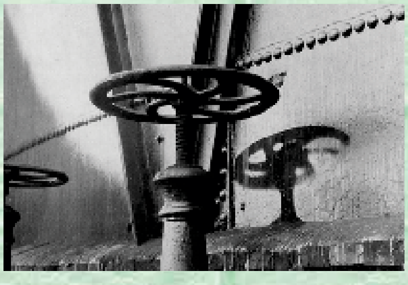

नहीं हो सकती और इसी खतरे को भाँपते हुए सभी देशों को यह डर सताने लगा कि जर्मनी तथा उसके सहयोगी देश भी इस तरह का प्रयोग कर परमाणु हथियारों का निर्माण कर सकते हैं । उस वक़्त के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों को भी इसी बात का डर सता रहा था जिनमें से एक थे लियो स्ज़ीलॉर्ड । इन्हीं सारी उधेड़-बुनों के चलते लियो स्ज़ीलॉर्ड ने महान वैज्ञानिक सर एल्बर्ट आइंस्टीन के आवास पर उनके साथ की गई लंबी चर्चा के निचोड़ के रूप में तात्कालिक अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रोज़वेल्ट को 02 अगस्त 1939 को एक ख़त लिखा और उसके विषय की सार्थकता तथा उसकी संभावनाओं के सच साबित होने की आशंकाओं की पुष्टि के लिए खत के अंत में सर एल्बर्ट आइंस्टीन से हस्ताक्षर करवाए । पत्र में जर्मन वैज्ञानिकों द्वारा परमाणु हथियार विकसित करने की संभावना व्यक्ति की गई थी तथा अनुरोध किया गया था कि जर्मनी को परमाणु हथियार विकसित करने से पहले अमेरिका को इस दिशा में कदम उठाने चाहिए तथा अपना अपनी खुद की परमाणु परियोजना पर काम शुरू कर देना चाहिए । (इसी ख़त में कांगों की खानों में बड़े मात्रा में यूरेनियम की उपलब्धता का भी ज़िक्र किया गया था, जिसके बारे में हमने स्तंभ के पहले लेखा में चर्चा की थी और इसी ख़त के ऊपर कृत कार्रवाई के चलते कांगों में कच्चे यूरेनियम की खुदाई और दमन चक्र ने एक नई रफ़्तार पा ली । ये एक तरह का बटरफ़्लाइ इफैक्ट था जिसने एक ओर कांगो के खदान के मजदूरों के दमन के नए दरवाज़े खोले तो वहीं दूसरी ओर उस कच्चे यूरेनियम को जहाजों पर लाद कर लाने वाले जहाजियों को अनचाहे परमाणु विकिरण की ज़द में ले कर असमय ही मौत के मुँह में धकेल दिया) इस ख़त ने अमेरिका पहुँचते ही सब हतप्रभ रह गए और अंततः एक फौरी रूपरेखा खीचे जाने के बाद उसकी जानकारी सर एल्बर्ट आइंस्टीन को देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रेंकलिन डी. रोज़वेल्ट एक ख़त लिखा था, जिसकी तस्वीर यहाँ दी गई है । ये लियो स्ज़ीलॉर्ड लिखित और सर एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा हस्ताक्षरित ख़त का ही परिणाम था कि पूरा तंत्र सक्रिय हो गया और इस सक्रियता की परिणिति मैनहट्टन प्रोजेक्ट (इसके बारे में विस्तार से चर्चा हम अपने किसी अन्य अंक में करेंगे) के रूप में हुई जिसने दुनिया का पहली बार परमाणु बॉम्ब से परिचय करवाया ।

THE WHITE HOUSE
WASHINGTON

Dr. Albert Einstein,

विषय की ओर वापस लौटें तो बात सन 1944 की है जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था । उस वक़्त मित्र राष्ट्र जिन्हें एलाइस भी कहा जाता है (ये द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों का एक समूह था जिन्होंने द्वितीय विश्वयुद्ध (1939-1945) के दौरान नाज़ियों और उनके सहयोगियों का विरोध किया था । एलाइस के गठन का प्रमुख उद्देश्य नाज़ी जर्मनी, जापान साम्राज्य, फासीवादी इटली और उनके सहयोगियों को हराना था । यहाँ आपको बताता चलूँ कि एलाइस वही समूह था जिसने 6 जून 1944 को फ्रांस के उत्तरी समुद्र तट नोर्मनडी पर हमला किया था जिसे इतिहास में युगांतकारी घटना डी-डे या नोर्मनडी लैंडिंग के नाम से भी जाना जाता है । अब क्योंकि डी-डे इतिहास की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है और इसके असफल होने की स्थिति में दुनिया का भूगोल उस भूगोल से बिलकुल ही जुदा होता जिसे हम आज देखते और जानते हैं, तो ऐसे स्थिति में बेहतर होगा कि इसके बारे में हम किसी अन्य अंक में विस्तार से चर्चा करें ।) ने जापान की मुख्य भूमि पर एक बड़ा हमला करने की भूमिका बनाई । इस योजना के तहत 67 जापानी शहरों पर शृंखलाबद्ध रूप से एयर स्ट्राइक (हवाई हमले) किए जाने थे ताकि जापान की सरकार के ऊपर दवाब बनाया जा सके तथा युद्ध को रोका जा सके ।

वहीं दूसरी तरफ 30 अप्रैल 1945 को हिटलर के अत्महत्या और लगातार हो रहे हमलों के चलते जर्मनी काफी हद तक कमजोर पड़ता चला गया । जर्मनी के ऊपर हर तरफ से हर संभव दबाव बनाया जा रहा था और अंत में दवाब के चलते 8 मई 1945 जर्मनी को आत्मसमर्पण करना पड़ा । जर्मनी के आत्मसमर्पण के साथ ही यूरोप में आधिकारिक रूप से युद्ध का समापन तो हो गया मगर जापान ने हार नहीं मानी और इसी घटना ने मित्र राष्ट्रों का ध्यान प्रशान्त माहसागर की ओर मोड दिया । इसी बीच मित्र राष्ट्रों ने अपने संयुक्त शोध मैनहट्टन प्रोजेक्ट में दो तरह के परमाणु हथियारों का सफलतापूर्वक निर्माण कर लिया था जिसमें पहले बॉम्ब का नाम "फैट मैन" जोकि प्लूटोनियम आधारित हथियार था और दूसरा "लिटिल बॉय" जोकि यूरेनियम आधारित बंदूक के प्रकार का एक हथियार था । इसके साथ ही सामरिक दृष्टि से मजबूती के लिए अमेरिकी सेना की हवाई टुकड़ी 509 बी-29 कम्पोज़िट ग्रुप को मरियाना द्वीप समूह की कमान सौंप दी गई जिसे उन्होंने अपना एयर बेस बनाया । 509 बी-29 कम्पोज़िट ग्रुप, जिसमें 29 विमान शामिल थे, को परमाणु हमले के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित विमान चालकों तथा विशेष विमानों जिन्हें सिल्वरप्लेट (ये विमान मैनहैट्टन प्रोजेक्ट का हिस्सा थे जिन्हें विभिन्न परीक्षणों से गुज़ारे जाने के बाद वर्जीनिया में अंतिम रूप दिया गया था । परमाणु हमले में सक्षम बनाने के लिए इन विमानों को विशेष रूप से तैयार किया गया था जिसके चलते इन विमानों तथा हथियारों के मूल ढांचे में कई परिवर्तन किए गए थे ।) कहा जाता है, से सुसज्जित किया गया था ।

मित्र राष्ट्र इस युद्ध को किसी भी हालत में रोकने के लिए प्रतिबद्ध थे और इसी के चलते परमाणु हमले की भूमिका तैयार कर ली गई । 'क्यूबेक

समझौते' के अनुपालन में परमाणु हमले के लिए अमेरिका से अनुमति प्राप्त किया जानी थी जिसके लिए किसी भी तरह की मुश्किल नहीं हुई और ये अनुमति भी जल्द ही मिल गई। इसी क्रम में परमाणु हमला किए जाने की स्थिति में जरूरत थी शहरों के चुनाव की जिनके ऊपर परमाणु हमला किया जाना था। इसके लिए ग्रोव्स की अध्यक्षता में गठित 'टार्गेट कमेटी' नाम की समिति ने इस सिलसिले में कई बैठकों का आयोजन किया। वॉशिंग्टन में 28 मई 1945 को हुई समिति की अंतिम बैठक में हमले के लिए हिरोशिमा, कोकुरा, नीगाता तथा नागासाकी चार प्रमुख शहरों का चुनाव इसी क्रम में किया गया। इन शहरों का चुनाव किए जाने का एक कारण यह भी था कि जनसंख्या तथा जापान की सामरिक पकड़ की नज़र से ये चारो शहर प्रमुख थे तथा इनमें काफी मात्रा में सैन्य सुविधाएँ उपलब्ध थीं।

अब ज़रूरत थी तो बस इस हमले को अंतिम रूप देने की और इसके लिए में मित्र राष्ट्रों ने 26 जुलाई 1945 पोस्टडैम में एक बैठक आमंत्रित की और इस बैठक में कई सख़्त फैसले लिए गए। इन फैसलों में सबसे अहम फैसला जापान पर बिना किसी शर्त के सम्पूर्ण समर्पण करने का दबाव बनाने का था। इसी योजना को कार्यान्वयन में लाने तथा जापान को आवश्यक चेतावनी देने के लिए सभी की सहमति से जापानी प्रधानमंत्री के नाम से एक पत्र भेजा गया। पत्र में बिना किसी शर्त के आत्मसमर्पण करने की बात कही गई थी तथा ऐसा न करने की स्थिति में त्वरित पूर्ण विनाश की धमकी दी गई थी। आने वाले दिनों में कांतारो सुज़ुकी की ओर से कोई संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने तथा युद्ध विराम न होता देख कर अंततः 06 अगस्त 1945 को पहले हमले की तिथि के रूप में चुना गया तथा इसके लिए सारी रणनीति तथा उनके कार्यान्वयन के लिए तदनुसार तैयारियां की जाने लगीं।

06 अगस्त 1945 को हमला किए जाने वाले शहरों में हिरोशिमा का नाम सूची में सबसे ऊपर था तथा वैकल्पिक लक्ष्यों के रूप में कोकुरा तथा नागासाकी के नाम दिए गए थे। रात के वक़्त 393-डी बॉम्बिंग स्क्वाड्रेन बी-29 'एनोला गे', जिसका नाम उसके पायलेट टिब्बेट्स की माँ के नाम पर रखा गया था, पर लिटिल बॉय को लोड कर दिया गया और एनोला गे ने मरियाना द्वीप समूह के टिनियन द्वीप से जापान के हिरोशिमा शहर के लिए अपनी उड़ान भरी। इस दूरी को 6 घंटे में पूरा किया जाना था। एनोला गे के साथ दो अन्य बी-29 विमानों ने भी उड़ान भरी जिनमें से एक 'द ग्रेट आर्टिस्ट' जिसकी कमान मेजर चार्ल्स स्वीनी के हाथ में थी और जो एनोला गे को किसी भी संभावित हमले से बचाने के लिए साथ जा रहा था और दूसरा एक गुमनाम विमान, जिसे बाद में इतिहास में नैसेसरी ईविल का नाम दिया गया, की कमान जॉर्ज मारक्वार्ड के हाथ में थी। दूसरे विमान का प्रयोग केवल फोटोग्राफी के लिए किया जाना था। शुरूआती रूप से तीनों विमानों ने लक्ष्य तक पहुँचने के लिए अलग-अलग मार्ग अपनाया और तीनों विमान निर्धारित समय पर हिरोशिमा के 31,060 फिट ऊपर पहुँच गए।

उधर ज़मीन पर 5-6 अगस्त की रात को जापान के रडार ने कई अमेरिकी विमानों के अपने सीमा क्षेत्र में होने की चेतावनी दी। रडार की जानकारी के अनुसार 65 जहाज सागा, 102 जहाज माएबाशी, 261 निशिनोमिया, 111 ऊबे तथा 66 जहाज इमाबारी की ओर जाने की चेतावनी दी गई और हिरोशिमा समेत कई शहरों में रेडिया का प्रसारण बंद कर दिया गया। हमले से पूर्व हिरोशिमा के रेडियो द्वारा जो संदेश प्रसारित किए गए वो कुछ इस तरह थे : रात 00:05 बजे – ऑल क्लीयर; हमले से एक घंटे पहले फिर से हमले की चेतावनी जारी हुई और सुबह 06:15 पर एक और संदेश प्रसारण केंद्र ने एक संदेश रिकॉर्ड किया जो था– सभी ऊंचाइयों पर बादल 3/10 के अनुपात में हैं। सलाह: प्राथमिक बॉम्ब। सुबह 07:09 मिनट पर हिरोशिमा में आखरी संदेश प्रसारित किया गया - ऑल क्लीयर (सामरिक भाषा में ऑल क्लियर का संदर्भ हवाई हमले के समाप्त होने से लिया जाता है।)

वहीं दूसरी ओर एनोला गे पर तैनात कमांडर ने कई बी-29 विमानों को उड़ान भरते वक़्त हुई तकनीकी गड़बड़ियों के चलते आग के शोलों में बदलते देखा था और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी हालत में लोडेड परमाणु हथियार के साथ विमान अपने ही बेस पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाए। अतः उड़ान भरते समय होने वाले किसी भी संभावित खतरे के मद्देनज़र उन्होंने बॉम्ब को उड़ान भरने के बाद ही लोड करने का विकल्प चुना। दल के सहायक तथा दूसरे लेफ्टिनेंट ने लक्ष्य पर पहुँचने से 30 मिनट पहले बॉम्ब को लोड कर दिया। सुबह 08:09 बजे टिब्बेट्स ने बॉम्ब लांच करने की प्रक्रिया शुरू कर दी और लॉन्च करने के लिए जिम्मेदार मेजर थॉमस फेर्बी को नियंत्रण सौंप दिया। जैसा कि तय किया गया था सुबह 08:15 बजे लिटिल बॉय को जहाज से गिरा दिया गया। लिटिल बॉय का विस्फोट शहर से 1900 मीटर की ऊंचाई पर अपने लक्ष्य आयो पुल के ऊपर होना था किन्तु तेज हवा के कारण ये विस्फोट लक्ष्य से 800 मीटर दूर हट कर 1900 मीटर की ऊंचाई पर शिमा सर्जिकल क्लीनिक के ऊपर हुआ जिसे ग्राउंड ज़ीरो कहा जाता है। विस्फोट होने से पहले एनोला गे 15.5

किलोमीटर की दूरी तय कर चुका था । सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो लिटिल बॉय बेहद अप्रभावी साबित हुआ क्योंकि ये अपनी अनुमानित हानि का महज़ 1.7% नुकसान ही कर सका और ऐसा परमाणु पदार्थ के पूर्ण विघटन न हो पाने के कारण हुआ । क्योंकि ये एक खूफिया मिशन था और इसकी जानकारी मिशन प्रमुख के अलावा केवल 2 और लोगों को ही थी । ऐसे में विस्फोट बाकी सभी के लिए बेहद अचरज से भरा था । बाद में दिए गए इंटरव्यू में क्रू के एक सदस्य ने बताया कि उस बॉम्ब के धमाके से पैदा हुई शॉकवेव की जहाज से टक्कर किसी बॉम्ब के धमाके के जितनी तेज थी ।

अगर अनाधिकारिक सूत्रों की मानें तो हिरोशिमा के ऊपर किए गए परमाणु विस्फोट की ज़द में आए लगभग 90,000 से 1,46,000 लोगो तथा नागासाकी के ऊपर हुए परमाणु विस्फोट में 39,000 से 80,000 लोग तत्काल ही काल के गाल में समा गए और लगभग इसके आधे लोग आने वाले 4 महीनों के भीतर जलने, विकिरण संबंधी बीमारियों, चोटों आदि के प्रभाव से अपनी जान गवां बैठे । यहाँ नोट किया जाना चाहिए कि इन हमलों में मारे गए अधिकतम लोग बेकसूर नागरिक थे । विकिरण से फैली विभीषिका का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जाता सकता है कि गामा विकिरण से डीएनए की बनावट में आई खराबी के कारण बचे हुए लोगों की आने वाली पीढ़ियों में कई जन्मजात विकृतियाँ देखी गईं ।

जापान ने नागासाकी पर हुए परमाणु हमले तथा सोवियत रूस की घोषणा के 6 दिन बाद 15 अगस्त 1945 को जापान ने आत्मसमर्पण की घोषणा कर दी । हालांकि जापान ने अधिकारिक रूप से युद्ध समाप्ति तथा मित्र राष्ट्रों के साथ आत्मसमर्पण के दस्तावेज़ों पर 02 सितंबर 1945 को हस्ताक्षर किए । इस दिन को द्वितीय विश्व युद्ध के आधिकारिक अंत के रूप में माना जाता है । हालांकि ये सब हो जाने के बाद कई देशों/ राजनैतिक लोगों द्वारा परमाणु हमले के पक्ष/ विपक्ष में तर्क तथा कुतर्क किए गए । परमाणु हमले के समर्थकों का मानना है कि इस हमले के कारण ही द्वितीय विश्व युद्ध को कम से कम जान माल की हानि के साथ समाप्त किया जा सका और इसके अलावा इतने कम समय में द्वितीय विश्व युद्ध को समाप्त किए जाने का कोइ अन्य तरीका नहीं था । वहीं दूसरी ओर इसके आलोचकों का तर्क है कि जापानी सरकार को अन्य माध्यमों से भी आत्मसमर्पण के लिए बाध्य किया जा सकता था । कारण चाहें जो भी रहा हो किन्तु परमाणु हमलों के में मारे गए लोगों की क्षति अपूर्णीय है । ऐसे में अगर मेरे मत की बात की जाए तो मैं न्याय के मूलभूत सिद्धान्त के साथ अपनी बात को समाप्त करूंगा :

“सौ आरोपी भले ही छूट जाएँ मगर एक बेगुनाह को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए”

जब कभी हिरोशिमा और नागासाकी में हुए परमाणु हमले की बात आती है तो उस के साथ के और कहानी भी गूँथी हुई है जिसे कम ही लोग जानते होंगे । अगर मैं आपसे कहूँ कि उन दो अभागे शहरों के साथ जो हुआ वो एक गलती थी “एक छोटी सी अनुवाद की गलती” । लोग, जिन्हें अनुवाद से जुड़ा काम खेल सरीखा जान पड़ता है, को हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी दौर में अनुवाद में की गई एक छोटी सी गलती ने कई हज़ार मासूमों की ज़िंदगी लील ली थी । इतिहास भी इसे अनुवाद के क्षेत्र में और मानवता के क्षेत्र में आज तक की गई सबसे भयानक गलती के रूप में स्वीकारता है । बात कुछ यूँ थी कि 1945 के दौरान पोस्टडैम हुई बैठक में कुछ बहुत ही सख़्त फैसले लिए गए और जापान से बिना किसी शर्त के समर्पण करने का आदेशनुमा एक ख़त लिख कर भेजा गया जिसकी आखरी लाइन थी कि “जापान की तरफ से कोई भी नकारात्मक उत्तर शीघ्र और पूरी तरह विनाश को आमंत्रित करेगा” । वो ख़त तत्कालीन जापानी प्रधानमंत्री कांतारो सुजुकी के नाम से भेज गया । ख़त के जापान पहुँचते ही अख़बारों के ज़रिए कांतारो सुजुकी पर जल्द से जल्द जवाब देने का दवाब बनाया जाने लगा । कांतारो सुजुकी ने जापानी भाषा में दिए गए अपने जवाब में लिखा कि “हम अभी टिपण्णी देने से परहेज़ कर रहे हैं” और अपना जवाब भेज दिया (इस छोटे से कमेंट में लिखे गए शब्द “Mokusatu” का सही अर्थ होता है परहेज़ करना, जिसे मूल रूप से मौन रहने के तात्पर्य से लिया गया है, लेकिन इस शब्द के और भी कई अर्थ निकाले जा सकते हैं ।) । लेकिन जब ये ख़त वापस यूएस पहुंचा तो वहाँ इसका अनुवाद “नोट किया गया” या “कोई कमेंट नहीं” के रूप नकारात्मकता के साथ किया गया और ख़त के यूएस पहुँचने के बाद 10 दिनों बाद ही यूएस ने जापान पर परमाणु हमला कर दिया । जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार अनुमानतः 1,29,000 लोग तथा अन्य सूत्रों की माने तो 2,26,000 से ज्यादा लोग मारे गए ।

वाणी का राजभाषा विशेषांक (सितंबर 2020)

वाणी का राजभाषा विशेषांक (सितंबर 2020) प्राप्त हुआ । धन्यवाद । हमेशा की तरह पत्रिका में विविध विषयों पर सार्गर्भित एवं रोचक जानकारी प्रस्तुत की गई है । कार्यपालक गण के संदेश प्रेरणा , प्रोत्साहन एवं नई दिशा प्रशस्त करते हैं । विशेषरूप से प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय का साक्षात्कार बैंकिंग जगत में नए भर्ती स्टाफ के किए प्रेरणास्रोत की तरह है । गाँधीजी , राजभाषा कार्यावयन , कृषि कानून , दासता की दास्तान एवं भारतीय बैंकिंग क्षेत्र पर ज्ञानवर्धक एवं विष्यानुरूप सामग्री आलेखों के माध्यम से प्रस्तुत की गई है । साहित्य का सफरनामा में अदन गोंडवी की साहित्यिक यात्रा का रोचक परिचय दिया गया है । हृदयस्पर्शी कविताएँ, स्वास्थ्य संपदा , औपनिवेशिक हिंसा का प्रतीक – लियोपॉल्ड - II एवं विविधा में ज्ञान के मोती ,शब्द – शब्दांतर , हँसी की फुलझड़ियाँ तथा प्रतिस्पंदन आदि विषय पत्रिका में गागर में सागर भरने वाली उक्ति को चरितार्थ करते हैं ।

निश्चित रूप से पत्रिका सुधी पाठकों का मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धन करेगी । आपको शुभकामनाएँ एवं बधाई ।

अजय कुमार,
मुख्य प्रबंधक, राजभाषा विभाग, कोर्पोरेट कार्यालय, इंडियन बैंक

"वाणी" का 127 वां अंक (अक्तूबर - दिसंबर 2020)

आपकी तिमाही गृह पत्रिका -"वाणी" का उपर्युक्त अंक प्राप्त हुआ । तदर्थ धन्यवाद । पत्रिका का मुख्यपृष्ठ आकर्षक है ।

पत्रिका में प्रकाशित बैंकिंग,राजभाषा , कविताएँ तथा अन्य विषयों पर प्रस्तुत लेख पठनीय है । इसमें बैंकिंग गतिविधियों का भी उत्कृष्ट प्रदर्शन किया गया है । हमें विश्वास है भविष्य में भी आप इसी प्रकार रोचक पत्रिकाओं का प्रकाशन जारी रखेंगे ।

धन्यवाद सहित

राजीव वार्ष्णेय ,
सहायक महा प्रबंधक (राजभाषा), राजभाषा विभाग, केंद्रीय कार्यालय, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

केसरिया इवान हरे रंगो से सुसज्जित आवरण पृष्ठ वाली "वाणी" का 127 वां अंक मिला। हर बार की तरह इस बार भी विविध लेखों से ओत-प्रोत वाणी का हर एक लेख सूचनापरक और जानकारियों से भरा हुआ है। प्रबंध निदेशक , कार्यपालक निदेशक एवं महाप्रबंधक के प्रेरणा से परिपूर्ण और चिंतनयुक्त संदेशों ने हमें काफी प्रेरित किया। संपादकीय लेख हमारी भाषाएँ : हमारी विचारधारा में श्री सुरेश कुलकर्णी की ने हिन्दी भाषा के बारे में अच्छी जानकारी दी है । सहायक महाप्रबंधक श्री कश्मीर सिंह जी ने लेखक काशीनाथ जी की लेखनी के बारे में बताया है ।अन्य लेख भी काफी रोचक एवं शिक्षाप्रद हैं । सुश्री नेहा जी ने प्रदक्षिणा के अंतर्गत करतारपुर साहिब की अच्छी जानकारी दी है ।

फोटो फीचर देखकर अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों में हुए विश्व हिन्दी दिवस आयोजनों के बारे में सचित्र पता चला ।

आशा है कि हमारी वाणी की अगली प्रतियाँ भी इसी तरह रोचक एवं शिक्षाप्रद होंगी । वाणी के अगले अंक की प्रतीक्षा में

(गोपाल एस)
मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, क्षेत्रीय कार्यालय - पुणे

बैंक की गृह-पत्रिका वाणी का 127वां अंक प्राप्त हुआ, तदर्थ धन्यवाद। निश्चित रूप से 'वाणी' पत्रिका शास्त्र के हर मापदंड पर सोलह आने खरी उतरती है। वाणी ने सतत रूप से भारत सरकार से कीर्ति पुरस्कार प्राप्त कर बैंक की कीर्ति को बढ़ाया है। वाणी के इस अंक से पता चला कि लगभग सभी क्षेत्रीय कार्यालयों ने विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर कार्यक्रमों का आयोजित किया है और विविध प्रतियोगिताएं आयोजित कराकर स्टाफ को उनकी प्रतिभा प्रदर्शित करने हेतु एक मंच प्रदान किया है, तदर्थ शुभकामनाएं। श्री पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, एमडी एवं सीईओ महोदय एवं श्री अजक कुमार श्रीवास्तव जी, कार्यपालक निदेशक तथा श्री भुवन चन्द्र शर्मा जी, महा प्रबंधक तथा श्री सुरेश कुलकर्णी, उप महा प्रबंधक, राजभाषा के संदेश बैंक को दिशा दिखाने वाले एवं बैंक के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। श्री भुवन चन्द्र शर्मा, महा प्रबंधक जी का आलेख सतर्क भारत, समृद्ध भारत तथा श्री कश्मीर सिंह, सहायक महा प्रबंधक, अं. ले. प. कार्यालय हैदराबाद की कविता एवं श्री काशीनाथ सिंह पर उनकी समीक्षा 'कौन ठगुवा नगरिया लूटल हों' काफी रोचक हैं। मैं आशा करता हूँ कि 'वाणी' निरंतर इसी रचनात्मकता से बैंक की प्रतिष्ठा में चार चांद लगाती रहेगी। अगले अंक की प्रतीक्षा में,

(संजय किशोर)
वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक , क्षेत्रीय कार्यालय - लखनऊ

वित्तीय वर्ष 2020-21 के परिणाम के मुख्य बिंदु

	31.03.2021 (चौथी तिमाही)	31.03.2020 (चौथी तिमाही)		31.03.2021 (12 माह)	31.03.2020 (12 माह)	
परिचालनगत लाभ	1724	1197	↑	5896	3534	↑
निवल लाभ/ हानि	350	144	↑	831	(8527)	↑
जमाएँ	240288	222952	↑	240288	222952	↑
सकल अग्रिम	139597	134771	↑	139597	134771	↑
निवेश	98412	82029	↑	981412	82029	↑
व्यापार मिक्स	379885	357723	↑	379885	357723	↑
कासा	102165	89751	↑	102165	89751	↑
कासा अनुपात	42.52%	40.26%	↑	42.52%	40.26%	↑
सकल एनपीए	16323	19913	↓	16323	19913	↓
निवल एनपीए	4578	6603	↓	4578	6603	↓
निवल ब्याज सीमा	2.22%	2.60%	↓	2.39%	2.03%	↑
सकल एनपीए अनुपात	11.69%	14.78%	↓	11.69%	14.78%	↓
निवल एनपीए अनुपात	3.58%	5.44%	↓	3.58%	5.44%	↓
आय की लागत का अनुपात	49.58%	54.43%	↓	48.54%	59.21%	↓
पीसीआर	90.34%	86.94%	↑	90.34%	86.94%	↑
सीआरएआर	15.32%	10.72%	↑	15.32%	10.72%	↑
आरओई	21.33%	19.63%	↑	13.21%	(163.72)	↑
आरओए	0.50%	0.20%	↑	0.31%	(2.95)	↑
नकद जमा अनुपात	58.10%	60.45%	↓	58.10%	60.45%	↓

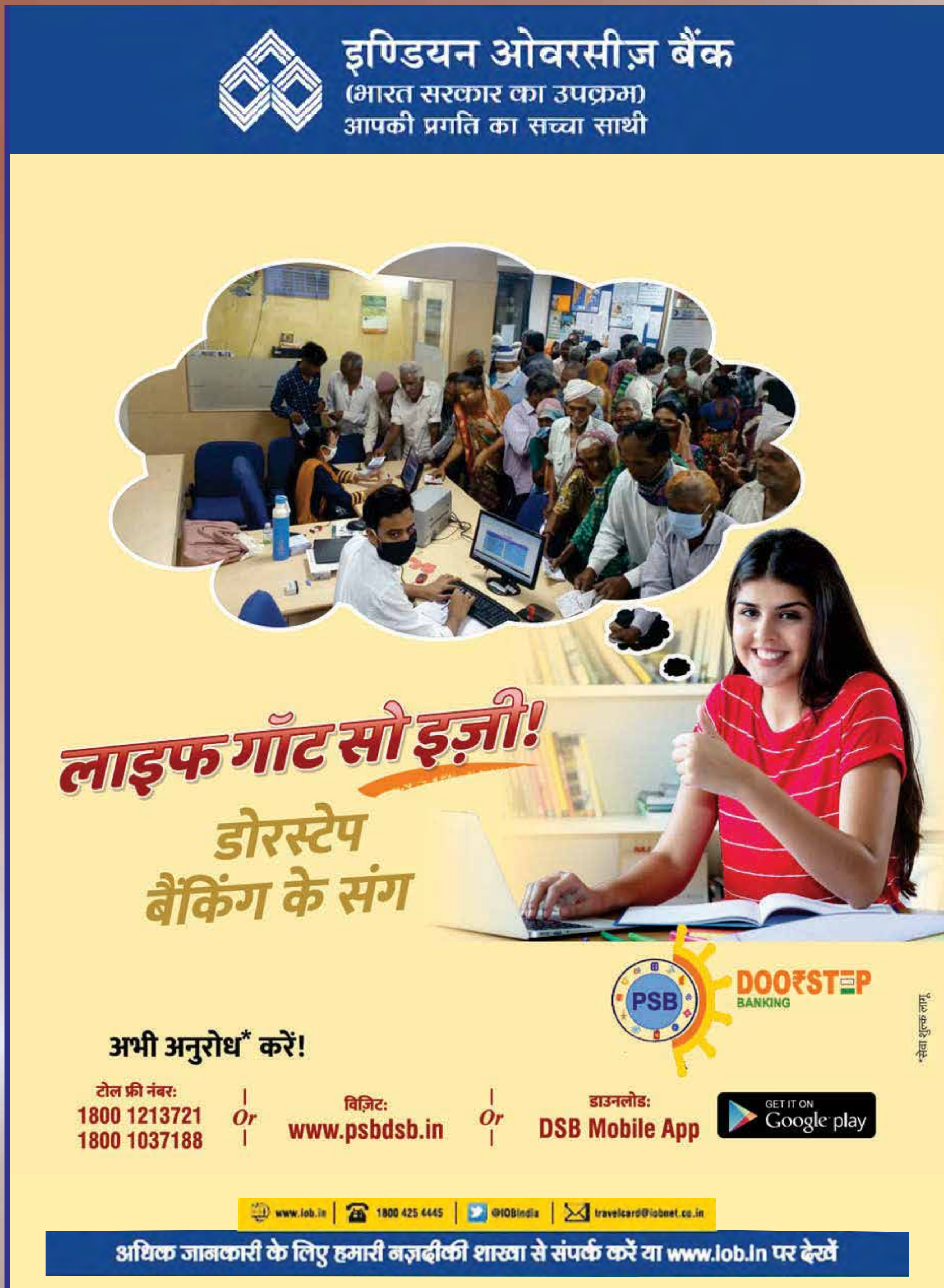

इण्डियन ओवरसीज़ बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपकी प्रगति का सच्चा साथी
लाइफ गॉट सो इज़ी!
डोरस्टेप बैंकिंग के संग
PSB
DOO₹STEP BANKING
*सेवा शुल्क लागू
अभी अनुरोध* करें!
टोल फ्री नंबर: 1800 1213721 1800 1037188
Or
विज़िट: www.psbdsb.in
Or
डाउनलोड: DSB Mobile App
GET IT ON Google play
www.iob.in | 1800 425 4445 | @IOBIndia | travelcard@iobnet.co.in
अधिक जानकारी के लिए हमारी नज़दीकी शाखा से संपर्क करें या www.iob.in पर देखें